



असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

03 अगस्त, 2016

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही शुरू की जाती है। प्रश्नोत्तर काल।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ।

अध्यक्ष : नेता, प्रतिपक्ष, क्या व्यवस्था है ? किस नियम पर व्यवस्था है ?

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : महोदय, टॉपर घोटाला हो रहा है। घोटाला हो रहा है महोदय।

अध्यक्ष : यह व्यवस्था है ?

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : महोदय, इसमें संलिप्तता सामने आ रही है। सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रही है। सी.बी.आई. से जांच करने की मैं मांग करता हूँ।

अध्यक्ष : टॉपर घोटाला व्यवस्था है ?

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : महोदय, बिहार की छवि खराब हो रही है, बिहार की छवि धूमिल हो रही है और टॉपर घोटाला में राजनेता और अधिकारियों की संलिप्तता है हम सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग करते हैं। सरकार इसकी अविलम्ब जांच कराये।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, महत्वपूर्ण सूचना पर खड़ा हूँ। कृपया ध्यान दिया जाय। आज वैशाली जिला के अन्दर में महुआ में हिन्दुस्तान के पत्रकार नवनीत कुमार जी को बुरी तरह पीटा गया है, केवल इस आधार पर कि उस पत्रकार ने एक व्यक्ति का फोटो अखबार में छाप दिया था। उस व्यक्ति की पिटाई कुछ लोगों ने की थी, फोटो अखबार में छपा हिन्दुस्तान के पत्रकार नवनीत ने तो इनकी पिटाई की गई, महोदय इस पर कार्रवाई करने हेतु सरकार को निदेश दिया जाय। अगर लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर हमला होगा और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है तो इस पर कार्रवाई करने हेतु सरकार को निदेश दिया जाय।

प्रश्नोत्तर-काल

तारांकित प्रश्न संख्या-28 (श्री सदानन्द सिंह)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्थानान्तरित किया गया है परिवहन विभाग को ।

अध्यक्ष : यह प्रश्न पहले भी स्थानान्तरित हुआ था ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : यह प्रश्न परिवहन विभाग से ही संबंधित है जब कि यह भवन निर्माण विभाग को भेजा गया था।

श्री सदानन्द सिंह : महोदय, यह प्रश्न फुटबाल की तरह विभिन्न विभागों में 4-5 दिनों से घूम रहा है । इस प्रश्न के संदर्भ में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने इस विधान सभा में यह उत्तर दिया था कि 2013 के वित्तीय वर्ष में एन.एच.-80 पर एक शिवनारायणपुर में और एक जीरो माईली में वेईंग मशीन लगा दिया जायेगा और साथ ही साथ नाका लगाया जायेगा ताकि उस पथ पर प्रति दिन 6 हजार से अधिक वाहनों का संचालन होता है और जिनमें ओभरलोडिंग प्रायः रहता है, उस पर अंकुश लगाया जा सके साथ ही साथ वित्तीय क्षति जो हो रही है उसको रोका जा सके, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को इस तरह से टालना हमको लगता है बहुत अच्छी बात नहीं है ।

अध्यक्ष : सरकार इसको गंभीरता से ले ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, जब एक दल के नेता के प्रश्न का यह हाल होगा तो बाकी सदस्यों का क्या होगा ? विषय गंभीर है, पथ निर्माण मंत्री यहां हैं कहिये वे जवाब देंगे, आज पथ निर्माण विभाग का जवाब भी होना है महोदय । ऐसे कैसे चलेगा महोदय, चार दिन का हाउस है, प्रश्न के स्थानान्तरण के बाद भी जवाब नहीं होंगे तो कैसे चलेगा ।

अध्यक्ष : माननीय नंद किशोर बाबू, आप तो सदन की प्रक्रिया से भलीभांति अवगत हैं, सदन के सामने सभी माननीय सदस्य बराबर होते हैं चाहे वह घटक दल के नेता हों या आपके दल के कोई सदस्य हों । इस प्रश्न को सरकार ने परिवहन विभाग में स्थानान्तरित किया है, आसन चाहता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और आसन यह कह भी चुका है ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, कल जवाब देने के लिए निदेश दिया जाय । कल तक हाऊस है, कल जवाब दें ।

तारांकित प्रश्न संख्या-181(श्री राजीव नंदन)

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, स्वीकारात्मक है । प्रश्नाधीन निविदा निष्पादन हेतु दिनांक 03.08.2016 को विभागीय निविदा समिति के समक्ष रखने का निर्णय है । निविदा निष्पादन के उपरान्त चयनित संवेदक द्वारा माह सितम्बर,16 में कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री राजीव नंदन : धन्यवाद ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सामूहिक जिम्मेवारी का मामला है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-182(श्री अवधेश सिंह)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पथ की लम्बाई 0.8 कि.मी. है, जो ईटकृत है, ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के अन्तर्गत सर्वे किया जा चुका है, उक्त बसावट की आबादी 46 अंकित है जो 100 से कम आबादी के रेंज में पड़ेगा। इसे पंचायती राज विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा ।

श्री अवधेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ग्रामीण सड़क है लेकिन जो मुख्य सड़क है वह बाधित होता है, सारी गाड़ियां वैशाली के लिए इसी सड़क से निकलती है, और कच्ची से भी खराब स्थित उस सड़क की है तो माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि उसको जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक ।

प्रश्न संख्या-183(श्री प्रभुनाथ प्रसाद)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत इचरी मौजा प्रखण्ड गड़हनी के ऊपर बांगर गांव, तरारी प्रखण्ड एवं सोनवर्षा, तरारी प्रखण्ड के पास बनारस नदी में बांध निर्माण करने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में सर्वेक्षण कराया गया था, सर्वेक्षणोपरान्त इस प्रकार की योजना के निर्माण से व्यापक क्षेत्र में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जायेगी । अतएव बांध का निर्माण तकनीकी रूप से सम्भाव्य नहीं पाया गया, बनारस नदी समतल क्षेत्र से होकर गुजरती है अतएव किसी अन्य स्थल पर भी योजना के सम्भाव्य होने की सम्भावना नहीं है, जहां तक कुरमुरी रजवाहा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रश्न है तो खरीफ सिंचाई 2016 में, नहर की पूरी लम्बाई 28 कि.मी. के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।

प्रश्न संख्या-184 (श्री विनोद कुमार सिंह)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ राज्य कोर नेटवर्क के सी0.एन. सी.पी.एल. के क्रमांक -4 पर अंकित है । प्रथमिकता क्रमानुसार एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर इसका निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय , आजमनगर प्रखण्ड बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना भी चाहेंगे कि इसी 2016-17 में मात्र 8 कि. मी. का सड़क बनवाने का विचार रखते हैं ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : हम देख लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक ।

प्रश्न संख्या- 185 (श्री जितेन्द्र कुमार)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, खंड-1 : स्वीकारात्मक है । उपर्युक्त पथ मुख्यमंत्री ग्राम्य सम्पर्क योजना 2015-16 में माननीय विधायक महोदय के द्वारा अनुशंसा किया गया है, यह योजना राज्य कोर नेट वर्क के पेज-56 के क्रमांक-2 पर अंकित हैं । क्रमानुसार एवं निधि उपलब्धता के अनुसार कार्य करा लिया जायेगा ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, क्या इस वित्तीय वर्ष में यह काम पूरा हो जायेगा ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री- इनसे बात हो चुकी है महोदय ।

अध्यक्ष : हो चुकी है ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अब उसके बावजूद यह क्याश्चन कर रहे हैं, महोदय मतलब फिर पूछ रहे हैं, कल तो इनसे बात हो चुकी है ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, मैं केवल आश्वासन चाहता हूँ कि क्या इस वित्तीय वर्ष में पूरा हो जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आपसे जानना चाह रहे हैं कल जो इनसे बात हुई उसका असर क्या है ?

श्री जितेन्द्र कुमार : इसका असर यही है कि 2015-16 में भी मैंने अनुशंसा किया था लेकिन आज तक नहीं बना तो हम चाहते हैं कि आगे इसकी अनुशंसा हो कि बन जाय ।

अध्यक्ष : ठीक । फिर बात कर लीजियेगा ।

प्रश्न संख्या- 186(श्री भोला यादव)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री :अध्यक्ष महोदय, खंड-1 स्वीकारात्मक है ।

खंड-2 -स्वीकारात्मक है ।

खंड-3 किरतपुर प्रखण्ड का मुख्यालय झगडुआ में अधिसूचित है, जिला पदाधिकारी, दरभंगा के प्रतिवेदन के अनुसार झगडुआ मौजा में इस हेतु रैयती भूमि उपलब्ध है परन्तु स्तर नीचे एवं आवागमन की असुविधा रहने के कारण तत्काल घनश्यामपुर में कैम्प कार्यालय के रूप में प्रखण्ड का कार्यालय निष्पादित किया जा रहा है । ।

श्री भोला यादव : महोदय, उस समय में आवागमन की सुविधा नहीं थी जिस समय स्थापित हुआ था दस साल पहले, अब पक्की सड़क बन गई है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में जमीन है और प्रखण्ड कार्यालय बनाने के लिए हमारी जो जानकारी है कि जमीन उपलब्ध है भवन बनाने के लिए, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कब तक भवन बनवा करके उक्त स्थल पर प्रखण्ड कार्यालय का संचालन करेंगे ?

टर्न-2: ज्योति/03-08-2016

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि वहाँ पर लो लैण्ड रहने के कारण जमीन का अधिग्रहण किरतपुर में नहीं किया जा सका है और माननीय सदस्य कहते हैं कि जमीन उपलब्ध है इसको देखवा लेंगे और माननीय सदस्य से भी बात करके जो उचित रास्ता होगा, नियमानुकूल होगा, किया जायगा।

श्री नंद किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र स्थिति है महोदय, तीन-तीन मंत्रियों ने जवाब दिया और तीनों के जवाब में दम नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है , महोदय, मुझे बड़ा विचित्र दिखायी पड़ा है कि सत्तारुढ़ दल के एक विधायक के प्रश्न पर आप तो कहते हैं कि बात कर लीजिये और जब दो घटक के लोग प्रश्न करते हैं चाहे कांग्रेस के लोग हों या आर0जे0डी0 के लोग हैं उनके प्रश्न का समुचित जवाब नहीं मिल रहा है हो क्या रहा है, सरकार को हो क्या गया है ? महोदय एक पार्टी की सरकार है या गठबंधन की सरकार है , दम क्यों नहीं है मंत्रियों के जवाब में महोदय ।

अध्यक्ष : जो भी हो रहा है, आपको उससे खुशी है कि तकलीफ है ?

श्री श्रवण कुमार : जब माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य संतुष्ट हैं तो माननीय श्री नंद किशोर बाबू वरीय नेता रहे हैं...

अध्यक्ष : श्रवण बाबू, संतुष्टि और असंतुष्टि के अलग-अलग कारण होते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या 187 (श्री रामदेव राय)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुलिया शीर्ष एन0एम0जी0एस0वाय0 अर्न्तगत निर्मित बछवाड़ा चट्टी से हारा पथ के दूसरे कि0मी0 के पथांश पर अवस्थित है पुराना पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है एवं आवागमन चालू है उक्त स्थल पर पाँच मीटर पुलिया की आवश्यकता है, इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता से प्रतिवेदन की मांग की जा रही है ।

श्री रामदेव राय : मंत्री जी से तो मैं पूरक पूछना ही नहीं चाहता था, मैं जानता हूँ कि मंत्री जी अच्छे आदमी हैं । प्रश्नकर्ता के अभिप्राय को समझते होंगे मगर अपने विभाग पर उनको थोड़ा

ध्यान रखना चाहिए कितना गलत उनको जवाब भेज दिया है कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है और आवागमन चालू हैं। वहाँ के लोगों को सघन आबादी वाले लोगों को 5 कि०मी० घूमकर अपने गांव पहुंचना पड़ता है, इनको जवाब दे दिया है कि आंशिक क्षतिग्रस्त है और आवागमन भी चालू है मंत्री जी साथे चलें, आज हमलोग साथ चलकर देख लेंगे कल भी हाउस है तो कल के बाद चलेंगे नहीं तो मेरा अभिप्राय इतना ही है कि इस अगस्त में काम शुरू होना चाहिए। सिर्फ हमको इतना ही से जरूरत है।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य चूँकि वरिष्ठ है हमने कहा कि इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता से प्रतिवेदन की मांग की जा रही है हम इसको देखवा लेंगे।

श्री राम देव राय : महोदय, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं।

अध्यक्ष : आपने जो कहा उसको मान ही रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा कि आवागमन चालू का प्रतिवेदन आया है, उसको ये चुनौती दे रहे हैं, इसको देखवा लीजिये।

श्री रामदेव राय : आंशिक क्षतिग्रस्त जो बताया है वह भी गलत है, पूर्ण क्षतिग्रस्त है।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : जी देखवा लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 188 (श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, 1-अस्वीकारात्मक है। कल्याणपुर प्रखण्ड के चकिया केसरिया पी०डब्लू०डी० रोड के उत्तर वृन्दावन चौर का पानी उक्त रोड में अवस्थित तीन अदद पुलिया के माध्यम से दक्षिण दिशा की ओर बढ़कर बेंगवा नदी में मिलता है जो पुनः दक्षिण पूर्व दिशा की ओर आगे जाकर झाझा नदी में मिश्रित हो जाती है। तीनों अदद पुलियों में से एक अदद पुलिया के मुहाने को निजी व्यक्ति के द्वारा मिट्टी भरकर जल निकासी को अवरुद्ध कर दिया गया है। ग्रामीणों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि जिस व्यक्ति के द्वारा जमीन मिट्टी से भरा गया है वह उस व्यक्ति की निजी जमीन है। शेष दो अदद पुलियों से वृन्दावन चौर से जल की निकासी में कोई बाधा नहीं है तथा वर्तमान में किसी प्रकार के कोई जल जमाव की समस्या नहीं है।

2- जिला पादाधिकारी पूर्वी चम्पारण को अतिक्रमण से संबंधित वास्तविक स्थिति से अवगत कराने एवं यदि अतिक्रमण हुआ है तो उक्त पुल पुलियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विभागीय पत्रांक 694 दिनांक 1-8-2016 से अनुरोध किया गया है। मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर को बाढ़ अवधि के उपरान्त जल निकासी हेतु आवश्यकतानुसार सर्वेक्षणोपरान्त विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु विभागीय पत्रांक 693 दिनांक 1-8-2016 से निदेशित किया गया है।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दो खण्डों में है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मेरा जो दूसरे खण्ड का प्रश्न है जिसमें मैंने कहा है कि नदी को अतिक्रमित कर लिया गया है और फिर उस चौर से जो रास्ते निकलते हैं

चकिया-केसरिया तो वह एन0एच0 की घोषणा हो गयी है, उसमें पाँच पुल पुलिया है दोनों मिलकर और आपने कहा कि तीन पुलिया है और फिर यह स्वीकार भी किया है कि पहले उसको बंद कर दिया गया था । एक पुलिया को बंद कर दिया गया था ग्रामीणों से पूछने के बाद जिसका निजी जमीन है- रोड से 60 फीट के बाद निजी जमीन शुरू होती है रोड और जमीन के बीच में 60 फीट की दूरी है जो आपका नक्शा बताता है उस 60 फीट जो सरकारी जमीन है उसको भी बंद कर देना है जो निजी जमीन मालिक है क्या ऐसी बात है ? पूर्व में भी इस प्रश्न को दूसरे स्वरूप में विधान सभा में लाया था और इसमें मुझे जवाब दिया गया था कि थाने में भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है जो पत्र मेरे हाथ में भी है । पथ अवर प्रमंडल चकिया के पत्रांक 239 दिनांक 8-11-2014 एवं पत्रांक 59 दिनांक 24-2-16 द्वारा चकिया थाना में लिखित सूचना दिया गया है और प्रधान सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी को दूरभाष पर पुलिया के सामने से मिट्टी हटाने हेतु अनुरोध किया गया था । इसी विधान सभा के पिछले सत्र में मार्च में जवाब दिया गया है, विधान सभा को जो जवाब दिया गया था वह मेरे हाथ में है । यह पत्र भी दिलवा दूँगा जो दूसरे स्वरूप में प्रश्न आया था अभी तक इस पुल पुलिया को खाली नहीं कराया गया है । यह अलग बात है कि बारिश कम हुई है जिसके चलते जल जमाव नहीं है हमलोगों का घर बगल में है और हमलोग कई बार कम से कम दसों बार देखें होंगे 15-20 फीट पानी आता है इस बार भी अगर पानी आ जाय और तीनों पुल बंद है मात्र एक पुल चालू है और नदी को कंपलीट अतिक्रमित कर लिया गया है इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिन्होंने नदी को अतिक्रमित किया है, जिसपर चिमनी बना दिया है, ईंट भट्टा लग गया है, घर बना दिया गया है कब तक खाली करायेंगे इसकी समय सीमा बतायें ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने बताया अपने उत्तर में कि दो निदेश दिया गया है एक निदेश जिलाधिकारी को चूँकि अतिक्रमण कहीं है और जमीन किसकी है किसकी नहीं है, यह निर्णय जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा ही किया गया है उनके जमीन के जो कागजात हैं उसको देखने के बाद जिलाधिकारी के स्तर पर निर्णय होगा इसलिए मैंने माननीय सदस्य को बताया कि एक हमने निदेश दिया है जिलाधिकारी को कि उसके जमीन के संबंधित जो भी तथ्य है उसको तथ्य तक पहुंच कर और अगर अतिक्रमण है तो उससे उसको अतिक्रमण से मुक्त करा देने के लिए हमने निदेश दिया है। दूसरा पार्ट जो जल जमाव की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं मैंने वह भी कहा है कि बाढ़ के बाद मैंने उत्तर में कहा कि मुजफ्फरपुर चीफ इंजीनियर फ्लड को यह कहा गया है कि बाढ़ के बाद इमीडियेटली सर्वे करके वहाँ का जल जमाव है उससे निजात दिलाने के लिए जो भी योजना है उस योजना को समर्पित करें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अब माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूँ लेकिन एक बात का आश्वासन चाहिए कि बाढ़ के बाद समय सीमा निर्धारित कर दीजिये नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी कोई एक समय बता दीजिये कि हम दिसम्बर तक जल जमाव से मुक्ति दिलवा देंगे, समय सीमा बतला दीजिये । बाढ़ के बाद फिर कोई आवश्यक काम हो जायेगा विभाग को इसलिए समय सीमा बतला दिया जाय ।

टर्न-3/ 03.08.16/विजय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-189(श्री फैयाज अहमद)

अध्यक्ष:

प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री विजय प्रकाश, मंत्री:

1. स्वीकारात्मक है ।

2. अस्वीकारात्मक है ।

प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिस्फी के पत्र संख्या-310 दिनांक 11.11.2014 के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में संस्थान के भू-अर्जन हेतु संबंधित भू-स्वामी से किये गये एकरारनामा में स्थानीय भू-स्वामी मास्टर रिजवान बिस्फी हाट मधुबनी का नाम प्रस्तावित नहीं है ।

3. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि समाहर्ता, मधुबनी के पत्र संख्या-115 प्रशिक्षण संस्थान, बिस्फी मधुबनी के भवन निर्माण हेतु मौजा बिस्फी थाना संख्या-171 में 4.24 एकड़ भूमि का मूल्यांकन कर एक करोड़ बावन लाख चौसठ हजार रूपये का मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । इसी बीच एक रामकृष्ण दास ग्राम खिखड़ीपट्टी पोस्ट-खैरी बांका प्रखंड तथा बिस्फी जिला के मधुबनी द्वारा अपनी तीन बीघा भूमि स्वेच्छा से दान करने हेतु जिला पदाधिकारी मधुबनी से निवेदन करते हुए ज्ञाप संख्या विभाग को अवगत कराया गया । तदलोक में निदेशालय के पत्रांक 1159 दिनांक 20.04.16 द्वारा जिलाधिकारी मधुबनी को रामकृष्ण दास द्वारा प्रस्तावित भूमि खाता संख्या-295 खेसरा संख्या-309,256,869,1070 का निरीक्षण कर भूस्वामित्व विवाद रहित एवं संस्थान हेतु उपयोगिता से संबंधित जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी मधुबनी के पत्रांक 213 दिनांक 2.8.16 द्वारा बताया गया कि श्री रामकृष्ण दास द्वारा प्रस्तावित भूमि की जांच अंचलाधिकारी, बिस्फी द्वारा कराते हुए श्री दास के स्वामित्व की कुल भूमि एक एकड़ 93 डिसमिल शेष जमीन एक एकड़ 7 डिसमिल बदलनामा के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है जिससे संबंधित समुचित प्रतिवेदन पूर्णतः जांचों उपरांत उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा एक पक्ष की अवधि की मांग की गयी है ।

श्री फैयाज अहमद: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि जो जमीन प्रस्तावित था जो प्रखंड मुख्यालय में है, और एक जिस जमीन के बारे में कह रहे हैं खिखड़ीपट्टी में कोई महंथ ने देने का वादा किया है जो बहुत सुदूर है वहां आवागमन की भी दिक्कत है और जो जमीन तीन एकड़ की बात कही जा रही है वह कई खंडों में है जहां संस्था नहीं बन सकता है। हमारा कहना है कि चूंकि मुख्यालय में यह इंस्टीच्युशन है और मुख्यालय में ही यह जमीन उपलब्ध है। जिस जमीन के बारे में बोले हैं कि 4 एकड़ जमीन का मूल्यांकन कराया गया था। तो हमारा आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि उसकी जांच करा लें और जांच कराकर देख लें कि दोनों में कौन उपयुक्त होगा? जिनसे मंत्री जी चाहें जांच करा लें तो वस्तुस्थिति मंत्री जी को क्लीयर हो जाएगा।

श्री विजय प्रकाश,मंत्री: वह जांच करा रहे हैं फैयाज साहब आपसे बात हुई थी लेकिन रिजवान साहब जो हैं आपके दिये भी नहीं थे प्रस्ताव में और हम उसको जांच करवा रहे हैं आपको हम संतुष्ट कर देंगे।

श्री फैयाज अहमद: माननीय मंत्री जी, मास्टर रिजवान साहब वाला छोड़िये जो खिखड़ी आपके यहां आया हुआ है उसी को करा लीजिये।

(व्यवधान)

श्री रामदेव राय: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। आर्डर शीट में मुझे मिला है आज पूछे जाने वाले सवाल तारांकित प्रश्न संख्या-क-01 मगर आसन के द्वारा मेरा नाम पुकारा नहीं गया है। आखिरी पृष्ठ के चौथे नं० पर है।

अध्यक्ष: इसको दिखवा लेंगे।

श्री रामदेव राय: दिखवा लीजिये।

तारांकित प्रश्न संख्या-190 (श्री उमेश सिंह कुशवाहा)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री: 1. स्वीकारात्मक है। वर्तमान में उक्त बांध मिट्टी से निर्मित है। उक्त बांध पर बोल्टर पिचिंग नहीं किया गया है।

2. अस्वीकारात्मक है। वर्तमान में उक्त बांध में कटाव की कोई समस्या नहीं है। बाढ़ अवधि 2016 में उक्त बांध की सतत् निगरानी की जा रही है। बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर उक्त बांध को सुरक्षित रखने का कार्यक्रम है।

3. बाढ़ अवधि 2016 के उपरांत कटाव निरोधक समिति द्वारा उक्त बांध के स्थल निरीक्षण के उपरांत आवश्यकतानुसार बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने पर विचार किया जाएगा।

श्री उमेश सिंह कुश्वाहा: महोदय, पानी का लेवल काफी उंचा हो गया है बढ़ गया है । कटाव तो थोड़ा चालू है ही और वहां पर जो उसके आगे हाई स्कूल के नजदीक से जो हसनपुर बोर्डर तक जो हुआ है बोल्टर पिचिंग कार्य जो 15 वर्ष पूर्व हुआ था उसका कैरेट पार्ट टूट रहा है बोल्टर जो है वह अपने स्थान से नीचे घसक रहा है, खतरा बना हुआ है उसको भी दिखवा लिया जाय । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको भी दिखवा लिया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-191 (श्री मुन्द्रिका सिंह यादव)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: 1. स्वीकारात्मक है ।
2. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ श्रेणी-1 के अंतर्गत है तथा इस पथ की मरम्मत का कार्य प्रगति में है । पथ की लंबाई 20.50 कि०मी० है । एकरारनामा के अनुसार कार्य जनवरी,17 तक पूर्ण करने का प्रस्ताव है ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बता रहे हैं कि कार्य प्रारंभ है लेकिन ऐसी बात नहीं है । यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पथ है तीन प्रखंड से होकर गुजरती है और मेरा घर भी उसी प्रखंड में पड़ता है महोदय । बहुत नजदीकी से जानता हूं कोई काम नहीं हो रहा है । इसलिए माननीय मंत्री से हम जानना चाहते हैं कि कब तक इस पथ की मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर देंगे ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, हमने स्वयं मुख्य अभियंता द्वारा कार्यपालक अभियंता से हम बात करवाये उनका कहना था कि पांच कि०मी० में ग्रेड-1 का काम जो मरम्मत का है वह शुरू हो चुका है । तो माननीय सदस्य का जो कहना उसको हम दिखवा लेते हैं और निश्चित जनवरी,17 तक वह काम पूर्ण नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-192 (श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: 1. आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है ।
औरंगाबाद जिलान्तर्गत कारा से डिहरा दो प्रखंड यथा ओबरा एवं वारूण प्रखंड में पड़ता है जिसकी लंबाई 14 कि०मी० है । इस पथ की अंश कारा मोड़ से बरौली तक 10.450 कि०मी० का निर्माण सितंबर 2015 में पी०एम०जी०एस०वाई० के तहत निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है । बरौली से डिहरा पथ भी ठीक स्थिति में है । यदि पथ निर्माण विभाग में अधियाचना प्राप्त होती है तो पथ निर्माण विभाग को स्थानान्तरण करने पर विचार किया जा सकता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-193 (श्रीमती लेशी सिंह)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल अप स्ट्रीम में 6 कि०मी० पर पुल निर्मित है एवं डाउन स्ट्रीम में ढाई कि०मी० में हथिया दियरा पुल स्वीकृत है जो निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है । प्रश्नाधीन पुल से निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमती लेशी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी को जानकारी देना चाहती हूँ कि जिन पदाधिकारी ने यह रिपोर्ट दिया है वह गलत दिया है । फिर से माननीय मंत्री जी इसको जांच करवा लें और भौगोलिक दृष्टिकोण से वहां पर पुल बनना आवश्यक है । कोशी नदी दो भाग में बंटी है एक हथिया दियरा से गंधा घाट की ओर आयी है और दबेली घाट की ओर जाती है तो पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में यह नदी विभक्त है । महोदय यह जो पुल हथिया दियरा का है यह दक्षिण से उत्तर की ओर जोड़ने वाली है और मैंने जो प्रश्न किया है वह दबेली पंचायत का पश्चिमी हिस्सा और जहां पर खैरा नदी में पुल बनना है उससे पूरब का हिस्सा के लोगों को वहां पर पुल बनने से आवागमन में सुविधा होगी । माननीय मंत्री जी को जिन पदाधिकारी ने जवाब दिया है वह गलत दिया है । भले ही वह ढाई कि०मी० का या चार कि०मी० का जिक्र किये हों लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से वहां पर पुल बनना काफी जरूरी है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी यह जरूरी है । इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी कि पुनः इसको जांच करा लें और जांच कराने के बाद वहां पर खैरा नदी पर यदि पुल बन जाता है तो जो उस इलाके के लोग हैं पूरब का हिस्सा का जो दर्जनों गांव है उनको 20 कि०मी० दूरी तय कर आना पड़ता है गंधा अनुमंडल में प्रखंड मुख्यालय है । इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि इसको पुनः जांच करा लें ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय जी । आपने अपने तारांकित प्रश्न संख्या-क-1 के बारे में कहा था जिसका उत्तर संलग्न है । विभाग से उत्तर आ गया है इसलिए संलग्न कर सर्कुलेट कर दिया गया है । आपका प्रश्न आज का जो शिड्युल है इसमें लिस्टेड है, सूचीबद्ध है । 215 नं० पर आपका प्रश्न है, अभी हमलोग 194-193 पर चल रहे हैं ।

टर्न-4/3.8.2016/बिपिन

- श्री रामदेव राय: जो भी हो, जो ऑर्डर पेपर में है, मैं उसी को देखा ।
 अध्यक्ष : क-01 तारांकित ।
 श्री रामदेव राय: क-01, इसका अर्थ क्या हुआ ?
 अध्यक्ष : वह तो इंटरनल नम्बरिंग दी जाती है विभाग से पत्राचार के लिए । आज के प्रश्नों की सूची में आपका प्रश्न 215 पर सूचीबद्ध है और अभी हमलोग 193-194 पर चल रहे हैं ।
 श्री रामदेव राय: उस पर कोई आपत्ति नहीं है । मुझे सिर्फ यह आपत्ति है कि इसमें लिखा हुआ है कि दिनांक 3.8.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-क-01..
 अध्यक्ष : हां, यह तो सही है न ! यह तो सही लिखा हुआ है न ! आज आपका प्रश्न सूचीबद्ध है । प्रश्न संख्या- 194.

तारांकित प्रश्न संख्या- 194 (श्री विनय वर्मा)

- श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री: महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।
 2- रूपांकन संगठन द्वारा स्थल जांच कराया जाएगा । स्थल जांचोपरांत योजना तकनीकी दृष्टिकोण से संभाव्य पाए जाने पर इसके निर्माण की कार्रवाई की जाएगी ।
 श्री विनय वर्मा: स्थल की जांच हो गई है सर । फाइल मूव कर रही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कब तक वह बन जाएगा ?
 अध्यक्ष: उन्होंने दोनों बात न कहा कि जांच कराने के बाद तकनीकी संभाव्यता देख रहे हैं । तकनीकी संभाव्यता, मतलब, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी देख रही है विभाग । वह अगर टेक्निकली फिजिबुल माना जाएगा तो सरकार करा देगी ।
 श्री विनय वर्मा: धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 195 (श्री राघव शरण पाण्डेय)

- श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।
 2- स्वीकारात्मक है ।
 3- राष्ट्रीय उच्च पथ सं0-28बी के किलोमीटर 104.2 से 109.8 तक मदनपुर से यू.पी. बॉर्डर तक पथांश वाल्मिकी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट एरिया में पड़ता है । इस संदर्भ में वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक वाल्मिकी व्याघ्र परियोजना प्रमंडल-2, बेतिया से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है जो अप्राप्त है । वर्तमान में नए मागरेखन न्यू एलायन्मेंट का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है ।

श्री राघव शरण पाण्डेय: महोदय, पिछले तीन वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं की गई है और पता करने पर यह पता चला कि चूंकि यह व्याघ्र परियोजना का क्षेत्र है, भारत सरकार के वन मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दिया गया है इसलिए इसकी मरम्मत नहीं कराई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 2015 में एक बैठक हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया कि इसको कराने के लिए भारत सरकार में भेजना आवश्यक है तो हमलोग क्यों भेजें, जब बैन है तो बैन है, अल्टरनेटिव एलायन्मेंट बना कर इस पर काम करें लेकिन क्या सरकार को मालूम है कि उसके बाद भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय ने और रोड ट्रान्सपोर्ट मंत्रालय ने, दोनों ने यह निर्णय लिया है कि जहां-जहां रोड मरम्मत की आवश्यकता है, नए रोड नहीं बनाए जाएं, चौड़ीकरण नहीं किया जाए लेकिन the cases of resurfacing and strengthening of existing roads not involving widening will be in the protected area will be possible without refrenstanding committee for national boards for wild life. क्या सरकार ने इस पत्र का संज्ञान लेकर इस पर पुनर्विचार करके उसको मरम्मत करने का निर्देश देने का सोचा है ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: सरकार ने वन प्रमण्डल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक वाल्मिक व्याघ्र परियोजना प्रमण्डल-2, बेतिया से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। अभी तक वह प्राप्त नहीं हुआ है। अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त होने की सूचना यदि नहीं प्राप्य है, नहीं दिया जा सकता है, मिलने के बाद सरकार उस पर विचार करेगी और उसके अनुरूप सरकार उसके भी मरम्मती की व्यवस्था करेगी। तत्काल यही है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसके तहत न्यू एलायन्मेंट के तरफ सरकार बढ़ रही है।

अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं उनसे वह पत्र प्राप्त कर लीजिएगा अगर अभी उपलब्ध नहीं है तो। उनका कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वॉयरन्मेंट एंड फॉरेस्ट, भारत सरकार और सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री है, दोनों ने पत्र लिखा है कि अब हम नए एलायनमेंट का परमीशन नहीं देंगे, लेकिन जहां एक्विजिस्टिंग रोड है जिसकी मरम्मती के लिए आपने वन विभाग से परमीशन मांगा है, उनके पत्र में उन्होंने पढ़ा है कि इसकी स्वीकृति देने की प्रक्रिया उन्होंने निर्धारित कर दी है जिसके तहत उसकी स्वीकृति दी जायेगी। उस आलोक में देख लीजिएगा उसको।

श्री राघव शरण पाण्डेय: महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार पथ निर्माण विभाग यह चाहता है कि उसकी मरम्मत की जाए, लेकिन राज्य सरकार का पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण विभाग उसकी अनुमति नहीं दे रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि दोनों में समन्वय करके उच्चस्तरीय एक बैठक करके इन सब पत्रों को देख कर इसका निराकरण कर लिया जाए, यह जनहित की आवश्यकता है, वनहित की भी आवश्यकता है।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: देखवा लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 196 (श्री विद्या सागर सिंह निषाद)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत पटोरी प्रखंड के हसनपुर, सुरत एवं सिरदीलपुर, सुपौल पंचायत में बहने वाली नदी वाया नदी है । यह नदी हसनपुर, सुरत ग्राम के बीच से बहती है जबकि सिरदीलपुर, सुपौल पंचायत इस नदी के बाएं तटबंध पर अवस्थित है । इन दोनों ग्रामों के निकट वर्तमान में कटाव नहीं हो रहा है । हसनपुर, सुरत ग्राम में नदी के दोनों किनारे पर सड़क एवं कच्चा-पक्का घर है । नदी पर निर्मित एकपथीय पुल के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में नदी का दायां किनारा पूर्व से क्षतिग्रस्त है जिसपर बाढ़ अवधि में सतत निगरानी रखी जा रही है । आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर बांध को सुरक्षित रखा जाएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 197 (श्री सुदामा प्रसाद)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री: महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । इस योजना अन्तर्गत औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड में पुनपुन बराज का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है एवं इसके साथ हेड, रेगुलेटर, गाइड एवं एफ्लेक्स बांध का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है । इससे निसृत 28.89 कि.मी. दायां मुख्य नहर एवं उससे निश्चित 45.80कि.मी. लम्बी पुनपुन शाखा नहर एवं 15.245 कि.मी. लम्बी किंजर वितरणी है । इसके अतिरिक्त अन्य वितरण प्रणालियों का भी निर्माण किया जाना है ।

2- पुनपुन बराज हमीदनगर में है जहां से 28.69कि.मी. लंबी पुनपुन मुख्य नहर जहानाबाद जिला तक, जबकि पुनपुन मुख्य नहर से निकलने वाली पुनपुन शाखा नहर जहानाबाद जिला से होते हुए पटना जिला तक तथा पुनपुन मुख्य नहर से निकलने वाली किंजर वितरणी अरवल जिला से जहानाबाद होते हुए पटना जिला तक पहुंचेगी ।

3 अस्वीकारात्मक । पुनपुन बराज से निकलने वाली मुख्य नहर की लंबाई 28.89 कि.मी. है । इसके अतिरिक्त पुनपुन शाखा नहर जिसकी लंबाई 4.80 कि.मी. है के लिए 280 फीट से 212 फीट चौड़ी पट्टी में भू-अर्जन तथा किंजर वितरणी जिसके लंबाई 15.245कि.मी. है, के लिए 200फीट की चौड़ाई में भू-अर्जन की गई है । इन नहरों से निकलने वाली अन्य वितरण प्रणालियां भी हैं जिसका निर्माण किया जाना है और इसके लिए भी भूमि अधिग्रहण हो रहा है । अतएव 28.89कि.मी. लंबाई से अधिक लंबाई में भूमि अधिग्रहण आवश्यक है ।

4- उपरोक्त कॉडिका-3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

टर्न:05/कृष्ण/03.08.2016

श्री मुद्रिका सिंह यादव : महोदय, हमीदनगर पुनपुन सिंचाई योजना मध्य बिहार की अतिमहत्वपूर्ण योजना रही थी । इसी सिंचाई योजना को ले कर के अमर शहीद जगदेव आंदोलन करते

हुये 5 सितंबर, 1974 को कुर्था प्रखंड मुख्यालय पर अपनी शहादत देने का काम किया था। महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में इस योजना की शुरुआत की गयी थी।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री मुद्रिका सिंह यादव : महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि बराज बनकर तैयार है लेकिन नहर की खुदाई नहीं हो रही है। जिन किसानों की उसकी खुदाई में जमीन जाना है, उनकी मुआवजा का भुगतान नहीं किया जा रहा है लंबे काल से और किसान आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। नतीजा है कि नहर की खुदाई नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा का भुगतान कब तक करेंगे और नहर की खुदाई का कार्य कब तक सुनिश्चित करेंगे ?

अध्यक्ष : आपका पूरक प्रश्न मूल भावना से अलग है। वह बेकार में अधिग्रहण क्यों कर रहे हैं यह आप पूछ रहे हैं। यह कहिये कि अधिग्रहण करके जल्दी नाला बनवा दीजिये।

श्री मुद्रिका सिंह यादव : महोदय, अधिग्रहण हो चुका है। किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। यह मेरा पूरक प्रश्न है।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, उस बात की सतत निगरानी की जा रही है, उसका रेगुलर मोनिटरिंग हो रहा है, वह योजना सरकार के कार्य योजना में जो 2017-18 तक उस योजना को पूरा करने का लक्ष्य है और इसलिये उसकी पूरी निगरानी की जा रही है। भूमि अधिग्रहण में कई जगह भूमि आधिपत्य को लेकर विवाद होने के कारण, भूमि का जो अधिग्रहण की राशि है उसका वितरण नहीं हो पा रहा है। हमलोगों ने अभी यह फैसला किया है कि जहां भी इस तरह की आधिपत्य की समस्या हो, उसका पैसा कोर्ट में जमा कर दीजिये और उसके बाद उस पर पजेशन लेकर उस पर काम शुरू कर दीजिये। कोर्ट जिसके पक्ष में आधिपत्य देगा उसको मुआवजा की राशि कोर्ट से मिल जायेगा।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या 198, माननीय सदस्य श्री सुधांशु शेखर। प्रभारी मंत्री।

तारांकित प्रश्न संख्या : 198 (श्री सुधांशु शेखर)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, खंड-1 : स्वीकारात्मक है।

खंड- 2 : स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बाढ़ पीड़ितों द्वारा क्षतिग्रस्त किये गये विद्युतीकरण की मरम्मत का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण करा दिया जायेगा।

खंड-3 : उत्तर खंड 2 में सन्निहित है।

तारांकित प्रश्न संख्या : 199 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री राजीव रंजन सिंसह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, खंड 1 : वस्तुस्थिति यह है कि काकर घाटी शाखा नहर के आर0 डी0 107.50 पर निर्मित हेड रेगुलेटर विगत पांच वर्षों से क्षतिग्रस्त है । प्रश्नगत हेड रेगुलेटर को पुनर्स्थापित करने का काम प्रगति पर है ।

खंड 2 : वस्तुस्थिति यह है कि काकर घाटी शाखा से निकलने वाली लघु नहरों एवं उप लघु नहरों का कार्य अधूरा रहने के कारण सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है । पूर्व में योजना ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत था, जिसके अवशेष कार्यों को अब राज्य योजना मद से कराया जा रहा है भू-अर्जन पंचाटियों के भुगतान की समस्या को कारण कार्य की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है, जिसमें तेजी लाने का मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा को पत्रांक 2012 दिनांक 01.08.2016 द्वारा दिया गया है ।

खंड 3 : प्रश्नगत हेड रेगुलेटर का पुनर्स्थापन का कार्य प्रगति पर है। आवश्यकतानुसार बांधों के सुदृढीकरण का कार्य खरीफ सिंचाई के उपरांत किये जाने का निर्देश मुख्य अभियंता,सिंचाई सृजन, दरभंगा को पत्रांक 2012 दिनांक 01.08.20016 द्वारा दिया गया है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब सकारात्मक है । मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि अभी धान की रोपनी और पटवन का समय था, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, फिर गेहूं की खेती होगी तो क्या माननीय मंत्री जी इसका समय-सीमा निर्धारण करेंगे कि सुदृढीकरण का काम दिसंबर,16 तक करा देंगे जिससे कि गेहूं के पटवन में लोगों को सुविधा होगी । दूसरा यह कि यह पांच पंचायतों के लोगों का आने-जाने का रास्ता भी है माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस पर पक्की सड़क का निर्माण करा देते तो स्थायी निदान भी हो जाता, बांध जो इनका सेवा पथ है, वह टूटता भी नहीं और किसानों को पटवन में कभी कठिनाई नहीं होगी माननीय मंत्री इसमें समय-सीमा निर्धारित कर दें ।

अध्यक्ष : आपने कहा कि सकारात्मक जवाब है ।

श्री ललित कुमार यादव : सकारात्मक जवाब है । लेकिन माननीय मंत्री समय-सीमा निर्धारित कर दें ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को मैंने बताया कि दो बातें हैं- एक तो सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है । तो सिंचाई की सुविधा बांध के सुदृढीकरण से नहीं होगी । हमने बताया कि कैनल का पूरा काम नहीं हो पाया है क्योंकि भू-अर्जन पंचाटियों के बीच जो विवाद है उसके कारण नहीं हो पाया । एक तो माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि इसमें जरा पहल कीजिये और भू-अर्जन पंचाटियों के बीच में

जो झंझट है, उसको खत्म कराकर के भू-अर्जन की कार्रवाई खत्म करिये तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी । दूसरा जो सुदृढीकरण का है मुख्य अभियंता,सिंचाई सृजन,दरभंगा को निर्देश दे दिया गया है कि बाढ़ अवधि के बाद उसका सर्वेक्षण कराकर रिपोर्ट दीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 200 (श्री आनन्द शंकर सिंह)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लनन सिंह, मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । बटाने जलाशय योजना बिहार एवं झारखंड राज्य की एक संयुक्त सिंचाई योजना है । योजनान्तर्गत 67.90 मिलियन घनमीटर जल संग्रहण हेतु बटाने डैम का निर्माण झारखंड राज्य के पलामू जिला के छतरपुर प्रखंड के अधीन धोबीडीह गांव के निकट किया गया है । इसके 3 कि०मी० नीचे हरिहरगंज प्रखंड के लोदिया ग्राम में बराज निर्मित है, जिसके बाये एवं दांये ओर से बांया एवं दांया मुख्य नहर निःसृत है ।

इस योजनान्तर्गत बांध एवं बराज का निर्माण कार्य पूर्ण है । केवल बांध के स्पीलवे एवं स्लूईस गेट का अधिष्ठापन कार्य पुनर्वास समस्या के कारण बाधित है जिसके कारण यह योजना अभी भी वर्षा आधारित है । इस योजना पर अब तक 125 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है ।

बांये मुख्य नहर का कार्य पूर्ण है एवं दांये मुख्य नहर एवं इसके वितरण प्रणाली का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण है एवं शेष कार्य प्रगति पर है । बराज के छः अदद गेटों में से एक गेट को डूबा क्षेत्र के कृषकों द्वारा लगभग 3 फीट उठाकर बेल्ट कर दिया गया है । फलस्वरूप जलाशय में पानी का संग्रहण नहीं हो पाता है ।

उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य के अंतर्गत अवस्थित बटाने डैम को पूर्ण करने की जिम्मेवारी झारखंड सरकार की है । इस संदर्भ में झारखंड राज्य के अन्तर्गत कार्य अवयवों को पूर्ण करने के लिये दोनों राज्यों के बीच हुए एम०ओ०यू० के अनुसार बिहार सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि झारखंड सरकार की अधियाचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में भी रूपये 1944.575 लाख हस्तांतरित किया जा चुका है ।

झारखंड राज्य से दांये मुख्य नहर के अवशेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने एवं स्थानीय ग्रामीणों के पुनर्वास के मामले का समाधान करते हुये स्पीलवे के बेल्टेड किये गये गेट एवं डैम के दो स्लूईस गेटों को अधिष्ठापित कर परिचालित करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है । माननीय मंत्री जी से मेरा दो सवाल था और सवाल करीब-करीब स्वीकारात्मक के तौर पर है । लेकिन महोदय, जैसाकि हमें ज्ञात है एम०ओ०यू० जो झारखंड और बिहार के बीच में हुआ था उसका अनुपालन नहीं हो रहा है । चूंकि पिछले कई वर्षों से बजट सत्र के बाद भी हमें

जो ज्ञात है कि झारखंड और बिहार सरकार दोनों मिलकर इनके जो प्राधिकृत इन्जीनियर थे, वे दोनों सरकार से बैठ कर बात करते थे। तो हमारी सरकार वहां के विस्थापित लोगों को लेने के लिये, पैसा तो दे दी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और दोनों बिहार सरकार और झारखंड सरकार के पदाधिकारी जो हर तीन महीने पर बैठक करते थे, अबतक सरकार द्वारा नहीं पहल किया जा रहा है तो हम माननीय मंत्री के संज्ञान में आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि ये एक कमिटी बना दें और हमारी सरकार पैसा दे रही है और झारखंड में तो हमारी सरकार है नहीं। तो मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि एक उच्च स्तरीय कमिटी बना करके और हर तीन महीने पर जैसा पहले समीक्षा होती थी इसकी समीक्षा हो और विस्थापित लोगों को, वहां पर जो हमारी सरकार के द्वारा जो पैसा दिया गया है, उसको पुनर्वासित किया जाय।

श्री राजीव रंजन सिंह, उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, मैंने माननीय सदस्य को विस्तार से बताया कि यह पूरा कार्य झारखंड राज्य के द्वारा किया जाना है। बिहार को जो पैसा दिया जाना था, वह पूरा पैसा हमलोग झारखंड को स्थानान्तरित कर चुके हैं। अभी जो रीजनल स्टेट कौंसिल की मीटिंग हुई थी, इस्टर्न रीजनल कौंसिल की जो मीटिंग हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी गये थे, हमलोग भी गये थे और उस बैठक में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सिंचाई की जो अन्य समस्याएँ हैं, उसके अलावे भी उन समस्याओं को उन्होंने उठाया था।

..क्रमशः...

टर्न-6/राजेश/3.8.16

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : ...क्रमशः... और यह फैसला हुआ था कि बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव बैठेंगे और इशूज को आईडेंटिफाई करेंगे और इशूज को आईडेंटिफाई करने के बाद उसको दूर करने की दिशा में जो कार्रवाई होनी है, यह उनके स्तर पर होगी और जहाँ विवाद रह जायेगा वहाँ फिर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठ करके समस्याओं का समाधान करेंगे, तो ऐसा नहीं है मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि इसपर सरकार चिंतित है और सरकार इसपर कार्रवाई कर रही है।

अध्यक्ष:- ठीक है।

तारकित प्रश्न संख्या:-201(श्री कुमार सर्वजीत)

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री:- महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। प्रश्नागत पर्दन का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जायेगा। योजना तकनीकि दृष्टिकोण से संभाव्य पाये जाने पर प्राक्कलन तैयार कर बजट उपलब्धता के आधार पर सतत् प्रक्रिया के तहत अग्रतर कार्रवाई की जायगी।

तारांकित प्रश्न संख्या:-202 (डा0 मेवालाल चौधरी)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री:- महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है। मुंगेर जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड के ललिया चकबाग ग्राम के निकट पुल के निर्माण के लिए एन0ओ0सी0 हेतु कोई प्रस्ताव इस विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर (मुंगेर) द्वारा पुल के निर्माण के लिए एकरारनामा करने की केवल सूचना सिंचाई प्रमंडल, तारापुर को दी गयी है। ग्रामीण कार्य विभाग से इस एन0ओ0सी0 के लिए विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी।

डा0 मेवालाल चौधरी:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आर0ई0ओ0 विभाग ने पत्रांक संख्या-1428 के माध्यम से जल संसाधन विभाग को भेज दिया गया है और वह सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि जब तक हमको एन0ओ0सी0 नहीं मिलेगा, हम आगे का कार्य नहीं करेंगे।

अध्यक्ष:- माननीय मंत्री जी ने कहा कि एन0ओ0सी0 का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। जिस विभाग को पुल बनाना है उन्होंने एन0ओ0सी0 मांगा है क्या ?

डा0 मेवालाल चौधरी:- जी सर। हमारे पास पत्र है।

अध्यक्ष:- तो आप दे दीजियेगा माननीय मंत्री जी को।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री:- महोदय, मैंने बताया अपने उत्तर में कि कार्यपालक अभियंता ने कार्यपालक अभियंता को सूचित किया। विधिवत् विभाग की ओर से जब प्रस्ताव आयेगा, तभी विभाग उसपर विचार करेगा।

डा0 मेवालाल चौधरी:- महोदय, आर0ई0ओ0 विभाग(व्यवधान)

श्री नंदकिशोर यादव:- प्रस्ताव नहीं आया है तो क्या फर्क पड़ता है, आप उस विभाग से मांग लीजिये, आप मंत्री है, अगर काम कराना चाहते हैं तो मांग लीजिये और अगर काम को टालना चाहते हैं तो यह अलग बात है।

(व्यवधान)

डा0 मेवालाल चौधरी:- महोदय, जहाँ तक मुझे जानकारी है इंरिगेशन डिपार्टमेंट के एक्जेक्यूटिव इंजीनियर ने विभाग को यह पत्र भेज चुका है कि एन0ओ0सी0 दिया जा सकता है।

अध्यक्ष:- उन्होंने कहा कि वह प्रक्रिया आप करा दीजियेगा।

डा0 मेवालाल चौधरी:- धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न संख्या:-203 (श्री अचमित ऋषिदेव)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री:- महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ में ही दास से भटगावां कामत पथ के नाम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनासी0एन0सी0पी0एल0 में एल0 031 के रूप में अंकित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् प्रश्नाधीन पथ का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा।

श्री अचमित ऋषिदेव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि अररिया जिला अन्तर्गत भरगामा प्रखंड के धनेश्वरी पंचायत में पछुयारी टोला प्रधानमंत्री सड़क योजना भटगावाँ मेही चौक तक 3 किलोमीटर ईट सोलिंग बन गयी है और बीच में आर0ई0ओ0 से रोड दोनों साईड बन गया है लेकिन बीच में गैप है और वह काफी घनी आबादी है, आने-जाने वाले लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे ।

अध्यक्ष:- ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या:-204 (श्री दिनकर राम)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री:- महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पथ तीन प्रखंडों से संबंधित है:-

1. मेजरगंज प्रखंड के बराही हरिराम के चतरा टोला से महादलित मुशहरी टोला-तुरहा टोला अति पिछड़ा मलाही टोला होते हुए हनुमान नगर तक, टुनटुन पासवान के घर से हरपुर कला तक पथ:- मेजरगंज प्रखंड के बराही हरिराम के तुरहा टोला, चतरा टोला एवं महादलित मुशहरी टोला पथ जिसकी लम्बाई 1.75 कि० मी० है जो दो पी०एम०जी०एस०वाई० पथों को जोड़ती है । पी०एम०जी०एस०वाई० पथ के बराही चौक से तुरहा टोला की दूरी 350 मीटर है एवं तुरहा टोला से चतरा टोला की दुरी 450 मीटर है। यह पथ राज्य के किसी भी कोर नेट वर्क में नहीं लिया गया है। महादलित मुशहरी टोला को खैरवा भेलहिया पी०एम०जी०एस०वाई० पथ से सम्पर्कता प्राप्त है। मलाही टोला को गढ़वा विशनपुर पी०एम०जी०एस०वाई० से सम्पर्कता प्राप्त है। मुशहरी टोला से महादलित टोला होते हुए हनुमान नगर तक पथ की लम्बाई 2.25 कि०मी० है, जो आंशिक कच्ची एवं ईटीकृत है। हनुमान नगर को राज्य कोर नेटवर्क के तहत प्रस्तावित पथ जो वेलवा पड़री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रदान करने का प्रस्ताव है। टुनटुन पासवान के घर से हरपुर कला तक पथ की लम्बाई 2.5 कि०मी० है। हरपुर कला ग्राम को रतनपुर से बसबिट्टा पी०एम०जी०एस०वाई० पथ से सम्पर्कता प्राप्त है। टुनटुन पासवान के घर को मेजरगंज देंगे पी०डब्लू०डी० पथ से सम्पर्कता प्राप्त है।

2. सोनवर्षा प्रखंड के भलुआहां से हनुमान नगर तक पथ, इस पथ की लम्बाई 1.6 कि०मी० है जो आंशिक कच्ची एवं ईटीकृत है। भलुआहा ग्राम को तिलंगी से भलुआहा निर्माणधीन पथ एवं हनुमान नगर को परसा मोड़ से मढ़िया पथ से एकल सम्पर्कता प्राप्त है। भलुआहा एवं हनुमान नगर के बीच कोई भी बसावट नहीं है। अतः पथ निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

3. मधेसरा से मढ़िया मंदिर धुरधुरा तक पथ, मधेसरा को नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्मित फतेहपुर मधेसरा पथ से सम्पर्कता प्राप्त है। मढ़िया को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित मढ़िया हनुमान नगर से परसा मोड़ तक पथ से सम्पर्कता प्राप्त है।

धुरधुरा को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित मढ़िया धुरधुरा जमुआहा पथ से सम्पर्कता प्राप्त है। अतः पथ निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

4. बथनाहा प्रखंड के पुरनहिया पैक्स गोदाम से सिंगरहिया लक्ष्मीपुर होते हुए सुगाही-सैयपुर-छौरहिया ग्राम से पूरब तक पथ, पुरनहिया पैक्स भवन से सुगाही शाहपुर पथ की कुल लम्बाई लगभग 5.1 कि०मी० है। यह पथ दो भाग में है। पहले भाग की लम्बाई 2.3 कि०मी० है जो पुरनहिया पैक्स भवन से सिंघरहिया फुलवरिया पी०एम०जी०एस०वाई० पथ को जोड़ती है। यह पथ आंशिक ईटीकृत एवं पी०सी०सी० है। पुरनहिया पैक्स भवन एवं सिंघरहिया को पी०एम०जी०एस०वाई० पथों से सम्पर्कता प्राप्त हैं।

दूसरा भाग सिंघरहिया फुलवरिया पी०एम०जी०एस०वाई० पथ के मिरजादपुर गाँव से शुरू होकर सुगाही, शाहपुर होते हुए छौरहिया बसविट्टा पी०एम०जी०एस०वाई० पथ तक जाती है, जिसकी लम्बाई 2.8 कि०मी० है। यह पथ आंशिक ईटीकृत एवं कच्ची है। छौरहिया बसावट को पी०एम०जी०एस०वाई० पथ से सम्पर्कता प्राप्त है। शाहपुर बसावट का ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना अन्तर्गत सर्वे किया गया है।

5. कमलदह ग्राम में उत्तर महादलित टोला के उत्तर मठ होकर हाईवे तक पथ:- प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 2.0 कि०मी० है, जो आंशिक कच्ची एवं ईटीकृत है। मंडल टोला कमलदह ग्राम से सटे है। कमलदह ग्राम को पी०एम०जी०एस०वाई० सड़क से सम्पर्कता प्राप्त है। अतः पथ निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य आप पूरक पूछने का हिम्मत रख रहे हैं ?

श्री दिनकर राम:- जी । महोदय पूरे विधान सभा का पार्ट ऑफ विधान सभा, मेजरगंज और सोनवर्षा और बथनाहा का संपूर्ण 21 पंचायत का आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, मांग करता हूँ कि एक-एक रोड मैप को देता हूँ, वे इसे स्वीकार कर लें, जो जनहित में होगा।

टर्न-7/सत्येन्द्र/3-8-16

श्री नन्द किशोर यादव: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न लंबा है और जवाब भी लंबा है लेकिन महोदय, दूर्भाग्य यह है कि जो प्रश्न किया गया है उस प्रश्न का जवाब नहीं आया है । प्रश्न आप गौर से पढ़िये महोदय, बड़ा साफ लिखा है इस प्रश्न में, सम्बद्धता का सवाल नहीं खड़ा किया गया है और इस पथ में मंत्री महोदय ने जैसा कि कहा है कि एक सड़क जो महादलित टोले से होकर जाता है, वह कोर नेटवर्क में नहीं है और दूसरा उन्होंने अनेक सड़कों के बारे में कहा है कि सम्बद्धता है । महोदय, ये प्रश्न सम्बद्धता के लिए नहीं है, यह ग्रामीण कार्य विभाग का पथ है, जो अत्यंत जर्जर है और उसके निर्माण के बारे में लोगों को कठिनाई हो रही है उन सड़कों पर चलने में और इसके निर्माण का प्रश्न है लेकिन माननीय मंत्री महोदय अपने जवाब में केवल इस बात का जिक्र किया, एक सड़क के

बारे में कहा कि कोर नेटवर्क में नहीं है और बाकी सड़कों के बारे में कहा कि सम्बद्धता है तो महोदय, सम्बद्धता का प्रश्न कहां है ? यह सवाल है कि जो सड़क जर्जर है जहां महादलित समाज के लोग रहते हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग जहां रहते हैं उनके गांव में जाने वाली सड़कों अत्यंत जर्जर है, उन जर्जर सड़कों के निर्माण के बारे में सरकार क्या कर रही है सवाल इसका है । हम आपसे आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय कि इस सवाल का जवाब चाहिए कि वह जर्जर सड़क बनेगी कि नहीं और बनेगी तो कब बनेगी ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय,जो कोर नेटवर्क में शामिल है प्राथमिकता के आधार पर उसको हम बना देंगे और इसमें बहुत ऐसे टोले हैं, करीब 19 बसावट है जिसमें एकल सम्पर्कता हमने दे दिया है, रेस्ट जो बचे हुए हैं जो जर्जर सड़क है कोर नेटवर्क में उसको बना देंगे और जो नहीं है उसको बाद में हम देख लेंगे ।

अध्यक्ष:

प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उसे सदन पटल पर रख दिये जायें।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक ..

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ। बीते रात्रि में सिवान जिला के लकड़ी प्रखंड के बाला राम जानकी मंदिर से अष्टधातु के राम जानकी की मूर्ति चोरी हो गयी है..

अध्यक्ष: यह तो सूचना आप शून्यकाल में लिखकर दीजियेगा न ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: अब शून्यकाल में कल के लिए न दंगे आज रात चोरी हुआ है मेरे यहां आज सूचना हुआ है इसलिए मैं आपको यह सूचना देता हूँ..

अध्यक्ष: रात में चोरी हुई थी तो आप आज सुबह सूचना लिखकर दे सकते थे न ? समय पर लिखकर नहीं दिया है तो कैसे होगा ?

श्री रामानुज प्रसाद: 9 बजे तो खबर ही आया है।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 3-8-16 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है जो निम्न प्रकार हैं:-

श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार खेमका, श्री संजय सरावगी, श्री ललन पासवान श्री अशोक कुमार, श्री नीरज कुमार सिंह, श्री जिवेश कुमार, श्री विद्या सागर केशरी, डॉ० सी०एन० गुप्ता, श्री कृष्ण कुमार ऋषि, श्री नीतिन नवीन श्री संजीव चौरसिया श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री राणा रणधीर।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान होने का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 176(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण उपर्युक्त सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव अमान्य किया जाता है।

शून्यकाल

श्री प्रेम कुमार, नेता विराधी दल: अध्यक्ष महोदय, राज्य का सबसे बड़ा घोटाला टॉपर घोटाला हुआ है और टॉपर घोटाला में महोदय सत्ताधारी दल के नेताओं का संरक्षण मिलता रहा है और महोदय निष्पक्ष जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इसकी सी०बी०आई० से जांच करायी जाय। इस टॉपर घोटाले की सी०बी०आई० जांच हो, महोदय, इस घोटाला से बिहार के बच्चों के साथ खिलबाड़ किया गया है।

(व्यवधान)

(इस बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राजकुमार राय, आप अपनी शून्यकाल की सूचना पढ़ें।

श्री राज कुमार राय: अध्यक्ष महोदय,समस्तीपुर जिलान्तर्गत बिथान थाना कांड संख्या 65/15 तथा 14/11 के प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से इलाके में आपराधी खुलेआम धुम रहे हैं ।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आग्रह करता हूँ ।

डॉ० रामानुज प्रसाद: महोदय, सारण जिला के दिघवारा प्रखंडान्तर्गत बस्तीजलाल अंडरपास के निकट अपराधियों ने दिनांक 27-7-16 की रात्रि में सुभाष स्वर्णकार की लूट एवं हत्या तथा हरेन्द्र पंडित की गोली मार दी,जिनका इलाजोपरांत मृत्यु हो गयी ।

अतः सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा एवं दोषियों की गिरफ्तारी सूचित करावे ।

श्री अमित कुमार: अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला में पांच साल से रब्बी फसल एवं तीन साल से खरीफ फसल का बीमा लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं ।

अतएव किसानों को रब्बी एवं खरीफ फसल बीमा राशि का भुगतान शीघ्र करायी जाय।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला में आई. एम. ए. की कोई शाखा नहीं है । आई. एम. ए. की शाखा रहने से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं और लोग बीमारियों के मामले में जागरूक होते रहते हैं ।

अतः मधुबनी शहर में आई. एम. ए. भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण,कृपा करके अपनी जगह पर तो जाईए । ऐसे तो आप जितनी बात कहेंगे कोई बात नहीं सुनी जायेगी । आप नेता विरोधी दल, आग्रह करिये और सब को वापस बैठाईए न !

(इस अवसर पर माननीय सदस्यगण वेल से अपनी अपनी सीट पर आ गये ।)

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया, सारे माननीय सदस्य आ गये महोदय ।

अध्यक्ष: नेता विरोधी दल महोदय, हमने आदेश नहीं दिया था हमने अनुरोध किया था।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: महोदय आपका जो भी आदेश हो या आग्रह हो वह सर्वोपरि है चूंकि आसन सबसे बड़ा है । महोदय, हमलोगों ने कहा था कि राज्य के अन्दर जो टॉपर घोटाला हुआ है वह बच्चों के भविष्य के साथ खिलबाड़ किया गया है इसमें बड़े बड़े राजनेता की संलिप्तता उजागर हुई है इसलिए हम कह रहे थे कि इस टॉपर घोटाले की निष्पक्ष जांच हो । हमलोग सी०बी०आई० जांच की मांग कराने के लिए ही इस पर बहस

के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव लाये थे इसलिए इस पर सरकार का वक्तव्य हो इस घोटाला में बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ है ।

श्री ललल पासवान: अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अन्तर्गत प्रखंड नौहट्टा में बनवासी सेवा केन्द्र नौहट्टा का कुटीर उद्योग 30 साल से बंद पड़ा है जिससे सैकड़ों मजदूर भूखमरी के कगार पर हैं ।

अतः सरकार से मांग करते हैं कि उक्त बनवासी सेवा केन्द्र को जल्द चालू करावे ।

श्री नन्द किशोर यादव: महोदय, मैंने पहले भी आग्रह किया आपसे महोदय कि बिहार में लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और आपने देखा कि सिवान में एक पत्रकार की हत्या सिर्फ इसलिए हो गयी कि उसने कोई फोटो वायरल कर दिया था । महोदय फिर बिहारशरीफ में घटना घटी । आज महोदय सबरे सबरे घटना घटी, इसका संज्ञान आपको लेना चाहिए । महोदय , वैशाली जिले के महुआ में एक हिन्दुस्तान के पत्रकार है नवनीत कुमार, उनकी बुरी तरह पिटाई की गयी और ये पिटाई केवल इसलिए की गयी कि कल वहां जो बसस्टैंड है उस बसस्टैंड पर कुछ झगड़ा हुआ था और बस के मालिक को वहां के लोगों ने पेड़ में बांधकर पीटा था। पेड़ में बांधकर जो पिटाई हो रही थी उसका फोटो और उसका सामाचार नवनीत कुमार ने हिन्दुस्तान अखबार में छापा इसलिए उस पत्रकार को बुरी तरह पीटा गया है उसकी हालत खराब है । लगातार पत्रकार पर हमला हो रहा है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार अविलम्ब कार्रवाई करे और जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई करें । महोदय, सरकार इस पर संज्ञान ले ।

अध्यक्ष: सरकार संज्ञान लेगी ।

(व्यवधान)

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग के जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित राजाबाजार के पास एच0एच0 110 की हालत अत्यंत जर्जर हो गयी है। लगभग आधा कि0मी0 में सड़क गड़ढ़ा में तब्दील हो गया है ।

अतः इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रश्नाधीन सड़क की मरम्मत की मांग करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत दाउदनगर अनुमंडल स्थित कोई ग्रिड नहीं रहने के कारण दाउदनगर को पर्याप्त बिजली में काफी कठिनाई होती है एवं इसे गोह ग्रिड से हसपुरा और हसपुरा से दाउदनगर एवं वारूण ग्रिड से दाउदनगर को बिजली आपूर्ति की जाती है ।

अतः प्रश्नाधीन दाउदनगर में ग्रिड लगाने की मांग करता हूँ ।

श्री सुबोध राय: अध्यक्ष महोदय, सुल्तानगंज (भागलपुर) के उतरवाहिनी गंगा घाट की स्थिति काफी खतरनाक है और दाह संस्कार के समय लोगों को काफी परेशानी होती है ।

अतः मैं सरकार से सुलतानगंज श्मशान घाट पर विद्युत शवदाह गृह शीघ्र निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री अशोक कुमार सिंह(203) अध्यक्ष महोदय,कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती एवं मोहनियां प्रखंड के कर्णपुरा डिलिखीली,भरखर दुधरा लुरपुरवा कुरा इत्यादि गांव के हजारों हेक्टेयर भूमि में जली जमाव के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं और भूखमरी के कागार पर है ।

अतः मैं सरकार से जल निकासी एवं क्षतिपूर्ति की मांग करता हूँ ।

टर्न-8/मधुप/03.08.16

श्रीमती भागीरथी देवी : महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड गौनाहा के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्रीमती नीलम पदस्थापन से ही विवादों में घिरी रही हैं । जिसके विरुद्ध जिला पदाधिकारी ने प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को कार्यवाही हेतु भेजा है ।

मैं माँग करती हूँ कि कानूनी कार्रवाई के साथ सेवामुक्त किया जाए ।

श्री मोहम्मद नवाज आलम : महोदय, आरा का रमना मैदान शहर के लोगों के टहलने, खेलने का एकमात्र मैदान है, इस मैदान की चाहरदिवारी होने के बाद भी आज तक गेट नहीं लगा और न ही इस मैदान में लाईट की व्यवस्था है । यह मैदान चारागाह, गाड़ी-स्टैंड बन गया है ।

अतः इसका रख-रखाव और सौन्दर्यीकरण की जाए ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णियाँ जिला सहित बिहार में एन0सी0सी0 कैडेट ABC प्रमाण पत्र धारक लगभग तीस हजार हैं । भारतीय सेना में भर्ती के लिये तथा अन्य राज्यों में राज्य आरक्षी सेवा के चयन में इन्हें बोनस अंक की सुविधा प्राप्त है । इनके सम्मान एवं बिहार में नौकरी हेतु सुविधा देने की मांग करता हूँ ।

श्री आनंद शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखण्ड अवस्थित NPGC (नवीनगर सुपर थर्मल पावर जेनरेटिंग कम्पनी लि0) में कार्यरत दैनिक मजदूरों को श्रम कानून के अन्तर्गत न ही न्यूनतम मजदूरी, न ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) और न ही हाइट एलाउएँस, आदि का भुगतान किया जा रहा है । मजदूरों के हकों के लिए संघर्ष कर रहे मजदूर नेताओं वरूण सिंह एवं भोजा यादव को षडयंत्र के तहत

गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया । पुलिस द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियाँ बरसायी गई, जिसमें 6 लोगों को गोली लगी, जिसमें 5 लोग महादलित हैं ।

अतः आपसे आग्रह है कि NPGC नवीनगर द्वारा दैनिक मजदूरों को श्रम कानून के तहत भुगतान एवं गिरफ्तार मजदूर नेताओं को अवलिम्ब रिहाई करवाया जाए एवं एक उच्चस्तरीय जाँच कमिटी गठित की जाय ।

मो० नेमतुल्लाह : महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखण्ड के माधोपुर ग्राम में 2012 में सरकार द्वारा किसान हित में दो ट्यूबवेल लगाया गया ।

विद्युत/मोटर/ट्यूबवेल बिल्कुल ही ठीक है परन्तु विभागीय लापरवाही से अब तक चालू नहीं किया । फलतः उक्त ग्रामों में पटवन का कार्य पूरी तरह ठप है ।

अतः सरकार से निवेदन है कि जनहित में यथा वर्णित ट्यूबवेल को शीघ्रातिशीघ्र चालू करवाने की व्यवस्था की जाए ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, पूर्णिया जिला के माउण्ट जॉन स्कूल, पूर्णिया में हुए आदिती रानी उर्फ लिजा की रहस्यमय मौत दिनांक-29 जुलाई, 2016 को हो जाने के संबंध में मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करें ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमण्डल मुख्यालय में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के बेहतर उपचार की व्यवस्था नहीं रहने के कारण दुर्घटनाग्रस्त लोगों को जान गँवानी पड़ती है ।

अतः जनहित में शेरघाटी अनुमण्डल मुख्यालय में एक आधुनिक सुविधा वाला ट्रॉमा सेन्टर स्थापित करने की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, सुपौल जिलान्तर्गत छातापुर एवं बसंतपुर प्रखंड में चक्रवाती तूफान से लगभग 500 एकड़ केले की फसल बर्बाद हो गयी । प्रखंड स्तर से क्षति प्रतिवेदन भेजने के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं मिला है । सरकार से अविलम्ब मुआवजा की माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम ।

(माननीय सदस्य श्री महबूब आलम अनुपस्थित)

श्री शमीम अहमद : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिले के छौड़ादानों प्रखण्ड अन्तर्गत लखौरा से नरकटिया बाजार होते हुए श्यामपुर चौक तक जो विगत 20 वर्ष पूर्व में सड़क बनायी गयी थी,

मरम्मत के अभाव में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पहुँच चुकी है । दो-तीन बार टेन्डर भी निकाला गया ।

सड़क की मरम्मत शीघ्र करायी जाय ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, अररिया जिला के फारबिसगंज नगर परिषद् में पड़ने वाली कृषि उत्पादन बाजार समिति का पूरा प्रांगण सालों भर कीचड़ एवं गंदगी के अंबार से भरी पड़ी रहती है । जिससे दुकानदारों एवं ग्राहकों को बेहद कठिनाईयों का सामना करते हुए नारकीय जीवन जीना पड़ता है ।

सदन के माध्यम से इस समस्या से निजात दिलाने की माँग करता हूँ ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, दरभंगा जिला अन्तर्गत जाले विधान सभा के जाले प्रखण्ड के अहियारी दक्षिणी पंचायत एवं केवटी विधान सभा के सिंहवाड़ा प्रखण्ड के टेकटार पंचायत के सीमा पर गोरार मुख्य मार्ग से गोरार भीड़ा तक 500 फीट सिर्फ सड़क निर्माण अविलम्ब करावें। बरसात में यहाँ बसे लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, दरभंगा शहर के नगर थाना क्षेत्र के चन्द्रशेखर आजाद चौक स्थित राम जानकी मंदिर से 31 जुलाई की रात्रि में राम, लक्ष्मण व सीता की डेढ़-डेढ़ फीट लम्बी अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई ।

अविलम्ब इस चोरी गई मूर्तियों की बरामदगी की माँग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, लखीसराय विधान सभा के लखीसराय नगर में राजेश पंडित के घर सहित कई घरों में चोरी, बड़हिया नगर में राजेन्द्र वर्मा के यहाँ डकैती तथा 30/07/2016 को बालगुदर में विजय पासवान की हत्या कर दिया गया ।

अतः सरकार अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करावे ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनवरसा प्रखण्ड के अन्तर्गत सिंगवाहिनी पंचायत के खुटहा ग्राम वासी गणेश राय की एन0एच0 77 पर ट्रक से कुचलकर मृत्यु हो गई ।

अतः सरकार से माँग करती हूँ कि मृतक के आश्रित को मुआवजा देने की माँग सरकार से करती हूँ ।

डॉ० सी० एन० गुप्ता : महोदय, केन्द्रीय विद्यालय छपरा (सारण) के 385 बच्चों का पठन-पाठन आधारभूत संरचना एवं पर्याप्त संसाधनों की कमी से स्थानीय जिला स्कूल के छात्रावास में चलाया जा रहा है । 2004 से संचालित इस विद्यालय को अभी तक भवन हेतु बिहार

सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है । सरकार उक्त विद्यालय हेतु जमीन उपलब्ध कराने हेतु शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करे ।

डॉ० राजेश कुमार : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिले के केशरिया, कल्याणपुर, संग्रामपुर प्रखण्ड के खेमपिपरा, कढ़ान, महम्मदपुर, सेम्यूआपुर, सरेमा बदुराहा ग्राम का ट्रांसफर्मर कई महीनों से जल गया है । विभागीय पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं ।

सरकार से माँग करता हूँ कि जल्द ही सभी पंचायतों का ट्रांसफर्मर बदलवाया जाए ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय एक गंभीर मामला है । माननीय मुख्यमंत्री जी.....

अध्यक्ष : हम तो मानते हैं कि आप जो उठाते हैं, हर मामला गंभीर होता है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : एक मिनट सुन लिया जाय, महोदय । माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा के बिहारशरीफ में पाकिस्तानी झंडा फहराया गया । राजधानी पटना में सरकार बैठी है, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाते हुये जुलूस निकाला जाता है । महोदय, दोनों काफी गंभीर मामला है । देशद्रोहियों के खिलाफ हम चाहते हैं कि सरकार इसमें स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी ।

टर्न-9/आजाद/03.08.2016

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री श्याम रजक, श्री रमेश ऋषिदेव एवं श्री सुबोध राय,स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (विधि विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्याम रजक, आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें ।

(व्यवधान)

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, “वर्ष 2016 में पटना उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता कार्यालय के लिए प्रधान अपर महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता, स्थायी सलाहकार एवं सरकारी वकिलों के 82 पदों पर नियुक्ति विधि विभाग द्वारा की गयी है । इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के एक भी सदस्य नियुक्त नहीं किये गये हैं । ज्ञातव्य हो कि आन्ध्र प्रदेश, केरल एवं उड़ीसा में इस प्रकार की नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था है । आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 प्रतिशत एवं पिछड़े वर्ग के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था

की गयी है । परन्तु बिहार में ऐसी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहने से यहाँ के अभिर्वाचित तबके के लोग सरकारी वकील नियुक्त होने से वंचित रह जाते हैं ।

अतः राज्य के सभी न्यायालयों में सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।”

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने ध्यानाकर्षण में जिन बातों की जानकारी दी है, उन्होंने खुद भी बताया कि बिहार में ऐसी कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं है । इसलिए अभी हाल में जो हाईकोर्ट में 82 लॉ ऑफिसर की नियुक्ति हुई तो उसमें चूँकि आरक्षण की व्यवस्था पहले से निर्धारित नहीं है, इसलिए उस आधार पर यह नियुक्ति नहीं हो सकी है । माननीय सदस्य ने यह भी जानकारी दी है कि दो-तीन राज्यों में ऐसी व्यवस्था है तो मैं इसको उन राज्यों से सूचना प्राप्त कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी समीक्षा करूँगा और फिर इसपर जो विधि सम्मत होगा, उस तरह के फैसले लिये जायेंगे ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे लेकिन मैं यह बता दूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार ने 15 जनवरी,2011 को पत्र लिखा था सचिव, विधि विभाग को, पटना उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले लॉ ऑफिसरों के पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वकिलों को प्राप्त प्रतिनिधित्व देने के संबंध में । उन्होंने लिखा है कि प्रासंगिक मूल पत्र के संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में समुचित कार्रवाई करें ताकि वकीलों को प्राप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग को पूरा किया जा सके, यह आपके विभाग से संबंधित है। सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री की ओर से लिखा गया है विधि विभाग को 2011 में ही लेकिन अभी तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ और आज भी 82 पद निकले, उसमें एक भी आरक्षित वर्ग को नहीं किया गया और आज माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आन्ध्रप्रदेश का भी कॉपी है, केरल का कॉपी है । सभी जगह बाजाप्ता आरक्षण दिया गया और राज्य सरकारके सामान्य प्रशासन विभाग ने भी लिखा । इसमें विलम्ब क्यों हुआ और क्या कारण रहा कि 82 लोग निकल गये, हमारा उससे कोई विभेद नहीं है लेकिन शिड्यूल कास्ट एवं शिड्यूल ट्रायब लोगों का क्या दोष था कि उन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया ?

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना का कद्र करता हूँ और उससे इत्तेफाक भी करता हूँ लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया है और वस्तुस्थिति भी यही है कि इन नियुक्तियों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । अब आगे इसपर हम अन्य राज्यों से सूचना प्राप्त कर लेते हैं और तदुपरान्त विभाग में इसकी समीक्षा करेंगे । मैं स्वयं सहमत हूँ और इनके जो विचार हैं, उसकी मैं कद्र करता हूँ, ऐसा होना चाहिए था,

लेकिन चूँकि अभी व्यवस्था नहीं है तो हमलोग आगे देखते हैं, अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो हमलोग करेंगे ।

श्री श्याम रजक : महोदय, इसके लिए समय सीमा कितना होगा ? कब तक ये करेंगे और जो 82 लोग हो गये, वे लोग तो अपना काम करेंगे लेकिन ये जो एस0सी0 के वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, वे तो वंचित हैं, उस वर्ग के लोग वंचित हैं क्योंकि उनको उचित न्याय नहीं मिल पाता है । हमलोग तो लम्बी बात कह रहे हैं कि जुडिशियल सर्विस कमीशन में इसको लागू किया जाय, यह किया जाय, लेकिन उसके पहले का सवाल है, इसको ये कब तक करेंगे, इसका समय बताने का काम करेंगे ?

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

अध्यक्ष : बोलिए, क्या है व्यवस्था ?

श्री जीतन राम मांझी : माननीय मंत्री जी ने कहा कि दो-तीन अन्य राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था है हम उसको देखवायेंगे, ध्यानाकर्षण करने वाले माननीय सदस्य ने उनको सूचना दी कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ही 2011 में ही समुचित कार्रवाई करने के लिए निदेश दिया गया तो 2011 से अभी तक विभाग क्या कर रही है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? यही हमारी व्यवस्था है ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, यह डिवेट का विषय नहीं है, यह ध्यानाकर्षण है ।

(इस अवसर पर बी0जे0पी0 के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने लगे)

(व्यवधान)

जिन माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण में दस्तखत किया है, वही माननीय सदस्य पूछ सकते हैं ? जो माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण पर दस्तखत किये हैं, हस्ताक्षर किये हैं, वही लोग प्रश्न पूछ सकते हैं ?

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, अभी तो हमको पूछना बाकी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार, आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ें ।

(माननीय सदस्य द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना नहीं पढ़ा गया)

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2015-16 के उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में चतुर्थ तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन सदन पटल पर उपस्थापित करता हूँ ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने सीट पर चले गये)

अध्यक्ष : माननीय सभापति,लोक लेखा समिति ।

श्री नन्दकिशोर यादव,सभापति,लोक लेखा समिति : महोदय, मैं सभापति,लोक लेखा समिति की हैसियत से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में दर्ज विभिन्न वर्षों की कंडिका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सं०-594 वाणिज्यकर विभाग, 596 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं 597 निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-239 के तहत सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रथम तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन सदन पटल पर उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री अजय कुमार मंडल,सभापति,राजकीय आश्वासन समिति : महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत मैं राजकीय आश्वासन समिति का 242वां, 243वां, 244वां एवं 245वां प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/अंजनी/03.08.2016

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या 36 है, आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । किसी एक विभाग की अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान होगा, शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन यानी मुखबंध द्वारा किया जायेगा ।

अब मैं मांग संख्या-42, ग्रामीण विकास विभाग को लेता हूँ, जिसपर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है, विभिन्न दलों को उनकी संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, पर इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	-	69 मिनट
जनता दल यूनाईटेड	-	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	20 मिनट
सीपीआई(एमएल)	-	02 मिनट
लोक जन शक्ति पार्टी	-	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	-	02 मिनट
निर्दलीय	-	03 मिनट

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

“ग्रामीण विकास के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति

के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2016 के उपबंध के अतिरिक्त 36,57,52,01,000/- (छत्तीस अरब सतावन करोड़ बावन लाख एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।”

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्री विद्या सागर केशरी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

“कि इस शीर्षक की मांग 10 रूपये से घटायी जाय, राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।”

महोदय, आज हमें आपने बोलने का अवसर दिया है । अध्यक्ष महोदय, बिहार की जनसंख्या साढ़े 11 करोड़ है और 90 प्रतिशत की आबादी गांव में निवास करती है और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आर्थिक, सामाजिक ग्रामीण विकास के लिए परिवर्तन का लक्ष्य भी विकास का मानक रहा है । महोदय, जिस दर से विकास दर बढ़ रहा है, उसी दर से गरीबी का भी दर बढ़ रहा है । महोदय, अमीरी और गरीबी के बीच में काफी डिफरेंस हो रहा है । महोदय, जिसके कारण यह बहुत गंभीर परिस्थिति पैदा हो जायेगी, जब गरीबों की दूरी और अमीरों के बीच की खाई बहुत लंबा हो जायेगा । आप कल्पना कीजिए कि बीपीएल परिवार से वंचित भूमिहीन, भवनविहीन, शिक्षाविहीन दैनिक मजदूरी करनेवालों की जमात बढ़ रही है, यह गंभीर विषय है महोदय । आज औसत आमदनी देश का 49,600 है और बिहार की औसत आमदनी 15,700 है । महोदय, कितना डिफरेंस है ? कितनी दूरी पर हम बैठे हैं । महोदय, यह विषय पहले भी आया है और पूरे सदन के सदस्य को बड़ी आशाभरी निगाहों से आम जनता देख रही है । जनता भेजती है सदन के अन्दर कि मेरा विकास करेंगे, मेरी गरीबी दूर करेंगे, मेरी समस्या का समाधान करेंगे लेकिन सच क्या है ? मैं दो पंक्ति में अपनी बात को रखना चाहूंगा -

“बढ़ी योजना लूट खजाने का, राज्य भया कंगाल देख लो, महागठबंधन की सरकार देख लो । महोदय, अफसर मालामाल देख लो, जनता है बेहाल देख लो, शासन है बदहाल देख लो, महागठबंधन की सरकार देख लो ।”

महोदय , आज यह स्थिति बिहार के अन्दर में है कि पदाधिकारी का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है । कहां जाकर जनता बोले, हद तो तब हो गयी है कि आज विधायक कहां अपना फरियाद रखे, कौन उसकी फरियाद का निदान करेगा, कौन सुनेगा ? आज प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, पंचायत के सचिव तक के

घपला, घोटाला को कोई जवाब देनेवाला नहीं है, कोई कार्रवाई करनेवाला नहीं है। महोदय, मनरेगा, इंदिरा आवास, पेंशन, छात्रवृत्ति आदि कई योजनायें केन्द्र और राज्य की गरीबों के हित में चलायी जा रही है, आज गरीब जनता के लिए राज्य से लेकर केन्द्र तक सब के नीति में गरीबों के प्रति दर्द झलकता है लेकिन उस गरीबों के लिवाला छिनने वाले के प्रति कठोर कानून इस सदन के अन्दर क्यों नहीं आता है ? महोदय, यह सदन गरीबों के हित के लिए गरीबों के वोट पर सरकार बनती है लेकिन कठोर कानून बनाने में, भ्रष्टाचार के लिए, अपराध के लिए सदन के पास समय नहीं है, सिर्फ नाटक करना, बदहाल स्थिति पर मजाक उड़ाना अगर सदन की यही जिम्मेवारी है तो आनेवाला समय हमें माफ नहीं करेगा। महोदय, मैं तो कहना चाहूंगा कि -

“जब तक मनुज-मनुज का सुखभाग न कम होगा, खत्म न होगा कोलाहल, संघर्ष न कम होगा।” तो यह स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसके लिए हमलोग खुद जिम्मेवार होंगे। नफरत का भाव पैदा हो रहा है, आज लूट, हत्या, अपहरण बढ़ रहा है। आज महोदय, गरीबी की जो खाई बढ़ रही है, जो अपराध बढ़ रहा है, हम चाहेंगे कि “सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राजधर्म तन हो तीनि कर होई बेगिही नाश।” तो निश्चित तौर से नाश होगा, इस तरह के विचारधारा और इस तरह की मानसिकता रखनेवाले का। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन हमारे नेता, प्रतिपक्ष विस्तार से इस विषय को रखेंगे।

धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अभी बोलना चाहेंगे ?

श्री प्रेम कुमार, नेता प्रतिपक्ष : जी हाँ।

अध्यक्ष : आपके 39 में से 09 मिनट ले चुके हैं, 30 मिनट आपके हिस्से का बच रहा है। तीस मिनट मतलब आधा घंटा।

टर्न-11/शंभु/03.08.16

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है जिसमें 16859.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जिसमें प्रमुख रूप से राज्य योजना मद में 8139.93 करोड़ एवं केन्द्रीय योजना के मद में 33.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। महोदय, उल्लेखनीय है कि योजना की राशि जो हमने पास किया था पिछले मार्च के महीने में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 का उस राशि को खर्च करने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। महोदय, 1 अप्रैल से शुरू मौजूदा वित्तीय वर्ष जो 2016-17 है, इसके 106 दिन बीत गये हैं और 2016-17 में राज्य के कुल योजना की जो राशि थी वह राशि 71 हजार 501 करोड़ 80 लाख तय थी। इसी विधान सभा से हमलोग पास

किये थे, स्वीकृत किये थे। 15 जुलाई, 2016 तक उस बजट की राशि में 986 करोड़ 87 लाख यह सरकार खर्च कर पायी है। एक ओर हम कहना चाहते हैं कि पूरी राशि का इस चार महीने के अंदर में 11.17 फीसदी राशि खर्च कर पायी जबकि कम से कम चार महीने में सरकार को 33 फीसदी राशि खर्च करनी चाहिए थी। महोदय, इस चालू वित्तीय वर्ष में जब बजट हमलोग पास कर रहे थे तो काफी उम्मीद थी और जब मैं बजट पर गौर कर रहा हूँ तो सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जहाँ खर्च शून्य है। वही हालत राज्य के विकास योजनाओं की जो बड़ी राशि है उसका हिसाब सरकार के पास नहीं है। वह राशि 31 हजार 656 करोड़ रुपये का और अभी तक सरकार ए0जी0 को हिसाब नहीं दे पायी है। केन्द्र सरकार द्वारा जो दी गयी राशि है उसको राज्य सरकार खर्च करने में पूरी तरह से विफल हो रही है। महालेखाकार द्वारा यह मामला सरकार के नजर में लाया गया उसके बावजूद भी सरकार के स्तर पर कार्रवाई नहीं की गयी। उसके बाद राज्य सरकार का शिक्षा विभाग जो आज टॉपर घोटाला के नाम से जाना जा रहा है। 10 हजार 517 करोड़ रुपये खर्च का प्रमाण पत्र विभाग ने जमा नहीं किया है और हमें संदेह है जैसा कि चलते सत्र में विधान सभा में देखा गया- नियोजन शिक्षक घोटाले का मामला यहाँ पर आया है, मध्याह्न भोजन घोटाले का मामला भी आया है और बच्चों को जो पुस्तक देना था वह भी सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। उसी तरह से पंचायत विभाग जो इनका है, पंचायती राज में 7 हजार 92 करोड़ रुपये सरकार खर्च नहीं कर पायी, इसका भी हिसाब नहीं दिया गया है। नगर विकास विभाग में 3915 करोड़ रुपये का और ग्रामीण विकास विभाग में 2536 करोड़, समाज कल्याण विभाग में 2315 करोड़, अति पिछड़ा वर्ग- महोदय, समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठे लोग हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से पीछे थे। उस समाज को दिखाने के लिए सरकार ने बजट पास कर दिया 1377 करोड़ रुपये का और समाज का जो अंतिम वंचित वर्ग है महादलित परिवार उस परिवार के लिए और शेड्यूल ट्राइब के कल्याण विभाग में 741 करोड़, कृषि विभाग में 607 करोड़, योजना विभाग के 470 करोड़, स्वास्थ्य विभाग में जहाँ महोदय मरीजों को दवा सरकार नहीं दे पा रही है और दवा के अभाव में बड़ी संख्या में लोग काल कवलित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में 199 करोड़, आपदा प्रबंधन में 143 करोड़, जल संसाधन विभाग में 66 करोड़, उद्योग विभाग 49 करोड़, ऊर्जा विभाग 47 करोड़- महोदय, जो खर्च कर चुकी है सरकार, उसका हिसाब नहीं दे पा रही है। महोदय, इतने करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब, उपयोगिता प्रमाण पत्र अपने जवाब में मंत्री जी बतायेंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। वही हालत है कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, पिछड़ा कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण विभाग काफी.....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : नेता प्रतिपक्ष.....एक मिनट।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : अनुमति देंगे तब न ? अनुमति ले लीजिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : किस वित्तीय वर्ष का ये.....

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : विभागों में लगातार 5 वर्षों तक विकास कार्यों में जो राशि आवंटन होता है वह कार्यों पर खर्च नहीं किया जाता है ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, सुन लीजिए- हो सकता है आप ही के लिए कुछ बात कह रहे हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : माननीय नेता प्रतिपक्ष विद्वान हैं । मैं इनकी विद्वता की कद्र करता हूँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष : वह तो आप बराबर करते हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : किस वित्तीय वर्ष का हिसाब ए0जी0 को नहीं जा पाया है ? पब्लिक एकाउंट्स कमिटी के चेयरमैन ने क्या रिपोर्ट दे दिया, केवल यही मेरा कहना था ।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : इस बात को आप जवाब में भी कह सकते थे ।

अध्यक्ष : असल में माननीय मंत्री जी बात को भी नेता प्रतिपक्ष से घुमाकर आप ही की तरफ ले जा रहे हैं ।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, इस बिहार राज्य में सबसे बड़ी त्रासदी बाढ़ का है । आज राज्य के 30 लाख लोग बाढ़ की तबाही से जूझ रहे हैं । उत्तर बिहार में जहां बाढ़ की तबाही है, दक्षिण बिहार में सुखाड़ की स्थिति है । हम बताना चाहते हैं कि सीमांचल के अररिया के छः प्रखंड फारबिसगंज, सिकटी, अररिया, जोकीहाट, पलासी में और कटिहार के छः प्रखंड में प्राणपुर, बरारी, मनकोशी, कदवा, आजमनगर और किशनगंज का टेढ़ागाछी, पोठिया, ठाकुरगंज और पूर्णियां का बैसा, बैसी, अमौर और मधेपुरा में आलमनगर, चौसा और भागलपुर में नाथनगर, सबौर और दरभंगा में कुशेश्वर इस्ट और सुपौल में किशुनपुर, सदीगढ़, निर्मली इन तमाम जगहों सहरसा, गोपालगंज में बैकुण्ठपुर, कुचायकोट राज्य की बड़ी आबादी है । उत्तर बिहार की बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हवाई सैर पर जरूर गये थे, एरियर सर्वे करने गये थे और हेलीकॉप्टर से गये थे । हमें काफी खुशी होता तब मैं भी वहां 27 तारीख को शिविरों में गया था- अमौर, बायसी, पूर्णियां के शिविरों में जाकर देखा कि क्या व्यवस्था सरकार ने की है । बिहार के माननीय मुख्यमंत्री 28 तारीख को जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, पानी देखने के लिए गये थे और मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक करते हैं कि राहत शिविर में नहीं जा पाते हैं । आज आसाम के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, राहत शिविरों में जाकर के, भारत सरकार के आदरणीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी शिविरों में जाकर बाढ़ पीड़ितों की स्थिति का जायजा लेते हैं और बाढ़ पीड़ितों की चिंता करते हैं । यह बिहार सरकार की सोच है, यह बिहार की जनता का आपने वोट ले लिया, गरीबों का वोट ले लिया और आज गरीब

आदमी संकट में है, मुसीबत में बिहार का गरीब है, बाढ़ में फंसे हुए लाखों लोगों को सरकार निकाल नहीं पायी जिसके कारण बिहार में 60 लोग काल कवलित हो गये ।

(इस अवसर पर श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार जिम्मेदार है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि एक ओर 60 लोगों की जान चली गयी । सरकार की व्यवस्था है कबीर अंत्येष्टि-किसी की मृत्यु हुई तो परिवार को कबीर अंत्येष्टि की राशि दी जाती है, लेकिन किसी भी परिवार को कबीर अंत्येष्टि की राशि नहीं दी गयी है । 60 लोगों की मृत्यु हुई है और अभी तक उनके आश्रितों को मुआवजा की राशि नहीं दी गयी है । मैं शिविरों में गया था और हमने देखा कि सरकार ने घोषणा किया था कि पका हुआ भोजन दिया जायेगा, रौशनी का इंतजाम होगा, शौचालय का इंतजाम होगा, पशुओं के चारा का इंतजाम होगा, हमने देखा बच्चे बिलख रहे थे भूख से, बच्चे तड़प रहे थे दूध के अभाव में और खुले आसमान के नीचे रहने के लिए गरीब मजबूर था, पशुओं के चारा का प्रबंध सरकार ने नहीं कराया । जो टेबलेट होता है बाढ़ के समय में सरकार वितरण करती है कि प्रदूषित पानी लोग नहीं पी पाये उसका भी सरकार ने प्रबंध नहीं किया और जब वहां के लोगों ने, किशनगंज के लोगों ने, पूर्णिया के लोगों ने हमारे वहां के माननीय विधायक विजय खेमका जी, हमारे कृष्ण कुमार ऋषि जी हमारे साथ गये थे और हमने देखा कि मजबूर होकर वहां के लोगों ने सड़कों को जाम करने काम किया, राहत की मांग के सवाल पर हजारों लोग सड़कों पर आये और सरकार राहत के नाम पर लाठी चलाने का काम किया। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि कैसी सरकार है, क्या बिहार में लोकतंत्र खत्म हो गया है । जनता अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का काम करती है तो सरकार लाठी से बात करने का काम करती है । साथ ही साथ कहना चाहते हैं महोदय कि नाव का भी अभाव देखा गया, नाव की कमी देखी गयी, नाव के अभाव में कई लोग बाहर आना चाहते थे वे गांवों में फंसे लोग थे, वे बाहर नहीं आ पाये । इसके लिए कोई जिम्मेवार यदि है तो नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार स्वयं जिम्मेवार हैं इसके लिए । आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी को चिंता बिहार की नहीं है, मुख्यमंत्री कहां सैर करते हैं- उत्तर प्रदेश । फिर जा रहे हैं 6 तारीख को.....व्यवधान.....जाना चाहिए, सपना मत देखिए, खाता खुलनेवाला उत्तर प्रदेश में नहीं है । उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनाकर दिखाने का काम करेंगे । वहां की जनता परिवर्तन चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है । चार वर्षों की अखिलेश यादव की सरकार में जिस तरह से अपराध बढ़ा है, वहां की सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है । वहां की जनता विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को देख रही है, निश्चित तौर पर सरकार हमारी बनेगी । हम याद दिलाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी गये थे पिछले साल भी, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, एक प्रत्याशी इनका जीत नहीं पाया,

नीतीश कुमार जीरो पर आउट होने काम किया था । महोदय, हम कहना चाहते हैं कोई इनका संगठन वहां नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, भीड़ जुटाया जा रहा है । भीड़ जुटाने का तरीका क्या है- कैबरे कराये जा रहे हैं, अश्लील गाने का प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली में भीड़ जुटाने के लिए नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो भीड़ जुटाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी, जब से भारतीय जनता पार्टी अलग हुई है इनकी लोकप्रियता नीचे चली गयी है और अब भीड़ जुटाने के लिए नाच गाने का इंतजाम पहले किया जाता है, जनता को बताया जाता है तब मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है। क्रमशः ।

टर्न-12/ 03.08.16/विजय ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल: क्रमशःमहोदय, हम कहना चाहते हैं बाढ़ के मामले में जहां उत्तर बिहार में जहां बाढ़ के दर्जनों जिला बाढ़ के चपेट में है लाखों की आबादी चपेट में है सरकार ने मात्र बाढ़ पीड़ितों के लिए पका भोजन के बजाय आधा किलो चूड़ा देने का काम कर रही है । यह कैसा भेदभाव है महोदय । सरकार महोदय है कहां पर । अभी भी कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की चिंता छोड़कर चुनाव 2017 में होने वाला है कुछ प्राप्त आपको होने वाला नहीं है । राहत शिविरों में जाइये वहां लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं, विलख रहे हैं, दवा के अभाव में लोगों की जाने जा रही है । पशु चारा का अभाव है महोदय पशुओं के सामने कठिनाई है । हम आग्रह करना चाहते हैं महोदय जहां पर राज्य में एक तरफ बाढ़ और दुसरे तरफ समस्या सुखाड़ का है महोदय । दक्षिण बिहार का एक दर्जन जिला और दक्षिण बिहार का जिला हमारा है मुंगेर प्रमंडल का जिला है जो सुखाड़ के चपेट में है महोदय । बिहार के जानकारी के मुताबिक महोदय आवश्यकता से कम वर्षा वहां पर हुई है । कम वर्षा होने के कारण जो टारगेट जो लक्ष्य था रोपनी करने का वह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है । सरकार के द्वारा डीजल अनुदान की घोषणा की गयी थी । कैबिनेट से पास किया गया था लेकिन किसानों को वह राशि नहीं पहुंच पायी है । कैसी आपकी व्यवस्था है जो कैबिनेट से आप पास करते हैं किसानों के पास राशि नहीं पहुंच पाती है । यह काफी शर्म की बात है । आप किसानों की बात करते हैं । आज किसान वहां त्राहि त्राहि करते हैं । सरकार को चाहिए था इस सुखाड़ की स्थिति में उन जिलों में जहां बारिश कम हुई है पर्याप्त बिजली की आवश्यकता थी । हम सरकार से आग्रह करेंगे, मांग करेंगे कि निश्चित तौर पर सुखाड़ जिलों की समीक्षा

हो, सर्वदलीय बैठक बुलायें और बाढ़ और सुखाड़ की समीक्षा करें। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की राय लें और राय लेने के बाद एक बेहतर तरीके से सुखाड़ वाले क्षेत्र में भी और बाढ़ वाले क्षेत्र में एक बेहतर तरीके से राहत कार्य चलाया जाय जिससे आने वाले समय में जहां बाढ़ पीड़ित लोग हैं सुखाड़ प्रभावित लोग हैं निश्चित रूप से महोदय आने वाले समय में उनको काफी लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, हम कहना चाहते हैं एक ओर बाढ़ की सहायता में सरकार पूरी तरह विफल हुई है। महोदय जब से महागठबंधन की सरकार बनी है महागठबंधन की सरकार बनने के बाद महोदय राज्य में अपराध बढ़ा है। अपराध बढ़ता जा रहा है, रूकने का नाम नहीं ले रहा है। हम बताना चाहते हैं जो कम्परेटिव मंथ वाइज क्राइम डाटा बिहार का है हम बताना चाहते हैं कि पूरे बिहार में जहां जनवरी में महोदय संज्ञेय अपराध 15 हजार 160 हुआ है वहीं फरवरी में 15 हजार 50 हुआ है, मार्च में 15 हजार 135 हुआ है, अप्रैल में 14 हजार उनासी हुआ है और मई में बढ़कर के 16 हजार 208 हो गया है। हत्या महोदय जनवरी में 200 हुआ था फरवरी में बढ़कर 220 हो गया है और मार्च में 258 हो गया है और अप्रैल में 192 हुआ है और मई में 209 हो गया है। डकैती की घटना के बारे में महोदय हम कहना चाहते हैं। इसमें भी वृद्धि में देख रहा हूं महोदय। उसी तरह से देख रहा हूं रेप के मामले में महोदय। बिहार में बड़ी आबादी आधी आबादी महिलाओं की है और आज बिहार में जो रेप की घटना घटी है वह फरवरी में 88 है, मार्च में 94 है अप्रैल में 61 है और मई 79 है। इस तरह महोदय रोड डकैती, बैंक डकैती, ट्रेन डकैती और किडनैपिंग के मामले में तो बिहार देश के अक्वल राज्यों के गिनती में गिना जा रहा है। आज किडनैपिंग के मामले में जनवरी में 581 लोगों का किडनैप किया गया था फरवरी में 585 और मार्च में 590 अप्रैल में 599 और मई में बढ़कर 638 हो गया महोदय। इस तरह राज्य के अंदर में बरगलरी, रेप, ट्रेन डकैती, चोरी, रॉबरी आदि घटनाओं ने बिहार की जनता को जीना मुहाल कर दिया है। पूरे राज्य में कानून का राज खत्म हो गया है। राज्य की जनता में भय, खौफ और आतंक का महोदय माहौल कायम हो गया है। और इतना ही नहीं महोदय लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पत्रकार होते हैं। पत्रकारों पर हमले जारी हैं। आपको महोदय जानकारी होगा राजीव रंजन जी जो हिन्दुस्तान के पत्रकार थे और निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता का काम करते थे और वहां पर आर.जे.डी. के पूर्व सांसद सजायफ्ता के तौर पर सीवान डिस्ट्रिक्ट जेल में बैठे थे। उनके इशारे पर हत्या की जाती है राजीव रंजन की और वह जो शूटर था शूटर का जो लीड था महोदय पूर्व सांसद के बारे में चर्चा आया है अखबार में बात छपी है महोदय। उसी तरह से टेलीग्राफ के पत्रकार को पटना में उनको गाड़ी में बंद करके घंटों पीटने का काम किया गया है। और गया में मिथिलेश पांडे दैनिक जागरण के पत्रकार थे उनकी भी हत्या की गयी। उसके बाद दैनिक जागरण कार्यालय में घुसकर सत्ताधारी दल के विधान पार्श्व जिस तरह से

घुसकर दैनिक जागरण के पत्रकारों को बिहारशरीफ में महोदय धमकी देने का काम किया धमकाने का काम किया कि सीवान की घटना दोहरायी जाएगी महोदय । इसलिए हम कहते हैं कि आज जो हालात बिहार में पैदा हुआ है महोदय, हम कहना चाहते हैं कि हत्या का सिलसिला और घटनायें घटित हो रही हैं और लगातार पत्रकारों पर हमला हो रहा है । हमारे पार्टी के नेता मा० नन्दकिशोर जी ने आज शून्यकाल के समय आपका ध्यान आकर्षित कराया था वैशाली के पत्रकारों के बारे में । हम कहना चाहते हैं शराबबंदी के बाद शराब का समर्थन हमने भी किया है । और आगे भी महोदय हम करेंगे । इस सरकार ने क्या कहा था कि शराबबंदी के बाद अपराध कमा है । हम कहना चाहते हैं कि शराबबंदी के बाद अपराध बिहार में बढ़ा है । हम कहना चाहते हैं महोदय एक तरफ जहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि इस राज्य में क्या हो रहा है । मुख्यमंत्री के गृह जिला में पाकिस्तानी झंडा फहराया जा रहा है महोदय । राजधानी में सरकार के नाक के नीचे पाकिस्तान जिंदाबाद किया जा रहा है । आपको जानकारी महोदय है जब नालंदा जिला मुख्यालय पर जब वहां के लोगों को जानकारी मिली कि पाकिस्तानी झंडा फहरा हुआ है, तीन दिनों से फहरा हुआ है, सरकार के स्तर पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो जवाब में वहां के लोगों ने, देश प्रेमियों ने तिरंगा झंडा लहरा का जवाब देने का काम किया । इस प्रकार सरकार को जगाने का काम किया तब पाकिस्तान का झंडा वहां से उतारा गया महोदय । पाकिस्तान का झंडा उतारने के बाद महोदय हम कहना चाहते हैं कि वहां पर एक बहुत धार्मिक महोत्सव होता है और धार्मिक महोत्सव में लंगोट महोत्सव होता है । उस लंगोट महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं । श्रद्धा का विषय महोदय है । लंगोट महोत्सव में भाग लेने के लिए लोग जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर और विश्व हिन्दु परिषद के कार्यकर्त्ताओं पर और हमारे बजरंग दल के कार्यकर्त्ताओं पर सरकार ने एक साजिश के तहत मुकदमा चलाने का काम किया महोदय। क्या इस राज्य में अपनी बातों को रख नहीं सकते, क्या कुछ गलत काम हो रहा है, उसका विरोध नहीं कर सकते हैं । इस तरह से महोदय जो घटना घटी है लंगोट मेला का आयोजन प्रतिवर्ष होता है महोदय । कोई नयी बात नहीं थी लंबे समय से वर्षों से होता आ रहा था । और जिस तरह से प्रशासन ने उनको प्रताड़ित करने का काम किया और हमारे कार्य कर्त्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम किया गया है । हम चाहेंगे सरकार इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से कराने का काम करे । इसी तरह मोतिहारी जिले के तेतरिया में हम आपको बताना चाहते हैं कि 25 जुलाई को पूर्वी चंपारण में वर्षों से महोदय कांवरिया जल को लेकर गंडक नदी में जब लोग जा रहे थे और वहां पर एक विशेष धार्मिक पक्ष के लोगों ने उन हमारे कांवरियां भाई बहनों को रोकने का काम किया और कहा कि इस रास्ते पर नहीं जा सकते हो और वहां के प्रशासन ने क्या किया । सरकार के इशारे पर तुष्टिकरण के इशारे पर उनका मार्ग बदला गया । वे अपनी मांगों को

लेकर संघर्ष तेतरिया में कर रहे थे जैसे लोगों पर फायरिंग किया जाता है, लाठी चलाया जाता है और जो शिवहर के लोग थे, कांवरिया लोग थे उनको गिरफ्तार किया जाता है उनमें अनेक लोग घायल हुए ।

क्रमशः

टर्न-12ए/ज्योति/03-08-2016

क्रमशः

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : जो हमारे शिव भक्त लोग थे, जो कावांडिया लोग थे उनको गिरफ्तार किया जाता है, उसमें अनेक लोग घायल हुए थे उसी तरह से महोदय, भोजपुर जिला के रानीसागर में हम बताना चाहते हैं कि वहाँ जब एक विडीयो वायरल हुआ उसमें जब आपत्तिजनक बातों की चर्चा आयी थी । हम चाहते हैं कि बिहार में शांति बहाल हो, वहाँ के प्रशासन ने विडीयो वायरल करने वाले व्यक्ति को पकड़ने का काम किया महोदय, उसके बाद बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर रानीसागर के गरीब लोगों पर अतिपिछड़ा, महादलित और कमजोर वर्ग के लोग थे उनपर हमला किया गया, उनकी दुकानों में आग लगायी गयी, उनके सामानों को लूटा गया । आज तक सरकार के स्तर पर जो विडीयो रिकौर्डिंग किया गया था, किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी और न ही उन गरीबों को किसी तरह के राहत पहुंचाने का काम किया गया है । महोदय, बिहार की सरकार आज सभी मोर्चे पर फेल दिख रही है और सबसे बड़ी घटना बताना चाहते हैं 20 जुलाई को महोदय, हम कहना चाहते हैं गोपालगंज जिले के और थाना में तिवारी चकिया के 33 वर्षीय राजेश तिवारी ने इसलिए आत्म हत्या कर ली ।

(व्यवधान)

हम कहना चाहते हैं कि बिना परमीशन के ये बोल रहे हैं सभापति महोदय, आप परमीशन लीजिये बोलने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है । कोई महोदय, हमारी आपत्ति नहीं है । इतना ही नहीं , एक ओर जहाँ महोदय, लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर हमला किया जा रहा है वहीं महोदय, आज बिहार में न्यायपालिका जो हमारी है, पहली घटना बिहार में आजादी के बाद है कि एक जज को गोपालगंज में पीटा जाता है। पुलिस द्वारा , रक्सौल में 10 से 25 लाख के फिरौती की मांग की जाती है और छपरा, मुजफ्फरपुर जो न्याय का मंदिर वहाँ बम के धमाके से अपराधी चुनौती देने का काम करते हैं तो आज बिहार में जहाँ प्रेस और न्यायपालिका दोनों असुरक्षित है । बड़ी संख्या में महोदय, हम घटनाओं का यदि जिक्र करेंगे तो घंटों का समय लगेगा । हम कहना चाहते हैं कि घटनाएं जो महोदय, घट रही है आज दो बड़ी घटना हमारे सामने महोदय, आयी । जब सुबह में हम टहल रहे थे तो दो लोग रोते हुए बिलबिलाते हुए आए बांका की रानी खातून जो मायनरिटी परिवार से आती है और महोदय, बांका में फरवरी महीने में उनके बच्ची रानी खातून का अपहरण

किया गया था । अपहरण के बाद बलात्कार किया जाता है और महोदय, जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने लोग जाते हैं तो थाने में अपराधियों की सांठ गांठ से मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है और जब हमारे पास मिलने आये महोदय, हमने निश्चित तौर पर कहा है कि हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करायेंगे कि जो आपने मायनरिटी के नाम पर वोट लेने का काम किया आप मायनरिटी को सुरक्षा देने में आपकी सरकार पूरी तरह फेल है उसका उदाहरण है रानी खातून । रानी खातून आज टेलीविजन पर चल रही है सारी घटनाएं उसी तरह से महोदय, रोहतास में रोहतास की बड़ी घटना है एक इंजीनियर जब बाहर से लौट करके अपने घर जब आ रहा था उस अभियंता की हत्या की जाती है, हत्यारे को पकड़ने की लोग मांग करते हैं गांव के लोग उनपर उल्टे “अंधेर नगरी चौपट राजा” वाली स्थिति है उल्टी हत्या जिसकी की गयी थी उसके माता को परिवार के लोगों को गांव के लोगों को जेलों में बंद किया जाता है और अपराधी खुलेआम घूमने का काम करता है । ऐसे लोगों को सत्ता का संरक्षण महोदय, प्राप्त है एस0पी0 के पास लोग गए थे न्याय के लिए एस0पी0 ने न्याय देने का काम नहीं किया महोदय । पूरे राज्य में जो स्थिति है और सबसे बड़ी घटना हम बताना चाहते हैं 20 जुलाई 2016 को गोपालगंज जिले के भोरे थाना महोदय, उस थाने में चक्रिया के तैतीस वर्षीय राजेश तिवारी ने आत्म हत्या महोदय, कर ली एक महीने तक उसने जिला प्रशासन के पास जाकर और राज्य सरकार से गुहार लगाने का काम किया उनके जमीन को वहाँ दबंगो श्री दीना नाथ ने कब्जा कर लिया था । प्रशासन ने महोदय, कोई कार्रवाई नहीं की । इस सरकार यह तो पूरा राज्य में जो हालात पैदा हुआ है जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ है आज रंगदारी बड़ी बड़ी कंपनी एजेन्सी महोदय है बढ़ते अपराध के कारण बिहार का अपराध महोदय, बिहार में बढ़ते अपराध के कारण आज जो हालात पैदा हुए हैं, वह हालात महोदय, पैदा हुए हैं कि आज सत्ताधारी दल के लोग का संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है । हम कहना चाहते हैं कि

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य शांति बनायें । जब आपका समय आयेगा तो अपनी बातों को रखेंगे ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, ..

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय नेता प्रतिपक्ष आपका मात्र 5 मिनट समय बचा है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, हम कहना चाहते हैं कि आज बिहार में लाखों शिक्षक गर्दनीबाग में आंदोलन पर हैं । शिक्षकों को बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ है उनके झंडे तले महोदय, चार लाख शिक्षक आज बिहार में आंदोलन पर हैं, उसका मूल कारण क्या है इस राज्य में शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है । सरकार ने कई घोषणाएं की थी उन घोषणाओं का अनुपालन नहीं हो रहा है । सरकार ने पैतीस हजार शिक्षकों को गृह जिले में स्थानान्तरण करने का निर्णय लिया था । आदेश दिया था उसका पालन नहीं

हो रहा है । टीईटी संघ के जो शिक्षक थे उस शिक्षक के जो अभ्यर्थी थे, संघ के 75 हजार लोग सड़कों पर हैं, उनकी सरकार नियुक्ति करने का काम नहीं कर रही है तो महोदय, आज महिला एवं बाल विकास संघ के लोग, आंगनवाड़ी की सेविका भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रही है और सरकार उनपर लाठी चलाने का काम कर रही है । हम कहना चाहते हैं कि आजकल बिहार में टौपर घोटाला हो रहा है, हमने कहा था इस टौपर घोटाला में कौन लोग हैं ? सत्ताधारी दल में बैठे लोग जब लालकेश्वर को अरेस्ट किया गया था उसने कहा था बिहार के मंत्री का भी नाम इसमें है । हम चाहते हैं टौपर घोटाला जो हुआ है इससे बिहार की छवि धूमिल हुई है । उसमें सत्ताधारी दल की संलिप्तता सामने महोदय, आयी है निष्पक्ष जाँच के लिए सरकार सी0बी0आई0जाँच की अनुशंसा करने का काम करे । बिहार की छवि धूमिल हुई है । बिहार की बदनामी हुई है और इस तरह से बिहार की साख दुनिया में खराब हो रही है और जिसतरह से 15 वर्षों का राज घोटाले का राज था बड़े भाई के राज में, अब छोटे भाई के राज में भी घोटाला बिहार में शुरू हो गया है । ये हालत है बिहार का, हम कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र भी सरकार पूरी तरह फेल है। माननीय विधायकों के नाम पर जो योजना ली जाती थी हमारे विधायक सत्ताधारी दल के विधायक हों, प्रतिपक्ष के विधायक हों और विधायकों की जो निधि विकास योजना की निधि हुआ करती थी उस राशि में सरकार ने कटौती करने का काम किया है । सरकार बजट पास करा ली, एक रुपया भी किसी जिले में नहीं जा पाया है जिससे बिहार का विकास रुका हुआ है । अपराध बढ़ रहा है । चढ्ढा ऐण्ड चढ्ढा कंपनी, नवयुगा कंसट्रक्शन से लगातर एक करोड़ की मांग और डॉक्टर लोगों से लगातर रंगदारी की मांग की जा रही है । बिहार के उद्योग बंद हो रहे हैं । बिहार में अपहरण उद्योग पैदा हो रहा है । बिहार में रंगदारी उद्योग पैदा हो रहा है । माननीय विधायकों के अधिकार का हनन किया जा रहा है और माननीय विधायकों को जो अधिकार था सड़क नाली का विधायक अपने अन्तरात्मा से कहें सारे विधायक अपनी अन्तरात्मा से कहे, आखिर विधायक जनता से चुनकर आए हैं । जो विधायक महोदय, जनता से चुनकर आये हैं उसके अधिकार को कटौती बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं । हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोग सड़क नाली का डिमान्ड करते हैं, चापाकल का डिमान्ड करते हैं जो मुख्यमंत्री चापाकल योजना थी, सरकार ने बंद करने का काम किया है । 7 निश्चय की सरकार ने घोषणा की महोदय, कहीं जमीन पर योजना दिख नहीं रही है। विधायकों के अधिकार में कटौती करने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना - शहर की आबादी जो थी पूरे जिले का नाक शहर होता है, हृद्य होता है और वहाँ भी देखा गया कि शहरी योजनाओं को भी सरकार ने एक साजिश के तहत कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शहर से ज्यादा जीत कर आए हैं तो शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सरकार ने उपेक्षा करने का

काम किया है तो महोदय, सरकार सभी मोर्चे पर फेल है। सरकार का विकास रुक गया है। उसका मूल कारण है बढ़ते अपराध के कारण सरकार पैसे को खर्च नहीं कर पा रही है।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय नेता प्रतिपक्ष अब एक मिनट आपका समय बचा है।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : हमारा 39 मिनट है। कितना था हमारा ?

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : एक मिनट बचा है।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : 39 मिनट था और मैं मात्र बोला हूँ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका समय समाप्त हो गया नेता प्रतिपक्ष।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : एक मिनट में कन्क्लुड कर रहे हैं तो कहना चाहते थे महोदय, सात महीने के इस गठबंधन सरकार में जिसतरह अपराध का ग्राफ बढ़ा है, विकास रुक गया है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शराब बंदी के नाम पर हमने भी समर्थन किया था कि जो काला कानून और तालिबानी कानून जो लाया गया है उसका भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक विरोध करने का काम करेगी, उसका दुरुपयोग जो हो रहा है आने वाले समय में बैठेंगे नहीं हम जन-जन तक ले जाकर जनता के बीच में सरकार को बेनकाब करेंगे, जिस बिहार में शराब का उत्पादन हो रहा है, बियर का उत्पादन हो रहा है वहीं पर सरकार शराबबंदी पर उपदेश देते फिर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।

टर्न-13/3-8-2016/बिपिन

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य श्री नवाज आलम।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके नामों की चर्चा हुई है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ आसन से कि प्रोसिडिंग से उसको हटा दिया जाए।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): जो भी असंसदीय बात कही गई है उनको प्रोसिडिंग से हटा दिया जाए।

(व्यवधान)

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): पद का नाम लिया जाता है, व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है।

जो भी असंसदीय बातें कही गई हैं उनको प्रोसिडिंग से हटा दिया जाए।

श्री नवाज आलम: सभापति महोदय, मैं आज ग्रामीण विकास विभाग के प्रथम अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

महोदय, मैं अपने भाषण का आगाज करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री और गठबंधन के तमाम नेता के उपर एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ -

‘मंजिल पर पहुंचना है तो कांटों पर चलना सीखो,
कांटे ही बढ़ा देते हैं रफ्तारे कदम के ।’

जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री ने, जो एक सपना था महात्मा गांधी का, बापू का जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता आदरणीय लालु यादव ने जो सपना देखा था, गांव-गवई तक अपने उस नीचले पंक्ति तक पहुंचाने का जो सपना था, वह सपने को साकार करने के लिए जब वह सपना साकार करने का महागठबंधन के साथियों ने लिया तो इनके तमाम विरोधी पार्टी के दिलों में बेचैनी और खलबली मची हुई है । साथियों, काफी दशक से लोग कराह रहे थे, नीचली पंक्ति में बैठे हुए लोग, जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, आदरणीय नेता लालुजी, चाहे वह तमाम लोग जो पूर्वज हमारे कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो सपना देखा था, आदरणीय महात्मा गांधी ने...

(व्यवधान)

बैठिये, बैठिये । सुन लीजिए पहले । सुनिये ...

(व्यवधान)

जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए...

(व्यवधान)

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, आप अपना आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री नवाज आलम : आप जानते हैं बसावट क्या है ? बसावट नहीं जानते ...

(व्यवधान)

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): मैंने कहा कि जो भी असंसदीय बात कही गई है उसको प्रोसिडिंग से निकाल दिया जाए ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): जो भी असंसदीय बातें कही गई हैं उसको प्रोसिडिंग से निकाल दिया जाए ।

श्री नवाज आलम : उसी कड़ी में दुनिया के गरीब देशों की गरीबी को दूर करने के लिए सर्वेक्षण हुआ था महोदय, वह महोदय 2000 में न्यूयॉर्क में हुआ था । यूनाईटेड नेशन द्वारा मिल्लेनियम सम्मेलन 2015 में गरीबी आधी करने का लक्ष्य रखा गया था महोदय । उस योजना आयोग द्वारा गठित तेन्दुल्कर कमिटी द्वारा गठित की गई थी जिसमें 55.5परसेंट ग्रामीण क्षेत्रों को और 43.7 प्रतिशत् शहरी आबादी को बी.पी.एल. की श्रेणी में रखा गया था महोदय । आज जो है उस कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक लगता है कि सचमुच में गांव के लोग कराह रहे हैं और विपक्ष के लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो सात निश्चय लेकर चलते हैं सात निश्चय को अध्ययन करने के काम को साथियों, शहर से

आप आते हैं, आप नहीं जानते बसावट को, नहीं जानते पगडंडी को, नहीं जानते, इसलिए आप उसको जानने की कोशिश करो कि सात निश्चय में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हर घर तक नल पहुंचाने का, आप बड़ी-बड़ी टंकियां लगाते थे, बड़े-बड़े महलों में रहते थे, आपका पानी खुलता था, वह सपना आदरणीय लालु यादव ने जो सपना देखा था गांव के गरीब के बीच में भी वह ट्यूबवेल कैसे जाएगा, वह कैसे अपने ट्यूबवेल का पानी पीएगा, वह स्वच्छ पानी कैसे पीएगा, उसको लाने का काम हुआ है महोदय । महोदय, माननीय विपक्ष के नेताजी कहते हैं कि बाढ़ आ रही है...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, एक मिनट समय बचा है आपका ।

श्री नवाज आलम: और केन्द्र सरकार हाई डैम बनाने का काम करती । हाईडैम बनवाने का काम नेपाल में कर रही है तो निश्चित बाढ़ की जो समस्या है, वह कम होने का काम होगा साथियों । इसलिए सात निश्चय की जो योजना है महोदय...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें ।

माननीय सदस्य, आपका समय सात मिनट हो गया है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, आज मैं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा, आप अपना भाषण प्रारम्भ करें ।

(व्यवधान)

श्री अभय कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, आज मैं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अनुदान की मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, 80 प्रतिशत राज्य की आबादी गांव में बसर करती है । राज्य के विकास के लिए आवश्यक है महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास । महोदय, मैं जिक्र करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्रीजी का । महागठबंधन की सरकार विकास की किरण को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है ।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा, समझ जाइए आप पर भी आएंगे, काहे के लिए चिंता कर रहे हैं, आपके मन में लड्डू जो फूट रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन की सरकार की जो सात निश्चय की योजना लाई गई है उसके द्वारा आपकी भी मंशा पूरी हो रही है । आप विपक्ष में बैठे हैं, आप अपनी विपक्ष धर्म को निभा रहे

हैं। इसलिए आप उसको उजागर नहीं करते हैं लेकिन आपके मन में भी लड्डू फूट रही है कि गांव की हरेक गली पक्कीकरण हो, हर एक घर में नल का पानी पहुंचे ।

महोदय, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य जहां एक ओर बेहतर आर्थिक विकास करना है, वहीं दूसरी ओर व्यापक सामाजिक बदलाव लाना भी है महोदय । सामाजिक बदलाव में महोदय हम जिक्क करना चाहेंगे जीविका । ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जीविका के माध्यम से गांव-गांव ही नहीं महोदय, गली-मुहल्ले की महिला हमारी आत्मनिर्भर हुई है । इसे नकारा नहीं जा सकता है महोदय । हमें वह दिन भी याद है महोदय, जबसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को आगे लाने के लिए पंचायतों में, पुलिस विभागों में आरक्षण लागू किए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं लाए, स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और किया जा भी रहा है ... क्रमशः ...

टर्न:14/कृष्ण/03.08.2016

श्री अभय कुमार सिन्हा (क्रमशः) महोदय, आज वही बिहार के गांवों की महिलायें एक से बढ़कर एक विकास कार्यों में भागीदारी निभा रही है । इस समूह के माध्यम से गांव से लेकर शहरों तक अनेक रोजगार पैदा हुई है । आज महिलायें समूह के साथ कहीं पर पी0डी0एस0 की दुकान चला रही हैं, कहीं पर सामूहिक रूप से खेती कर रही है, कहीं पर पापड़, आचार आदि वस्तुओं का निर्माण कर उसका व्यापार कर रही है । यह अभूतपूर्व बदलाव ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया गया है । महोदय, हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और महागठबंधन की सरकार को, महोदय, 7 निश्चय, बोलने के लिये हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य इस पर सवाल उठाते हैं । लेकिन मैं दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों के मन में 7 निश्चय पर लड्डू फूटते रहता है कि ये सात निश्चय हमारे क्षेत्र के लिये भी लाभकारी होगा । इनके मन में भी लड्डू फूटता है । जिस तरह से महागठबंधन सरकार के सात निश्चय पर बिहार की आवाम को भरोसा है, उसी तरह से हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी मालूम है कि ये सात निश्चय निश्चित तौर पर पूरा होगा । महोदय, महात्मा गांधी रोजगार गारांटी योजना के तहत पौधा रोपण, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, पक्की सड़क, पोखरा, तालाब, पईन के निर्माण से ग्रामीण विकास को बल मिला है । महोदय, एक तरफ जहां बल मिलता है, वहीं दूसरी तरफ केन्द्र सरकार जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो उसमें केन्द्र सरकार कटौती करने को तैयार रहती है । महोदय, गरीबों के लिये बहुत ही लाभकारी योजना है इन्दिरा आवास योजना । पहले केन्द्रांश वहां से मिलता था 25 परसेंट और सरकार का लगता है 75 परसेंट, उसमें कटौती की गयी है, मनरेगा में कटौती की गयी । इस तरह की दोहरी नीति अपनाते रहते हैं । महोदय, मैं

कहना चाहता हूँ कि ये लोग विकास नहीं देखना चाहते हैं । एक साथी बोलते थे, हेलिकोप्टर से उतरते हैं और बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी विकास में विश्वास नहीं रखते हैं । इस तरह से बोलते हुये भी सोचना चाहिए । श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास का नींव रखने का काम किया है । अगर किसी पुरुष का नाम विकास पुरुष के नाम पर बिहार में अभी रखा गया तो नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहते हैं और आप भी नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहते हुये थकते नहीं थे । वह दिन भी याद है महोदय । इसलिए मुख्यमंत्री संपर्क पथ योजनान्तर्गत बसावटों तक सड़कों का निर्माण करना ये तमाम योजनायें है महोदय, निश्चित तौर हम कहना चाहेंगे, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा और महागठबंधन सरकार के द्वारा यह जो बदलाव आयेगी, सात निश्चय के माध्यम से, क्रांतिकारी बदलाव आयेगी, मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये जो सात निश्चय बिहार में लागू होनेवाला है, आनेवाले समय में देश क अन्य राज्य भी इसका अनुकरण करेगा, यह मेरा मामना है चूंकि ये तमाम योजनायें जो सात निश्चय में है, वह गली-कुची के लागों से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, 7 निश्चय में हर घर में नल का पानी पहुंचाने का निश्चय है । महोदय, यह कोई मामूली योजना नहीं है । हमारे साथी अभी बोल रहे थे, बोलने में तो बहुत-सी बातें आती हैं, हमारे विपक्ष के साथी जो बोलते हैं, हमारी सरकार धैर्यपूर्वक सुनने का काम करती है और जब सरकार का उत्तर होने लगता है तो ये लोग उठ कर बाहर चले जाते हैं । ये किस तरह के विकास की बात करना चाहते हैं ? आप अगर कहने की क्षमता रखते हैं, बोलने की क्षमता रखते हैं तो बैठ कर सुनने का भी हिम्मत रखिये । यह हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे । महोदय, पारिवारिक लाभ योजना हो या मुख्यमंत्री आपदा सहयोग राशि, ग्रामीण परिवेश को को अच्छा सहयोग मिल रहा है । हमारा न्याय के साथ जो विकास का नारा है, वह तेज गति से बिहार में बढ़ रहा है । महोदय, वह दिन दूर नहीं, माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में, जो भी निर्णय लिये गये हैं, बिहार की आवाम को भरोसा है कि निश्चित तौर पर वह निश्चय पूरा करेंगे । यह पूर्ण विश्वास है । हमारे नेता के नेतृत्व में जो कारवां चली है, वह निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी । महोदय, विचारधारा और मानसिकता की बात करते हैं, बिहार और देश की जनता देख रही है । बिहार की जनता ने आपको जवाब दे दिया है और आनेवाले समय में देश की जनता भी आपको जवाब दे देगी । यही मैं कहना चाहता हूँ ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य आपका अब एक मिनट समय बचा है ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : अभी भी समय है, आप भी विकास में भागीदार बनें तो आनेवाले समय में आपको भी लाभ मिलेगा । इन्हीं शब्दों के साथ सदन के प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद-विवाद में कटौती प्रस्ताव जो विपक्ष की ओर से लाया गया है, उसके विरोध में और मांग के समर्थन में आसन की ओर से मेरा नाम पुकारा गया, मैं आपको कृतज्ञता ज्ञापित करते हुये महोदय, निम्न निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोग नीतीश कुमार की आलोचना करते हैं, वे विपक्ष में हैं, आलोचना करना उनका काम है, लेकिन यह बात तय है कि नीतीश कुमार जी के साथ ये सरकार चला चुके हैं और नीतीश कुमार जी के वर्किंग को ये जानते हैं। निस्संदेह आज महागठबंधन की हुकूमत राजद, जदयू और कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार की अगुआई में राज्य को आगे ले जाने के लिये प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और राज्य अग्रसर हो रहा है। महोदय, नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय को आगे बढ़ाया है और ये सात निश्चय महोदय, कोई नीतीश कुमार आज नहीं कर रहे हैं। हमारे गठबंधन का पूर्व का ये तीनों दलों के नेताओं का एग्रीमेंट है उसी प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विजय कुमार सिन्हा जी और नेता, प्रतिपक्ष श्री प्रेम बाबू बोल रहे थे, कहा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि गरीबी और अमीरी की खाई चौड़ी हो रही है, बात तो सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते-रहते आज सत्ता के शीर्ष पर केन्द्र में बैठी हुई है। क्या हो रहा है? कैसे गरीबी और अमीरी की खाई पटेगी, जब यू0पी0ए0 की सरकार केन्द्र में थी तो यू0पी0ए0 के शासनकाल में इन्दिरा आवास में जो प्रतिशत था, 75 और 25 का था, 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती थी और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का था, इनके सत्ता में आने के बाद उसका क्या हालत हुआ? इन्होंने 50-50 कर दिया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सड़क योजना में मनमोहन सिंह की हुकूमत 100 प्रतिशत खर्च करती थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के मार्गदर्शन में चलनेवाली हुकूमत, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उस हुकूमत में भारत सरकार 100 प्रतिशत व्यय करती थी पूरे भारत वर्ष में, आज उसका हालत क्या हो गया, 60 और 40 का। उसी प्रकार से सर्व शिक्षा में और 75 का रेशियो था, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की हुकूमत में 65 और 35 हो गया। बिजली के बारे में शोर तो होता है, बिजली की मांग करते हैं लेकिन केन्द्र सरकार से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, प्रतिपक्ष के प्रेम बाबू और अन्य साथियों को भी कहना चाहिए था कि बिजली में जो 90 और 10 का रेशियो था, उसको काट करके केन्द्र सरकार ने मोदी जी की हुकूमत ने 60 और 40 कर दिया।

कमश :

टर्न-15/राजेश/3.8.16

श्री विजय शंकर दूबे, क्रमशः- कैसे विकास होगा और गरीबी और अमीरी के खाई को पाटने का जो संकल्प नीतीश कुमार जी ने लिया है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है ? केन्द्र सरकार ने बिहार जैसे पिछड़े राज्य का और अन्य राज्य जो बिहार के श्रेणी में खड़े हैं, उनको आगे ले जाने के लिए कौन सा कदम उठाया है, यह बात कहने की सत्ता से बाहर, बड़े-बड़े सपने दिखाये गये मुल्क को सत्ता लेने के लिए लेकिन सपना सपना ही रह गया, हकीकत में तबदीली नहीं हुआ महोदय, इसलिए यह आलोचना इस सदन में ये लोग विपक्ष में है, करें लेकिन साथ ही भारत सरकार, अपनी हुकूमत को और अपने नेता मोदी जी को जरूर यह सुझाव दें और दबाव डाले कि राज्यों के विकास में और जो राज्य विकास कर रहा है, जैसे बिहार जो विकास कर रहा है, उसकी राशि में कटौती नहीं की जाय । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी की हुकूमत 7 निश्चय का जो संकल्प लिया नशाबंदी का, वह पूर्व से निर्धारित था, नशाबंदी के संकल्प की ओर ये आगे हैं, जो कानून में परिवर्तन किया गया है, उसको देखा जायेगा । महोदय, मैं उस दिन भी सुन रहा था नेता प्रतिपक्ष के लोगों का और नेता प्रतिपक्ष का भी और माननीय नंदकिशोर यादव जी का भी सुन रहा था, कानून तो बनते हैं महोदय, देश का संविधान बना, बड़े-बड़े विद्वान देश का संविधान बनाये, तो उस संविधान में भी आवश्यकतानुसार 100 से ज्यादा परिवर्तन हुआ, अभी बना है, जो अभी कानून लाया गया है नशाबंदी के विरोध में उसकी समीक्षा करेगी सरकार और देखेगी और उसके रिजल्ट को, प्रतिफल को समय-समय पर नीतीश कुमार जी ने कहा है कल की मीटिंग में कि हम देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में भी जहाँ खामियाँ होंगी, कोई अधिकारी/पदाधिकारी नाक के सीध पर चलने के बजाय इधर-उधर करेगा, सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार बखशेगी नहीं, यह मैं कहना चाहता हूँ, यह हमारी महागठबंधन की प्रतिबद्धता है, उससे हम जुड़े हुए हैं । महोदय, आगे मैं कहना चाहता हूँ ग्रामीण विकास विभाग पर, वैसे तो 42 विभागों के गिलोटीन का सब्जेक्ट है लेकिन मैं ग्रामीण विकास विभाग पर चंद सुझाव देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को, मनरेगा का या 11वां वित्त आयोग का, 12वें का, 13वें का, अब तो 14वां आ गया, इसमें भारत सरकार ने कटौती की है, उसमें भी पैसे काटे हैं और ये राज्य में विकास की बात करते हैं, तो कैसे कटौती कर दिया भारत सरकार ने, तो इन पैसों का जो व्यय होता है राज्य में, तो उन पैसों का हिसाब किताब वैसे तो ऑडिट होता है, इन्टरनल ऑडिट भी होता है, इसके साथ ही ए0जी0 के लोग भी ऑडिट करते हैं लेकिन व्यापक तरीके से ए0जी0 इसे नहीं देख पाता है, कुछ ही बिन्दुओं को देखता है, कुछ ही बिन्दुओं को ले करके अपनी टीका-टिप्पणी करता है लेकिन इसका इन्टरनल ऑडिट कराने की जरूरत है और प्रखंडों में जो पैसा मनरेगा का पंचायतों में गया या खर्च हुआ नहीं हुआ,

व्यय हुआ नहीं हुआ, पिछले वित्तीय वर्ष के पैसे व्यय हुए या नहीं हुए, इंदिरा आवास बने या न बने, इन सारे चीजों की व्यापक रूप से समीक्षा करने की जरूरत है इन्टरनल ऑडिट के द्वारा या कोई एजेंसी डेवलप करके ग्रामीण विकास भी हमारा संकल्प है,इसको आपको देखने की जरूरत है,इस विषय पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ महोदय मांझी और जलालपुर प्रखंड के दोनों प्रखंडों में जो इंदिरा आवास बने हैं गरीबों का उनका और जो व्यय हुआ है प्रखंडों में बी0डी0ओ0 और मनरेगा के अधिकारियों के द्वारा उसकी व्यापक जांच आप जरूर करवाइये, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ । उसी तरह से दूसरे अन्य विभाग जो ग्रामीण विकास विभाग के तहत गाँवों में, बिहार गाँवों का देश है,वैसे पूरा भारतवर्ष ही गाँवों का देश कहा जाता है और 80 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है और ग्रामीण विकास से आपका श्रवण बाबू यह विभाग गाँव और गवई से जुड़ा हुआ है,इसको आपको देखना है और ब्लॉक स्तर पर गड़बड़ियों पर व्यापक निगरानी रखने की जरूरत है । महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव):- माननीय सदस्य, अब आपका समय मात्र एक मिनट बचा है । श्री विजय शंकर दूबे:- महोदय, मैं एक मिनट में दायरे में रहते हुए अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। सभापति महोदय, ग्रामीण विकास विभाग जो गाँवों में काम हो रहे हैं और आगे जो होने वाले हैं, आर0एल0डब्लू0डी0 वन और टू के द्वारा रोड, माननीय सदस्यों से सुझाव लिये भी गये और लेना भी है, सरकार का आदेश है कि माननीय सदस्यों से सुझाव ले करके जिला स्तर के कार्यपालक अभियंता उसका एस्टीमेट तैयार करेंगे, प्रॉयरिटी तय करेंगे माननीय सदस्य, प्रॉयरिटी तय होने के बाद उस रोड में भी डिविज़न विभाग के लोग करते हैं,यह क्या हो रहा है, जो माननीय सदस्य अपना प्रॉयरिटी तय करके दिये हैं,उसमें अगर डिविज़न हो रहा है

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव):- माननीय सदस्य, अब आपका समय हो गया है ।

श्री विजय शंकर दूबे:- महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आसन ने मुझे बोलने का अवसर दिया, मेरा नाम पुकारा, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव):- माननीय सदस्य, कुमार सर्वजीत ।

श्री कुमार सर्वजीत:- माननीय सभापति महोदय, 16वीं विधान सभा के मॉनसून सत्र के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के वाद-विवाद पर आपने मुझे कहने का मौका दिया,हम आपके आभारी हैं । महोदय, हमारी महागठबंधन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी एवं महागठबंधन के द्वारा हमलोगों को जो गाँव में रहने वाले व्यक्तियों को जो सम्मान दिया है इस सरकार ने, हम आपके

माध्यम से इस सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं । आज हमारे बिहार में 80 से 90 प्रतिशत लोग गाँव में रहते हैं सभापति महोदय और सरकार ने नली, गली, पीने का पानी, बिजली यह जो सुख सुविधा दिया, देश के गरीब-गुरबा जो गाँव में रहते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए और जैसे ही यह सुविधा लोगों के संज्ञान में गया कि अब गरीब का बेटा, दलित का बेटा गाँवों में अपने सड़क पर चलेगा, अपने गंदा पानी नाली में बहायेगा, तो गुजरात में जहाँ बी0जे0पी0 की सरकार है, वैसे जगहों पर हमलोगों को नंगा करके मारने का काम किया(व्यवधान)

सभापति महोदय,ये लोग दलितों के उपर अत्याचार भी करते हैं और बोलने से भी रोकते हैं,जब हम अपनी बात को रखना चाहते हैं.....(व्यवधान)

(इस अवसर पर बी0जे0पी0 के माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव):- माननीय सदस्यगण आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत:- महोदय, कड़वा सच इनको जो है, सच्चाई जो है, उसमें इनको कड़वा लग रहा है । सभापति महोदय, उसके बाद जब गरीब का बेटा सड़क पर चलने की इच्छा व्यक्त किया, तो इनलोगों ने सड़क में राशि कटौती कर लिया, जब गाँव में गरीब का बेटा बिजली प्राप्त करने का आशा रखा, तो इन्होंने इसमें पैसा कटौती कर लिया ।

...क्रमशः...

टर्न-16/सत्येन्द्र/3-8-16

श्री कुमार सर्वजीत(क्रमशः) गरीब का वेटा जो गाँव में रहता है उसको इन्होंने किरासन तेल में कटौती कर लिया । हम गरीब का भूखे गरीब को पेट भरने के लिए जो अनाज मिलता था उसको इन्होंने कटौती कर लिया महोदय और एक हिन्दुस्तान के अखबार में सभापति महोदय, अखबार में हमने पढ़ा है इनके सरकार के जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं उनका एक बयान हमने पढ़ा, हिन्दुस्तान अखबार में लिखा था कि बिहार के मंत्री जो दलित के नेता कहलाते हैं उनमें से एक भी बिहार के गरीब गुरबा का अवाज नहीं उठाता है, वह केवल परिवारवाद की बात करता है । यह इनके दल के नेता कह रहे हैं महोदय ।

(व्यवधान)

सच्चाई सुनिये और महोदय,जब हमारी...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव):माननीय सदस्य,अब आपका समय हो गया है ।

श्री कुमार सर्वजीत: महोदय, गरीब के वेटा को नंगा करके आप मारते हैं और जब चिल्लाता है तो आप उसको काटते हैं, ये कहां का न्याय है भाई।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब आप आसन ग्रहण करें।

श्री कुमार सर्वजीत: सभापति महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। सभापति महोदय, एक तरफ आप हमको नंगा कर के मारते हैं और जब यहां मैं बोलने का प्रयास करता हूँ तो हमारी आवाज को यहां भी दबाने का काम करते हैं। सभापति महोदय, ये कहां का न्याय है? हमको भी बोलने का अधिकार है सभापति महोदय। एक दलित के वेटा को बोलने का अधिकार है, हमारी आवाज को क्यों ये दवाना चाहते हैं, आप एक तरफ सड़क पर हमको मारते हैं, एक तरफ सड़क पर नंगा कर के मारते हैं और दूसरी तरफ हमारी आवाज को हाउस में भी दवाने का महोदय सभापति महोदय प्रयास किया जाता है।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): आपका समय हो गया है। अब कृपया आसन ग्रहण करें।
आपका समय हो गया है आप बैठ जायें।

(व्यवधान जारी)

श्री लक्ष्मेश्वर राय: आदरणीय सभापति महोदय...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): जो अससंदीय टिप्पणियां की गयी हो, कार्यवाही से उसको हटा दिया जाय।

श्री लक्ष्मेश्वर राय: आदरणीय सभापति महोदय जो अनुपूरक व्यय पर बोलने का हमको अवसर दिया गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान जारी)

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): मैंने पहले ही कहा है कि जो भी अससंदीय टिप्पणियां की गयी है उसको प्रोसिडिंग से हटा दिया जाय।

श्री लक्ष्मेश्वर राय: सभापति महोदय, हम विपक्षी भाईयों से कहना चाहेंगे कि वो हल्ला गुल्ला बंद करें। महोदय, ये लोग गांव विरोधी हैं जब गांव की बात होती है तो इनलोगों को बुरा लगता है। ये लोग सिटी सेंटर के लोग हैं महोदय और जब ग्रामीण विकास विभाग की बात हो रही है तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। ये लोग सिटी सेंटर वाले हैं इनलोगों का यही तरीका है महोदय, ये गांव विरोधी हैं। याद करिये जब बिहार में गांव की बात हो रही थी तो ये लोग चाय की बात कर के इस देश को लुभाने का काम किया था और जब ये लोग देश में सत्तासीन हुए तो चाय के बदले बाजार में गाय लाकर इनलोग बेचे, ये लोग देश विरोधी, विकास विरोधी हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से शिकस्त करना चाहिए। जनता तो शिकस्त आने वाले समय में करेगा।

(व्यवधान जारी)

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): हमने कहा कि जो भी अससंदीय टिप्पणियां की गयी है, उसको कार्यवाही से हटा दी जायेगी।

श्री लक्ष्मेश्वर राय: इनकी तो आदत रही है।

(व्यवधान जारी)

आदरणीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के अनुपूरक व्यय पर जो विपक्ष द्वारा कटौती लाया गया है हम उसका विरोध करते हैं। याद करिये कि जब जब गांव की बात होती है तो ये बीजेपी और विरोधी लोग हल्ला करते हैं, इनको गांव की बात नहीं पचती है। याद करिये जब गांव की बात हुई थी देश में तो चाय के नाम पर, चाय बेचने के नाम पर इस देश में चुनाव प्रचार हुआ लेकिन जब सत्ता में गये तो चाय को छोड़कर गाय को बाजार में ला दिये, ये यही लोग है, यही है बीजेपी वाले लोग जब ग्रामीण विकास की बात होती है, महोदय, अटल बिहारी बाजपेयी जी ने गांव के विकास के लिए 90:10 प्रतिशत का अनुपात रखा तो कांग्रेस पार्टी ने भी उसको समर्थन किया लेकिन जब ये लोग सत्ता में आये तो गांव के विकास को अवरोध कर के ये लोग 60:40 का रेशियो बनाये। जब जब गांव की बात हुई है तो ये लोग निराश करते आये हैं। ग्रामीण विकास का जो अनुपूरक व्यय है निश्चित रूप से बीजेपी विरोधी भाईयों को सुनना चाहिए। यहां बाढ़ की समस्या पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इन्दिरा आवास पर, बात हो रही है ग्रामीण विकास पर, बात हो रही है कि गांव का कैसा विकास हो लेकिन हमारे विपक्ष के नेता भी बाढ़ पर चर्चा किये। मित्रों, आप याद करिये बिहार की जनता देश को बहुत कुछ दिया है चाहे महात्मा गांधी हो, उन्होंने ही पश्चिम चम्पारण के गांव से आजादी का लड़ाई शुरू किया था। आप याद कीजिये इस देश में जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आये है वो पूरी तरह से शहर की बात करते हैं वो सिटी सेंटर की बात करते हैं, गांव की बात नहीं करते हैं, ये बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। मित्रों, आज गांव में सड़क की जरूरत है, गांव के लोग लोग निर्मली झंझारपुर जाते हैं जहां छोटी लाईन को बड़ी रेल लाईन में बदलने की जरूरत है, गली को पीसीसी की जरूरत है। अब तो लगता है इस देश में दो धारा है, एक धारा नीतीश कुमार की धारा है वह गांव का विकास चाहती है दूसरा धारा नरेन्द्र मोदी जी का है जो शहर का विकास चाहता है इसलिए मित्रों, निश्चित रूप से इन सब को सबक सिखाना चाहिए। (व्यवधान जारी) आदरणीय सभापति जी, निश्चित रूप से ये लोग जो गांव विरोधी है, ये ग्रामीण विकास विरोधी है, ये आम लोगों की विरोधी हैं ये शहरी लोगों के पक्षधर है शहरी लोग की मदद करते हैं इसीलिए ये लोग निश्चित रूप से गांव विरोधी है। (व्यवधान जारी) आदरणीय सभापति जी, महोदय इन लोगों को सुनने की क्षमता रहनी चाहिए। (क्रमशः)

टर्न-17/मधुप/03.08.16

..क्रमशः..

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, हम विपक्षी भाइयों से चाहेंगे, जो विपक्षी दल के बड़े नेता हैं आदरणीय नन्द किशोर बाबू, ये कल कहे थे....

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : मैंने पहले ही कहा है कि जो भी असंसदीय बात होंगे, कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे । एक बार मैंने कह दिया । आप कार्यवाही में बाधा नहीं डालें ।

मैंने पहले ही कहा कि जो भी असंसदीय बातें कही गई हैं, कार्यवाही से निकाल दी जायेंगी । आसन ग्रहण कीजिये ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, ये सत्र का समय खराब कर रहे हैं । ये लोग अच्छी बात सुनना नहीं चाहते हैं, ये गाँव के विकास के नाम पर भड़क जाते हैं । इसीलिये आदरणीय सभापति जी, हम चाहेंगे कि गाँव का विकास.....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : सरकार की आलोचनाएँ होती रहती हैं चाहे देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो । जो सरकार का मुखिया होता है, लोग उसकी आलोचना करते हैं । यह कोई नई बात नहीं है । व्यक्तिगत रूप से आलोचना नहीं होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : मैंने पहले ही कहा है कि जो भी असंसदीय टिप्पणियाँ की गई हैं, उसको निकाल दिया जायेगा । सब उसमें चला आयेगा । अब आसन ग्रहण करें।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, आदरणीय नेता जो विपक्षी दल के बड़े नेता हैं, कल बोले थे कि अंधेर नगरी चौपट राजा । उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला था, एक भी हमलोगों की तरफ से लोग उनका विरोध नहीं किये थे । कारण उनको कटुता करने का, विरोध करने का....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य अब आपका समय हो गया है ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, हल्ला में हमारा समय चला गया । जो हमारा समय हल्ला में चला गया, वह समय हमको दिया जाय ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : हम कहना चाहेंगे कि आपलोग भी दूसरे को सुनने का पूरा धैर्य रखिये । नहीं तो आने वाला समय में आपका हाल खस्ता हो जायेगा, इससे भी कम स्थिति में चले जाइयेगा । गाँव की जनता नीतीश कुमार को चाहती है, गाँव की जनता सात निश्चय चाह रही है । आने वाले समय में, एक नारा है-नीतीश कुमार फकीर है, देश का तकदीर है । बिहार देश को दिशा देगा, बिहार देश को नया विकास का रास्ता दिखायेगा । इन्हीं चन्द बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

श्री रामदेव राय : महोदय, प्रथम अनुपूरक व्यय के संबंध में जो माननीय मंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलते हुये कुछ अपनी बात सदन के माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूँगा। बहुत खुशी है कि आप मुझे कुछ समय दिये हैं।

महोदय, मैं पूरे सदन से आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि देश और राज्य की खुशहाली चाहते हैं, बिहार को समृद्धशाली स्टेट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अटैक की राजनीति को छोड़ दीजिये और अगर आप प्रोटेक्ट की राजनीति करते हैं तो देश और राज्य दोनों का भला होगा। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे, मेरा यह एक रिक्वेस्ट है। हमेशा सदन में या सदन के बाहर अगर हम केवल अटैक की राजनीति करते रहेंगे और प्रोटेक्ट की राजनीति नहीं कर पायेंगे तो कभी भी हमारा राज्य खुशहाल नहीं हो सकता है, कदापि संभव नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सात आश्चर्य को आपके सामने रखा है। आश्चर्य है - आश्चर्य और इसे समझने की जरूरत है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ, मैं टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अगर टीका-टिप्पणी सुनना चाहेंगे, मैं तो जानता नहीं था कि मैं बोलूँगा, तैयार होकर तो आया नहीं हूँ लेकिन कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ। सात निश्चय है, आप जानते हैं सात निश्चय किसको कहते हैं? नहीं जानते हैं। मुख्यमंत्री जी का साइकोलोजिक ब्रेन है, मैकेनिकल ब्रेन है, टेक्निकल ब्रेन है, फिलौसफिकल ब्रेन है, लिटरेरी ब्रेन है। आप देखते होंगे शाम के बाद आकाश में उत्तर की तरफ सतभईया उगता है। वह सतभईया क्या है, जैसे-जैसे सतभईया आकाश की ओर बढ़ेगा और नीचे ढलेगा, वह समय को इंगित करता है। ग्रामीण जीवन में लोग सतभईया देखकर, गरीब लोग घड़ी नहीं पहनते हैं, सतभईया देखकर रात की पहचान करते हैं कि अब रात का क्या समय हो रहा है। उसी तरह यह सात निश्चय - वंडरफुल स्टैंडर्ड ऑफ बिहार चीफ मिनिस्टर। आप सात आश्चर्य में एक आठवाँ आश्चर्य को जोड़िये जो ये पूरा करने के लिये कहे हैं और इनके कदम को अगर हमलोग मिलकर सुरक्षा नहीं देंगे, उन्हें बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे तो बिहार कैसे खुशहाल होगा। एक ओर तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं। आप ही सदन में प्रस्ताव पारित किये, हम लोग उस समय आश्चर्यचकित थे कि आप दोनों मिलकर बिहार को ऊंचाई पर ले जायेंगे लेकिन आज जब केन्द्र में आपकी सत्ता आ गई, हमलोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप इसे देंगे। मगर नहीं हुआ। आप एक आइटम देखिये, महोदय। माननीय महोदय, मैं एक आइटम सिर्फ कहता हूँ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, जरा शांति बनावें।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। आपके कई कदम अच्छे हैं, मैं मानता हूँ और उसके लिये हमारे मुख्यमंत्री जी भी आपको

बधाई दिये हैं लेकिन आप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लिये बधाई को कौन कहे, सहयोग भी देना नहीं चाहते हैं फिर बिहार की तरक्की कैसे चाहते हैं ? केवल वोट के लिये, केवल सत्ता के लिये कि गरीब का बेटा कहला कर, चाय बनाने वाला का बेटा बनाकर आपने सत्ता हासिल किया । हमें भी खुशी हुई, पार्टी से अलग होकर भी बिहार के लोगों ने वोट दिया लेकिन आज क्या उसका हश्र है, क्या परिणाम है, आप तमाम लोग जानते हैं । आप याद कर लीजिये, अभी हमारे एक पूर्व सदस्य ने चर्चा की है, इंदिरा आवास गरीबों की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, आपने क्या किया ? 50 : 50 के अनुपात को 60 : 40 किया । 60 : 40 करने के बाद क्या किया, 9 राज्यों को आपने इसका लाभ नहीं दिया है । 9 राज्य आज तक लाभ से वंचित हैं । क्या कारण है इसका? इतना ही नहीं, हमारा जो भौतिक लक्ष्य था उसमें भी अभी 50 हजार घर की कमी आपने कर दी । वे गरीब कहाँ बसेंगे जिन्हें एक शाम पेट में रोटी नहीं मिलती है, जिन्हें रहने के लिये झोपड़ी नहीं है, आप उनके लिये कोई इंतजाम नहीं कर पाते हैं । केन्द्रांश आप नहीं दे रहे हैं, भौतिक लक्ष्य आपने निर्धारित किया 60 और 40 का रेशियो लेकिन आप दे रहे हैं क्या, देखे हैं क्या ? आप देखें कि कितना आपने अन्याय किया है । केन्द्रांश और राज्यांश का अनुपात 60 और 40 किया गया तो बिहार के लिये आवंटन उपबंध को बढ़ाने के बजाय यथावत रखा गया और लक्ष्य में ही आपने कमी कर दी जो घटकर 2,33,546 हो गया । इस प्रकार भौतिक लक्ष्य में 46,509 आवास की कटौती आपने कर दी । अब बोलिये । चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में इतने गृहविहीन परिवार सहायता राशि से वंचित रह गये और 2014 में जहाँ 9 जिला को सहायता राशि का जो द्वितीय किश्त देना था, आपने नहीं दिया । हमारे मुख्यमंत्री जी ने कॉरपस फंड से इसका इंतजाम कर दिया । गौर कर लीजिये और मुख्यमंत्री को आप बधाई नहीं देते हैं । आपको ताली बजा-बजाकर स्वागत करना चाहिये जब हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ बोलें और कुछ प्रस्ताव रखें । सात निश्चय के लिये, है दुनियाँ में कोई और, एक इंदिरा जी ने किया था, गरीबी उन्मूलन के लिये 20-सूत्री कार्यक्रम दिया, देश और दुनिया ने उसका लोहा माना, आज भी सारी सरकारें उसको मानती हैं और दूसरा अद्भुत काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया है - सात निश्चय । हम तो चाहते हैं ग्रामीण विकास मंत्री जी से कि इसका एक हेड अलग होना चाहिये सात निश्चय का । आप इस हेड को अलग करवाईये, सात निश्चय को एक जगह करवाईये, यह तो अलग-अलग फंड में है, यह टेक्निकल है इसलिये मैं इसपर चर्चा नहीं करना चाहूँगा लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर हमारी सरकार इसपर विचार करे कि सात निश्चय के लिये अलग आपकी एक माँग रहे । आज मैं सोचता था कि जितने भी अनुपूरक व्यय में माँग होगी सबपर चर्चा होगी लेकिन ग्रामीण विकास आपने रखा है ।

..क्रमशः...

टर्न-18/आजाद/03.08.2016

..... क्रमशः

श्री रामदेव राय : लेकिन ग्रामीण विकास विभाग को आपने रखा है , लेकिन ग्रामीण विकास विभाग के ही आधार हैं ये 7 निश्चय और 7 निश्चय को जब तक हम मिलकर पूरा नहीं करेंगे, जब तक हमारा सपना, बिहार के लोगों का सपना जिसके आधार पर बिहार के लोगों ने इतने दूर तक आने का मौका दिया है, आज भारत में मोदी जी को बैठाया है तो बिहार में नीतीश जी को बैठाया है । अगर ये दोनों आदमी मिलकर बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे दें तो आप जितना भी ताली पीटेंगे, बेंच पीटेंगे , हमलोग भी ताली पीटेंगे लेकिन आप करते कुछ नहीं हैं और बोलते ज्यादा हैं । इससे बिहार का भला नहीं हो सकता है महोदय, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ इंदिरा आवास या जितने भी केन्द्रांश हैं, उसको आप बढ़ाने का काम कीजिए ताकि बिहार जैसा गरीब राज्य फले-फुले, आगे बढ़े । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जो अनुपूरक में खर्च बताये हैं, उसमें मैं आपपर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ । आप बहुत सुझ-बुझ वाले मंत्री हैं, आप परिश्रम भी करते हैं और ख्याल भी रखते हैं सारे माननीय सदस्यों का । हमको तो लगता है कि सत्ता पक्ष से ज्यादा आप विपक्ष के लोगों को मानते हैं । मुझे बहुत खुशी होती है, आपको खुशी नहीं होगी, हमारे विपक्ष के लोग हैं, जब सरकार के कार्य से खुश होते हैं

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय रामदेव बाबू, लिखा हुआ है - संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल भी सरकार के अंग माने जाते हैं ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं भी वही कहना चाहता था । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि खर्च में, राजस्व प्राप्त एक, राजस्व घाटा दो और राजकोषीय घाटा तीन, बजट बनाते समय इन तीनों पर ध्यान रखना अनिवार्य होता है । आप इसको अनुदान में रख दिये हैं, इसको गिलोटिन में रख दिये हैं, इसलिए मैं इसपर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसपर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी ताकि सारे अपने मेम्बर्स अपने क्षेत्र के बारे में और बिहार के बारे में बताते । जब हम ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं तो घटनोत्तर स्वीकृति लेकर हम उसको पूरा करते हैं लेकिन यह नौबत क्यों आती है । इसलिए कि ठीक से इसका अनुश्रवण नहीं हो पाता है । आप विभागीय स्तर पर उचित अनुश्रवण की व्यवस्था कीजिए ताकि सारे मेम्बरान उसको देखें, समझे और तब बजट पर चर्चा करें । जैसे कि हम जानते हैं कि अनुदान की मांग पर प्राक्कलन समिति विचार करती है । लेकिन यह परम्परा भी टूटती नजर आ रही है । जो बजट हमारे सामने आता है और अगर हम उसको पहले ही सापेक्ष दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से, पोजेटिव दृष्टि से हम विचार करके देखेंगे तो यह परिस्थिति हमारे सामने नहीं आ सकती है । आप देखें भौतिक लक्ष्य क्या निर्धारित था, कितने पैसे खर्च हुए , कितने पैसे खर्च करने थे, विभाग को बताईए ।

आप जानते हैं कि सारी कुशलता को प्राप्त करने का श्रेय ग्रामीण विकास विभाग को होगा । आप कौशल केन्द्र भी खोलते हैं, आप गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, आप स्टुडेंट को क्रेडिट कार्ड देते हैं

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं जानता हूँ कि आप घंटी बजायेंगे । मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपका जो भौतिक लक्ष्य है, उसको पूरा करने में माननीय सदस्यों से भी राय लें और सहयोग लें तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से विभाग प्रशंसनीय काम कर सकेगा ।

महोदय, इंदिरा आवास के बारे में कहना चाहता हूँ कि वर्षों बीत गये, अभी तक इंदिरा आवास का नया आवंटन नहीं किया है एक, दूसरा आप इसी सदन में घोषणा किये थे, सरकार की घोषणा हुई थी कि 60 से 65 साल के जो लोग हैं, उन्हें आप पेंशन देंगे लेकिन आज तक चिट्ठी नहीं गई । कहां है वह चिट्ठी, कहां है वह कार्यक्रम, इससे लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की जो घोषणा हुई थी, सरकार उसको समय पर पूरा करे ताकि सदन को आगे की चर्चा में लाभ पहुँच सके । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी ।

श्री ललित कुमार यादव : सभापति महोदय, आज वित्तीय वर्ष 2016-17 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और आपने अनुदान मांग में आज ग्रामीण विकास विभाग को रखा है । सभापति महोदय, इस वाद-विवाद में आपने समय दिया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ । साथ ही ग्रामीण विकास विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग को चयन किया आज के लिए, उसको रखा। महोदय, आज सदन में ग्रामीण विकास विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग को क्यों चयन किया गया ? महोदय, महागठबंधन की सरकार की यह सोच है, गांव और गरीब, जो वंचित, उपेक्षित लोग हैं , उसका विकास कैसे हो ? आज हमारे बिहार का जो जनसंख्या है, आबादी के अनुसार यह देश का तीसरा राज्य है और हमलोग जनसंख्या में बड़ा राज्य हैं और भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से भी हमलोग 12वें स्थान पर हैं । बिहार खासकर के गांवों का राज्य है और गांवों में 90 प्रतिशत लोग रहते हैं महोदय । आज महागठबंधन सरकार की सोच है, जिसके मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हैं । साफ स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हमारे राज्य के जो मुखिया हैं, वे गांवों का विकास करना चाहते हैं, वंचित, उपेक्षित लोगों का विकास करना चाहते हैं । वैसे तो आज के अनुदान मांग में सारे विभाग हैं लेकिन विशेष वाद-विवाद के लिए ग्रामीण विकास विभाग को ही चयन किया गया है, जो 90 प्रतिशत बिहार के गरीब जनता का उत्थान और विकास कैसे हो और जो

हमलोगों के नेता हैं, सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, उनकी बहुत बड़ी-बड़ी सोच है महोदय । हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय प्रेम कुमार जी बोल रहे थे, वैसे तो बहुत बड़े नेता हैं महोदय, हमलोग भी 22 साल से इस सदन का सदस्य हूँ और लगातार सदस्य हूँ इस सदन का लेकिन अनुदान मांग जिस विषय पर रखा गया, आज जिस विषय पर वाद-विवाद था, ग्रामीण विकास विभाग का जो मूल अवधारणा और ग्रामीण विकास विभाग के केन्द्र और बिहार सरकार से बहुत सारी योजनायें केन्द्र प्रायोजित योजना है महोदय और बिना केन्द्र के सहयोग से बिहार का विकास हो नहीं सकता है महोदय । विपक्ष के नेता हैं, हमलोग बैठे हुए हैं, उनकी बात को बड़ी गौर से सुन रहा था लेकिन एक शब्द ग्रामीण विकास विभाग पर और यह नहीं कहे कि हमारे केन्द्र में भाजपा की सरकार है और हमलोगों बिहार के जनता का, यह ठीक है सभापति महोदय कि हमलोग पार्टी के स्तर पर उनके विचार कुछ और है, वे लोग अलग पार्टी के हैं, हमलोग सत्ता पक्ष के हैं और वे लोग विपक्ष के हैं लेकिन हम सभी लोग जनता के द्वारा चुनकर आये हैं और हमलोगों का लक्ष्य एक ही है कि बिहार का विकास कैसे हो, पार्टी अलग-अलग है महोदय, विचार अलग-अलग है महोदय लेकिन लक्ष्य एक ही है, चाहे उधर के पक्ष के हों या हमलोग हों । दोनों पक्ष का लक्ष्य एक ही है बिहार का विकास कैसे हो ? लेकिन महोदय विपक्ष के नेता बोल रहे थे कि लेकिन उनके बात में कहीं भी यह नहीं झलक रहा था कि वे बिहार का विकास चाहते हैं ? वे क्या चाहते हैं, यह तो हम नहीं कह सकते हैं लेकिन वे बिहार का विकास नहीं चाहते हैं । लगभग 30 मिनट, 35 मिनट का उनका भाषण हुआ लेकिन बिहार का विकास के संबंध में एक बात नहीं किये । वे क्या कह रहे थे कि विधि-व्यवस्था खराब है । ठीक है, आईना देखकर कहां पहुँच गये और कहां पहुँच जाईयेगा

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्यगण, सदन में टोका-टोकी बन्द करें । सदन के समय का महत्व है । इसलिए आपलोग टोका-टोकी नहीं करें ।

श्री ललित कुमार यादव: विपक्ष के लोगों को इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए । लेकिन आपलोग संसदीय प्रणाली को और सदन की गरिमा को समाप्त कर रहे हैं । आप विपक्ष के नेता बोल रहे थे, एक से एक कटु शब्द बोल रहे थे, हम अपनी बात को कटुता में कह सकते हैं लेकिन इस तरह से बात को नहीं लीजिए । प्रेम कुमार जी एक से एक कटु शब्द बोले हैं, जो सांसद नहीं हैं, उनकी संलिप्तता है या नहीं है । उनके संबंध में कह रहे थे कि संलिप्तता है । सदन की यही गरिमा है, यही प्रतिपक्ष के नेता का काम है कि जिसपर आरोप नहीं है, अभी प्रुफ नहीं हुआ, कोई मामला है तो पुलिस अपना जाँच करेगी, जाँच कर रही है । जब तक साबित नहीं हो जायेगा, तब तक आप किसी को कैसे कहियेगा कि इनभोल्थ हैं ? आप सदन के अन्दर एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि

को केवल अपमानित करने पर लगे हुए हैं , हमलोगों को और विकास का कोई काम है कि नहीं ?
..... क्रमशः

टर्न-19/अंजनी/दि0 03.08.2016

श्री ललित कुमार यादव...क्रमशः... : खैर चलिए, प्रतिपक्ष के नेता और भी बात बोल रहे थे लेकिन ग्रामीण विकास के संबंध में एक भी बात नहीं बोले, केवल विधि व्यवस्था पर बोल रहे थे तो आप क्यों नहीं विधि व्यवस्था पर प्रस्ताव लाते हैं, आपको अधिकार है। आप क्यों नहीं वाद-विवाद के लिए सरकार से समय लिया, सदन में क्यों नहीं मांग किया ? आपने तो विधि व्यवस्था एवं लॉ एण्ड ऑर्डर पर तो किया नहीं, अगर आप करते तो आपको निश्चित रूप से समय मिलता। सरकार एक बार नहीं, अनेक बार आपको इसी सदन में जवाब मिला है, इस बार भी दिया है लेकिन आप फिर मांगेंगे। आपके नेता बाढ़ पर बोल रहे थे कि बाढ़ में कोई काम नहीं हो रहा है। आपके नेता कह रहे थे कि शिविर नहीं है, शिविर में लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। देश का पहला मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जो बाढ़ के लिए इतना बड़ा काम किये हैं। आप तो उस समय थे सरकार में, आप तो कह रहे थे कि क्विंटलिया बाबा हैं, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे, श्री नंद किशोरजी हैं, उस समय सारे लोग सरकार में मंत्री थे, वे सभी लोग बोल रहे थे। बिना नीतीश नाम केवलम के तो आप लोग एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। आज आप लोगों को क्या हो गया है कि नीतीश जी का नाम सुनते ही लगता है कि आपलोगों को सांप सुंघ गया है। पहले ये लोग कहते थे कि विकास के मामले में ओबामा से आगे हैं, आप कहते थे नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी ! वाह रे- कहां गयी आपकी जोड़ी। नीतीश कुमार जी तो अपनी जगह पर हैं। संगत से आप यहां गये हैं, 2019 हमलोगों का मिशन है, उससे भी बदतर स्थिति आपलोगों की होनेवाली है। आप यू0पी0 की बात कह रहे थे, यू0पी0 में आप कह रहे थे कि हम सरकार बना रहे हैं। यू0पी0 में आपका बिहार से भी बदतर स्थिति होने वाली है। आप दो संख्या पर भी वहां नहीं पहुंचइयेगा। आपका यही हाल होने वाला है, बहुत खुशफहमी में नहीं रहिए।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य आप आसन की ओर मुखातिब होकर बोलें।

श्री ललित कुमार यादव : ये कह रहे हैं कि कटु-से-कटु शब्द कहा जा सकता है। महोदय, इनका समय समाप्त हो गया, इनको 39 मिनट समय मिला था। हमारे सर्वजीत जी ने क्या कहा ? अब ये लोग फिर नाराज न हो जायें, गुस्सा न हो जायें, सदन से कहीं वाकआउट न कर जायें, क्या बोले वे, वे बोले कि गरीब वंचित लोगों को, दलित लोगों को अब जो नली में पानी बहाने का, पी0सी0सी0 सड़क पर समय आ गया है चलने का, यह नीतीश कुमार जी ने सुअवसर दिया है। इन्होंने कहा कि आर0एस0एस0 का नाम क्यों लिया ? असंसदीय शब्द है क्या आर0एस0एस0 का नाम लेना, आर0एस0एस0 के

लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बुरा नहीं मानियेगा, जिस बात पर आप लोगों को नाराजगी हुई, उसी बात का हम जिक्र करना चाहते हैं। क्या सर्वजीत जी असंसदीय शब्द बोल दिए ? आपका 39 मिनट समय था, आप बोल लिए, अब आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या असंसदीय शब्द था ? माननीय सदस्य सर्वजीत जी, जो सत्ता पक्ष के थे, वे बोल रहे थे, वे दलित के लड़का हैं। मोदी जी जो ठगकर बिहार और पूरे देश से वोट लिए, अब 2019 आ रहा है। महोदय, बिहार का विकास, गांव के 90 प्रतिशत लोगों के विकास की आज चर्चा हो रही है। आज 90 प्रतिशत लोग राज्य में जो गरीब बसते हैं, उसमें अधिकतर लोग गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं। महोदय, जितने भी केन्द्र प्रायोजित योजनायें हैं, हमने कहा कि हमलोगों का पार्टी अलग-अलग है, मत-विचार अलग हो सकता है, विचार अलग-अलग हो सकता है लेकिन बिहार के विकास में क्या विचार अलग हो सकते हैं ? आपने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम बनायेंगे तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का क्या हालत है, इसकी क्या स्थिति है, यह कहां है ? आपका समय समाप्त हो गया है, इसलिए हमलोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : कोई टीका-टिप्पणी नहीं हो।

श्री ललित कुमार यादव : ये किस तरह से बिहार की जनता को ही नहीं बल्कि देश की जनता को ठग रहे हैं और ठगकर इन्होंने वोट लिया और केन्द्र में भाजपा शासित सरकार बनी लेकिन अब जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। जब बिहार के विकास पर, नीतीश कुमार जी विकास करना चाहते हैं, तो आपने एक बार भी आज सकारात्मक बहस पर, कैसे आगे विकास हो, इसकी चर्चा आपने नहीं की, इसे आपको हृदय से स्वीकार करना चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग, जिसमें 90 प्रतिशत जनता की बात हो रही है, गांव-गवई की बात हो रही है, आप गांव-गवई की बात नहीं सुनना चाहते हैं और न पसन्द करना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी राय नहीं रख पाये कि गांव में कहां विकास होना चाहिए। हमारे सात निश्चय कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी की सोच है, इसके संबंध में विस्तार से हमारे सीनियर मेम्बर श्री रामदेव बाबू ने बताया, सीनियर मेम्बर हैं, विस्तार से बताये हैं कि सात निश्चय कार्यक्रम क्या है ? गरीब-से-गरीब महादलित टोले में, दलित टोले में, पिछड़े टोले में, अति पिछड़ा टोले में जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, उसके विकास का यह सात निश्चय कार्यक्रम है महोदय। महोदय, केन्द्र प्रायोजित योजनायें जो बिहार में चल रही है चाहे इंदिरा आवास हो, उसमें आपका क्या, जहां 90-10 का रेशियो था, केन्द्र में यू0पी0ए0 सरकार के समय में 90 परसेंट दिया जाता था और 10 परसेंट राज्य को राज्यांश देना पड़ता था और आज आपने कर दिया 75 और 25, फिर आप 60 और 40 कर रहे हैं। हमारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है, वह गरीब जीविका के माध्यम से गांव के गरीब लोग समुह बनाकर करते थे, यानी विभिन्न तरह की योजनायें जो केन्द्र पर निर्भर है, केन्द्र प्रायोजित योजनायें, उन सारी योजनाओं का क्या हश्र हो रहा है.....

(व्यवधान)

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : बैठे-बैठे टीका-टिप्पणी न हो ।

श्री ललित कुमार यादव : आज जो भी केन्द्र प्रायोजित योजनायें हैं, जैसे- इंदिरा आवास में कटौती, एक तरफ तो आपने रेशियो घटा दिया, आपने 90-10 को 75-25 कर दिया, फिर आपने 60-40 कर दिया । जितना हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य को भी घटा दिया और जो रेशियो था राशि का उसमें भी कटौती कर दी गयी । आप दोहरी मार मारना चाहते हैं । केन्द्र की योजना में भारी कटौती, बिहार की जनता से क्या गुनाह हो गयी है, जिसके कारण बिहार की जनता को, बिहार को पिछड़ेपन की ओर धकेल रहे हैं । एक तरफ नीतीश कुमार जी अपने संसाधन के बूते पर बिहार का विकास करना चाहते हैं और दूसरी तरफ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती करके बिहार की गरीब जनता के हक-हुकूक को मारना चाहते हैं और उसको आप अंतिम पंक्ति से और अंतिम पंक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं । ऐसा करने से आपका मनसुबा पूरा नहीं होगा । इस राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी के कुशल प्रबंधन से बिहार विकास की ओर अग्रसर करेगी । हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी हैं, आपको बता रहे थे, वे सत्ता पक्ष से ज्यादा आप लोगों की बात सुनते हैं, अच्छी बात है लेकिन आपने अपना सुझाव नहीं दिया। विरोधी दल भी हमारे सरकार के अंग हैं, माननीय श्रवण बाबू सुनते हैं, यह अच्छी बात है । यह स्वस्थ परम्परा है । संसदीय प्रणाली में स्वस्थ परम्परा है, विरोधी दल की अच्छी बात को भी सुनना चाहिए । आप भी जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, हमलोग भी आये हैं, अन्तर यही है कि बहुमत इधर है, बहुमत उधर नहीं है । आज इधर है तो कल उधर जायेगा और कल उधर है तो इधर आयेगा, लेकिन जिस तरह से सदन में हमलोग एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं, यह अच्छी बात नहीं है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य आपका एक मिनट समय बचा है । मात्र एक मिनट समय है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम अपनी बात मात्र एक मिनट में रखना चाहते हैं । महोदय, हम यही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार का विकास होगा और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, कांग्रेस की सोनिया गांधी, यह महागठबंधन की सरकार चलती रहेगी और बिहार का विकास उसी गति से होते रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है । सभापति महोदय, हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं और ग्रामीण विकास मंत्री जी ने जो आज ग्रामीण विकास के संबंध में अपनी बात को रखने का जो अवसर दिया, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

टर्न-20/शंभु/03.08.16

श्री वशिष्ठ सिंह : माननीय महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ । महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग के पक्ष में विमर्श करने के लिए मैं खड़ा हूँ । महोदय, आज बिहार सरकार गरीब गुरबा के लिए काम के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, दिनरात हमारी सरकार बिहार की जनता के हित में काम कर रही है और उसी का नतीजा है कि आज बिहार में हमारी सरकार बनी है और हमें गर्व है, फख्र है अपने माननीय नेता नीतीश कुमार पर कि बिहार में ही नहीं इनका विकास का डंका बज रहा है, बल्कि हिन्दुस्तान में एक नंबर पर अगर विकास के नाम पर किसी व्यक्ति का नाम है तो वह नाम आदरणीय नीतीश कुमार है, इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है । लेकिन मुझे जो संसाधन मिलना चाहिए केन्द्र सरकार से वह नहीं मिल रहा है। सभी सवालों में पैसा की कटौती होते जा रहा है, जहां 90 परसेंट मिलता था वहां 60 पर आ गया, चाहे मनरेगा का मामला हो, वृद्धा पेंशन का मामला हो, इंदिरा आवास का मामला हो या ग्रामीण कार्य विभाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का मामला हो या किसी भी क्षेत्र में उठाकर देख लिया जाय तो कटौती होते जा रहा है क्यों ? क्या इसीलिए देश की जनता ने हिन्दुस्तान में प्रधानमंत्री गरीब के बेटा को बनाया था जो कहा करते थे कि चाय बेचनेवाले के बेटा हैं, अगर तुम मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो हिन्दुस्तान से मैं गरीबी दूर कर दूंगा, लेकिन चाय बेचनेवाला का बेटा जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो 20-20 लाख रूपया का सूट पहनते हैं जबकि इस देश को आजादी दिलानेवाले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब इस देश को आजादी दिलाने चले थे तो पांच मीटर कपड़ा पहनकर देश को आजादी दिलाने का काम किया था । लौह पुरुष सरदार पटेल, सुभाषचन्द्र बोस जैसे लोग, चन्द्रशेखर जैसे लोग अपने प्राणों का आहुति दिये थे- 20 लाख रूपया का सूट और पैट नहीं पहनते थे । महोदय, यह सरकार जो है ये झांसे में डालकर के हिन्दुस्तान की जनता को सरकार तो जरूर बना लिया, लेकिन सरकार बनने के बाद हिन्दुस्तान की जनता का जो काम है उसके काम का कोई इनके उपर कोई ठोस सबूत नहीं है कि इस काम को हम करें बल्कि ये देश के नहीं विदेश के दौरा करने में तबाह और परेशान हैं । हमारे नेता माननीय आदरणीय नीतीश बाबू पर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जाते हैं। अरे, उत्तर प्रदेश मेरा है । उत्तर प्रदेश मेरे भाई की भूमिका में रहा है । बिहार से हमारी महागठबंधन की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को खदेड़कर भगाया है, उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को भगायेंगे, यह हम एलान करना चाहते हैं, यह हम साबित करना चाहते हैं । यह भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी जैसाकि लोगों ने कहा- मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ । हमारे कुछ लोगों ने शराबबंदी के सवाल

पर बोला था, जब शराबबंदी को लेकर नीतीश बाबू ने उत्तर प्रदेश में एलान किया और सामाजिक रूप से उसको चलाने का काम किया तो लोगों की काफी भीड़ जुट रही है तो भारतीय जनता पार्टी की छाती फट रही है कि उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार आकर के उत्तर प्रदेश को भी जगायेंगे और जिस दिन उत्तर प्रदेश के लोग जाग जायेंगे तो दिल्ली का सिंहासन उसी दिन हिल जायेगा और उत्तर प्रदेश से नीतीश कुमार होते हुए दिल्ली तक जायेंगे। ये जो झूठ बोलनेवाले और समाज में तनाव पैदा करनेवाले जो लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में आज न कल 2019 आते-आते उनको यहां से देश की जनता भगायेगी और आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुंदर हिन्दुस्तान बनायेंगे और शक्तिशाली हिन्दुस्तान बनायेंगे। महोदय, आपने बाढ़ के सवाल पर बीच में छेड़ा- यह बाढ़ का जो मुद्दा है यह बाढ़ कहां से आ रही है, यह पानी कहां से आ रहा है, यह बिहार का पानी नहीं, यह नेपाल का पानी है। नेपाल एक राज्य नहीं नेपाल एक देश है और उस देश से समझौता हिन्दुस्तान कर सकता है, बिहार के नीतीश कुमार जी नहीं कर सकते हैं, अगर बिहार के नेता को समझौता करना होता तो मेरा दावा है कि नीतीश बाबू, लालू यादव की सरकार बहुत पहले समझौता करके इस समस्या से निदान दिला दिया होता।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आपका समय हो गया, समाप्त करें।

श्री वशिष्ठ सिंह : लेकिन केन्द्र सरकार इस समस्या को अपनी समस्या नहीं समझकर के बिहार की जनता को गरीब और गुरबे को तबाह और परेशान कर रही है। मैं यह आपको बताना चाहता हूँ। महोदय, इतना ही नहीं ये उद्योग के सवाल पर जब हमारे मंत्री जी बोल रहे थे तो विजय सिन्हा जी बोल रहे थे कि उद्योग के सवाल पर उन्होंने बोला- मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष के लोगों से कि किस उद्योग की बात करते हैं, आपके नेता ने देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि जिस दिन हमारी देश में सरकार बनेगी....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आपका समय हो गया।

श्री वशिष्ठ सिंह : निश्चित रूप से मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, लेकिन अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। महोदय, इतना ही नहीं लोक सभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर रेल चक्का जाम किया था बिहार में, लेकिन यहां पर बैठे हुए नेता लोग हैं मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस समय रेल चक्का जाम किया था विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर आज क्यों नहीं बोलते हैं, आपके बहुमत की सरकार है, फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते ? जिस दिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे बिहार और खुशहाल राज्य होगा।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आपका समय हो गया, आप कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री वशिष्ठ सिंह : जी, धन्यवाद।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य डा० रामानुज प्रसाद, प्रारंभ करें। आपका 10 मिनट वक्त है।

डा0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, भारत गांवों का देश है और उसमें हमारा बिहार गांवों का राज्य, गरीबों का राज्य, मजदूरों का राज्य, पलायन करनेवालों का राज्य रहा है । ये लड़ाई आज सभापति महोदय ऐसा लगता है कि दो धारा की बात हो रही है- एक स्मार्ट सिटी वाले लोगों की धारा है और एक स्मार्ट गांव बनाने की धारा की लड़ाई देश में है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य शांति बनायें ।

डा0 रामानुज प्रसाद : बिहार में भी स्मार्ट गांव बनाने की योजना में कुछ साथी बैठे हैं, खलल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के बाद से ही भले गांधी ने सपना देखा था, गांधी ने गांव को और ग्राम स्वराज्य की बात की थी, गांव को मजबूत करने, गांव को स्वाबलंबी बनाने की बातें कही थी गांधी ने लेकिन हमारी जब हमारी आर्थिक, सामाजिक योजना बन रही थी, जब हमारा सोशियो इकोनोमिक पौलिसी एडोप्ट हो रहा था वहीं से भारत का गांव छूट रहा था । वही जो शुरूआती दौर का हमारा एडोप्टेशन है इकोनोमिक एडोप्टेशन है उसमें हमने गांव को बहुत तवज्जो नहीं दिया था । ये 1990 के दशक का है या जब-जब हमारी समाजवादी धारा की जो सोच वाली सरकारें आयी है देश के विभिन्न राज्यों में या देश में जब-जब हम बैठे हैं, तब-तब गांव, गरीब की बात हमलोगों ने किया है, हमारी सरकार के लोगों ने किया, सरकार में बैठे हुए लोगों ने किया था । खासकर के 1990 के दशक के बाद वाला जो फेज है उस फेज में ही गांव पहली बार लाइमलाइट में आया कि आज जो उस खेमा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां बात होती है विदेशों में आस्ट्रेलिया में बैठकर के अडाणी जी को ब्याजमुक्त ऋण दिलवाने की बात होती है, भले गांवों में किसान आत्म हत्या कर रहा हो । वे जो बैठे हैं, भले ही उन्होंने चाय वाला का बेटा, कहीं आसाम में जाकर चावमिन वाला का बेटा कहा, लेकिन गांव के लोग, चाय वाला का बेटा, चावमिन वाला का बेटा, खोमचा वाला का बेटा, गाय चरानेवाला का बेटा, बकरी चरानेवाला का बेटा का कहीं नोटिस नहीं है, नोटिस जो है वह सामने है, सब लोग देख रहा है । अगर नोटिस होता तो गरीबों के लिए चलनेवाली जो योजना है, गरीबों के लिए चलनेवाली योजना में कटौती नहीं की जाती, कितने हमारे स्कीम में कटौती हो रहे हैं, जो पहले से चल रहे थे, चाहे यू0पी0ए0 के रीजीम में हो या कभी वाजपेयी जी भी सरकार में रहे थे इन योजनाओं को चाहे ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो, गांव के किसानों के लिए मजदूरों के लिए चलनेवाली जो योजना है, जो पलायन रोकनेवाली योजना है उस मनरेगा में, बी0आर0जी0एफ में, इंदिरा आवास में सारी योजनाओं में जो कटौती करने का काम किया है केन्द्र की सरकार ने- मैं छोटा सा एक फीगर रखना चाहता हूँ जो 2012-13 में हमारे लक्ष्य से आगे 8 लाख 16 हजार 305 का स्वीकृति मिली 6 लाख 86 हजार 365 का, 2013-14 में जो लक्ष्य है वह और घटकर के 6 लाख हो गया 8 लाख से, 2014-15 में 2 लाख हो गया ये हमारा जो लक्ष्य हुआ और इनकी स्वीकृति घटती चली गयी । सभापति महोदय, ये गांव विरोधी हैं,

चाहे बात जितनी कर लें । ये अडाणी, अंबानी की सरकार, माल्या की सरकार उनकी बात करनेवाले लोग बिहार को चाहे विशेष पैकेज का मामला हो, बिहार के गरीबों के नोटिस लेने का मामला हो, जो हमारी सड़कें बन रही थी, जो हमलोगों के रीजीम में जब हमारे नेता लालू प्रसाद जी यू0पी0ए0 में वहां मंत्री हुआ करते थे । ... क्रमशः ...

टर्न-21/अशोक/03.08.2016

डा0 रामानुज प्रसाद : ..क्रमशः.. हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद जी, यूपीए के वहां मंत्री हुआ करते थे तो रघुवंश बाबू हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, जो बूम किया था, हमलोगों ने जो पम्प किया, जो पैसे आये थे, उस समय ये लोग एनडी.ए. में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय इन लोगों के साथ थे, जो सड़कें बनी थी, क्या वो सड़कों का रफ्तार हैं बनाने का ? आज वे सड़कें कहां चली गई ? आज उनके रिपयेरिंग और मैन्टेनेंस नहीं हो रहे हैं, ये कटौती किया गया है, मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि हमारी सरकार, हमारी सरकार जो है, जो काम कर रही है यह विदित है । मैं समझता हूँ सभी सथियों ने उद्धृत किया है, उससे आगे मैं कहना चाहता हूँ कि साहब जब आप कह रहे हैं कि हम साहब ये हम नहीं है, हमारे साथी किसी ने कहा था दलित विरोधी है तो आप को तिलमिलाहट हो रहा है, वह कह रहा है साहब आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं । तो आप जुबान से कहते लेकिन रोज आपके लोग क्या कर रहे हैं ? क्या कर रहे हैं दयाशंकर सिंह जी, किसको गाली बक रहे हैं, क्या हो रहा है और क्या हुआ है इस देश में । देश के केन्द्र में बैठे हुये हैं दो-दो मंत्रियों ने उत्प्रेरित किया उत्पात किया रोहित बेमुला को आत्महत्या करने के लिए, यह कोई भूला सकता है क्या ? यह एडमिटेड फ़ैक्ट है कि नहीं ? विपक्ष के साथियों से आग्रह करेंगे कि आप भी मिलकर राज्य के हित में, राज्य की जनता के हित में आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार, यह सही है कि सरकार आती, जाती रहती है । पार्टी और व्यक्ति सरकार का नाम नहीं होता सरकार में बैठे हुये लोग मॉनिटर करने के लिए हमलोग को बैठाये जाता है, यह तो सिस्टम है, और सिस्टम में, आप बिहार को कहां ले जाना चाहते, देश में आप इसको अव्वल राज्य बनाना चाहते है, सबल राज्य के रूप में देखना चाहते हैं तो आप इसमें नाकुर नुकुर न कीजिए, जहां विकास की बात हो, राज्य की विकास की बात हो रही हो, वहां मिलजुल कर आवाज लगाने का काम करिये । आपसे अपेक्षा है, हम कहना चाहते हैं, साथ साथ माननीय मंत्री जी कि ये एक चीज और है, हम समझते हैं हम अपनी सरकार के लोगों का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो बातें केन्द्र की सरकार कर रही हों या हमलोग बैठक कर के कर रहे हों जब तक हम अपने मैकनेज्म को नहीं सुधारते हैं इसको अगर नहीं सुधारते हैं तो लागू होने

वाले और लागू कर रहे हैं जितनी योजनाओं को तो उसका फलाफल सही नहीं मिल सकता है और इसको हमें स्वीकारना होगा, इसको हमको इनमादारी से स्वीकारना होगा, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हमारी सरकार की अकेले कोई ये विफलता है और किसी सरकार की सफलता है। यह मैं बार बार कहता हूँ, हमारे बैठे हुये नेता इलियास साहब, उन्होंने कुछ हमको इशारा किया था, मैं यह नहीं कहता कि फलां, यह जरूरस महसूस करते हैं, मैं जहां से आता हूँ निर्वाचित होकर के, मैं बार बार मंत्री जी बैठे हुये हैं, हरिनारायण बाबू बैठे हुये हैं, हम कहना चाहते हैं कि मैकेनिज्म, कई बार माननीय मंत्री से कहा कि जो इम्पलीमेंटेशन, जो प्वायंट है, जो एजेंसी हैं उसको अगर हमने सही नहीं किया, वह अगर दुरूस्त नहीं रहा तो हम कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। योजना चाहे हम जितना चलवा लें, जितनी मंत्री जी योजना चल रही हैं उसी का अगर मौनेटरिंग हमने सही ढंग से किया और मैं समझता हूँ अगर यह बात बार बार आती है, यह बाध्यता है, साहब कि यह कोर्ट का इन्टरफयरेंस हैं, कल मै स्पीकर साहब के यहां बैठा हुआ था, कुछ बातें हो रही थी और वहां चर्चा हमलोग कर रहे थे, बात आ गई ज्यूडिशियल एक्टीभिटीज्म का, ये इन्टरफयरेंस है कोर्ट का, क्यों नहीं हम सब मिलकर लड़ते हैं, अरूण जेटली साहब बोल रहे, हम भी महसूस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कॉलिजियम के खिलाफ एक लाया कि उसको हमलोग कैसे मॉनटर करें, कैसे देश में व्यवस्था आये, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे ज्यूडिशियल इन्टरफेयरेंस है, सब पर अगर नहीं करते हैं, सरकार, जनता की शक्ति हम में निहित है, जनता ने हमें शक्ति दी है और उस शक्ति का सदुपयोग करना अगर चाहते हैं और उसमें कोई बाधा डालता है, वह किसी महकमे का लोग हों, अगर उसको आपे नहीं मॉनटर करते हैं, उसको आप अगर लिनियेंसी करते हैं तो लक्ष्य की प्रप्ति नहीं होगी। बात कर रहे थे हमारे सिनियर साथी दूबे जी, दूबे जी हमारे जिले से ही आते हैं, हम भी उसी जिले से विधायक हैं, ये भी विधायक हैं, इन्होंने इशारा किया, मैं भी कहा रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि इन्टरनल ऑडिट से नहीं होगा, सिर्फ ऑडिट से नहीं होगा, माननीय मंत्री जी इसके लिए समय दीजिए, सुनिये अपने विधायक साथियों का, आप जिसके बदौलत बैठे हैं सरकार में, जो विधायक आकर कहता है उसको सुनिये, सुनिये और और इस पर गौर फर्माया जाय और उसकी जांच हो, यहां विधायक कह रहा है किसी पदाधिकारी के खिलाफ तो वह जायज कह रहा है या कहीं वेस्टेड इन्टरेस्ट है या पब्लिक इन्टरेस्ट है, यदि पब्लिक इन्टरेस्ट है तो मैं समझता हूँ कि उस पर गौर फरमाया जाना चाहिए। अगर गौर नहीं फरमाया जाता है तो चाहे हम जितनी बातें कर लें

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आपका मात्र एक मिनट समय बचा है।

डा० रामानुज प्रसाद : हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं । लक्ष्य हासिल करने के लिए हमको इस पर गौर फरमाना होगा कि साहब लोकतंत्र में लोकशाही को मजबूत रहने दीजिए, लोकशाही को मजबूत रहने दीजिए और तब ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी और तब ही गांधी जी के सपने का भारत , लोहिया जी के सपने का भारत, अम्बेदकर के सपने का भारत और आपने यदि सपना देखा है, उसको साकार करके भारत बनाना चाहते हैं, बिहार को बनाना चाहते, बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं तो हम सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सब लोगों को लगना चाहिए कि हम सब की भूमिका है, हम सब की अहमियत है, तब ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य आपका समय हो गया ।

डा० रामानुज प्रसाद : अभी अभी एक नजीर पेश करना चाहते हैं, भारत सरकार की ओर से एक योजना चलाई जा रही है “नमामी गंगे ” में जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ, वह प्राईम प्लेस हो गया, वहां के माननीय सांसद ने भी खबर कराया और सरकार के मुलाजिम ने भी कहा,

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका समय हो गया ।

डा० रामानुज प्रसाद : कल ही मैंने एक प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर रहा था ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका समय हो गया है, अब आप आसन ग्रहण करें ।

डा० रामानुज प्रसाद : ये “मेक इन इन्डिया” वाली पार्टी है, हमलोग काम करने वाले हैं, प्रचार वाली पार्टी नहीं है, “नमामि गंगे ” की सफाई कागज पर ही हो रहा है ।

(व्यवधान)

हमारी जो योजनायें हैं, हम अगर बनाना चाहते हैं, ग्रामीण विकास की योजना को सही जमीन पर उतरना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह देखना होगा, ध्यान रखना होगा, माननीय सभापति महोदय, हमारे सराकर में बैठे हमारे माननीय मंत्री, हमारे सरकार के मुखिया को निश्चित तौर पर हमारा जो मैकेनिज्म है, इसमें सुधार करे, करेक्ट करे एवं डेवलप करने की जरूरत है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्या श्रीमती एज्या यादव । आपके पास सिर्फ पांच मिनट का वक्त है ।

श्रीमती एज्या यादव : सभापति महोदय, आपने मुझे ग्रामीण विकास के वाद-विवाद पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ । गांव हमारी बुनियाद है, भले ही हम आई.ए.एस. बन जायं, विधायक बन जायं, प्रोफेसर, इंजीनियर बन जाय , गांव से ही जुड़े हुये हैं, यदि गांव सम्पन्न और महात्मा गांधी के शब्दों में सेल्फ सफिसियेंट होंगे तब ही हम मजबूत होंगे, हमारे बच्चे मजबूत होंगे और तब ही आगे चलकर समृद्ध बिहार बनेगा । हमारी सरकार सभी योजनायें, चाहे वह मनरेगा की हो,

इन्दिरा आवास की हो, जीविका की हो, सामाजिक आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना की हो, आधार के पंजीकरण की हो, सभी योजनायें गरीबों, शोषितों, अपसंख्यकों के उत्थान के लिए है ।

मैं सर्वप्रथम इन्दिरा आवास पर बोलना चाहूंगी, इन्दिरा आवास की योजना के तहत अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को घर देने का जो कार्य है, यह बहुत ही सराहनीय है । इससे इस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे, सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन्दिरा आवास के साथ साथ मनरेगा द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण की जो व्यवस्था है यह बहुत अच्छी पहल है । जिस तरीके से हमारी सरकार शौचालय की अहमियत को घर-घर तक पहुंचाई है, लोगों को इसके प्रति जागरूक कराई है, यह वाकई सराहनीय है । इसका सीधा असर हेल्थ स्वास्थ्य, हाईजिन और स्वच्छता पर पड़ेगा और साथ ही साथ गांव के लिट्टेट एवं इललिट्टेट वर्ग में इनके प्रति अवेयरनेस होगा । तरह- तरह की बीमारी जो खुले मैदान में शौच की वजह से होती थी, काफी हद तक कंट्रोल हो जायेगी । महिलाओं की जो पीड़ा थी, उन्हें अंधरे होने तक का इंतजार करना पड़ता था, वह पीड़ा तो महिला तो समझती ही है परन्तु उनके भाई, पिता, पति होने के नाते पुरुष भी जरूर समझेंगे । हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी इस पीड़ा को समझ कर इस अद्भुत योजना को केवल शुरू ही नहीं किया बल्कि उन्होंने इसपर काफी बल भी दिया है । इससे बिहार सरकार की सोच, मुख्यमंत्रीजी की सोच और हमारे राजद नेता आदरणीय लालू प्रसाद की सोच की सराहना करनी चाहिए और उनका सपना “स्वच्छ बिहार, समृद्ध बिहार” का सपना साकार होता दिख रहा है । कौशल विकास, जो मोस्ट ऑफ अस विल एग्नी, बिहार के आलराउंड डेवलमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, नेशनल रूरल लाईवलीहुड मीशन के अन्तर्गत दिन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कौशल का विकास ग्रामीणों को कराया जायेगा । गांव को लाभान्वित वहां के विधायकों के द्वारा ही किया जायेगा । हमलोगों के माध्यम से ही गरीबों को लाभ पहुंचाया जायेगा । गांव की आबादी जो अपने परिवार, बूढ़े माँ, बाप को छोड़कर शहर की ओर भाग रही है ।

..क्रमशः...

टर्न-22/ज्योति/03-08-2016

क्रमशः

श्रीमती एज्या यादव : उन्हें कौशल विकास कराया जायेगा और रोजगार की भी व्यवस्था की जायेगी । एक बहुत अच्छी योजना मनरेगा की कर्मियों का नियोजन करना है । मनरेगा के अंतर्गत जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर मनरेगा कर्मियों का नियोजन किया जा रहा है रिक्त पदों के लिए औन लाईन आवेदन किया जा रहा है और नियुक्ति भी करायी जा रही

है बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके लिए राज्य सरकार को केन्द्र से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारे ग्रामीण भाईयों को गांव में ही रोजगार मिल जायेगा सिर्फ हमारी ग्रामीण भाईयों को ही नहीं ग्रामीण बहनों के लिए भी रोजगार की योजनाएं हैं । महिला सशक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए राज्य के सभी निर्धन पारिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पशुधन, हस्तशिल्प एवं विशेष आजीविका से जोड़ना और विभिन्न सरकारी योजना से लाभान्वित कराना है । इसके अलावा जो मनरेगा का ग्राम सभा के माध्यम से जो बीपीएल कार्डधारी के लिए जो योजनाएं हैं, पौल्ट्री फार्म की व्यवस्था करा देना वर्मिंग कंपोस्टिंग की व्यवस्था करा देना, कैटल शेड बना देना, ये सारा कुछ बीपीएल कार्डधारियों दलितों के लिए फ्री ऑफ कौस्ट है यह व्यवस्था हो जायेगी तो ये लोग सशक्त हो जायेंगे ।

सभापति : मा0 सदस्या अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती एज्या यादव : जिस तरीके से हमारी सरकार ग्रामीण विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है जल्दी ही गांवों का सौन्दर्यीकरण हो जायेगा पक्की सड़क एवं पक्की नालियों का निर्माण हा जायेगा रोड बनेगा, वहाँ के लोगों की नियुक्ति होगी, बच्चों को खेलने का मैदान मिलेगा । घर घर में नल का पानी, बिजली का कनेक्शन होगा, गांव की सेल्फ सफियेंसी बढ़ेगी, गांव सेल्फ सफिसियेंट होगा, रुरल पोपुलेशन का फ्लो जो शहरों की ओर बढ़ रहा है, यह रुकेगा और शायद ऐसा हो कि अर्बन पौपुलेशन का फ्लो गांव की ओर जाय ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्या आप समाप्त करें । अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्रीमती एज्या यादव : मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने बोलने का मौका दिया, विचार रखने का मौका दिया । धन्यवाद ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, श्री उमेश सिंह कुशवाहा, आपको 5 मिनट का वक्त है ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी और ग्रामीण विकास की वाद-विवाद पर बोलने का मौका मिला है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ । महोदय, ग्रामीण विकास का एजेन्डा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश गांवों का देश है । 11 करोड़ की आबादी वाले 90 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, उनकी गरीबी दूर करने के लिए आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए, लोगों के बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलायी जा रही हैं । बिहार राज्य ग्रामीण जीविका मीशन, मनरेगा, इन्दिरा आवास योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम विकास योजना,

आधार पंजीकरण हाल में ही सबसे महत्वपूर्ण योजना जो लायी गयी है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो बिहार को बेहतर बनाने के लिए, गांव को स्मार्ट बनाने के लिए जो 7 निश्चय के तहत गांव को पूर्ण विकास आगामी पाँच वर्षों में करने का जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो संकल्प लिया गया है जो अद्भुत और बेमिसाल है, यह एक ऐतिहासिक कदम है इसमें छोटा से छोटा गांव टोला, सभी टोला, गांव का सम्पूर्ण विकास होगा, सबों को रोजगार मिलेगा। महोदय, मनरेगा से हम सब अवगत हैं, मनरेगा योजनान्तर्गत सभी इच्छुक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक सौ दिनों की मजदूरी उपलब्ध करायी जाती है ताकि अन्य राज्य में रोजगार के लिए यहाँ के लोग बाहर पलायन नहीं कर सकें। मनरेगा के अन्तर्गत इस सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी 162 रु0 की जगह पर बिहार सरकार के द्वारा 177 रुपया दिया जाता है। महोदय, इन्दिरा आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को उसके आवास की समस्या का समाधान एवं उसके लिए आवास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की जाती है। राज्य सरकार गरीबों को आवास सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए प्रबिबद्ध है। इस दिशा में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण योजना का पहल किया है, सफलतापूर्वक काम किया है। महोदय, 2014-15 में इन्दिरा आवास में जो केन्द्रांश और राज्यांश का अनुपात था 75 और 25 का महोदय, आज 15-16 में और 16-17 में भारी कटौती केन्द्र सरकार के द्वारा किया गया है, ये 60 और 40 का औसत बनाया गया है, ये महोदय, जीविका बिहार राज्य सरकार की जो ग्रामीण- गरीबी उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयास के तहत जीविका परियोजना की भूमिका बहुत ही प्रभावशाली है। यह परियोजना ग्रामीण निर्धन परिवार की महिलाओं को सामुदायिक संगठनों से जोड़कर रोजगार के लिए सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रही है। जीविकोपार्जन के लिए अवसर प्रदान करती है। अभीतक के लगभग दो लाख समूहों का वित्तीय सम्पोषण उपलब्ध कराया गया है। महोदय, पूर्ण शराबबंदी योजना जो बिहार में निश्चित तौर पर काफी खुशहाली हुई है, जीवन यापन जो गरीबों का है उसमें काफी सुधार हुआ है। गरीब जो दो सौ रुपया मजदूरी करके कमाते थे, वह आज जो शराब पीते थे वह आज उनका शराब बंदी होने पर वह लोग अभी खुशहाल महसूस कर रहे हैं। आज बिहार वासियों का सपना साकार होने लगा है मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय धरातल पर उतरने लगा है, उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है महोदय, घर घर शौचालय बनाने का काम हो रहा है।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, घर-घर शौचालय, हर घर का सम्मान, लोहिया स्वच्छता योजना अंतर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार में अभियान चलाकर शौचालय निर्माण कार्य किया जा रहा है। मद्य निषेध विधेयक जो हाल ही में पारित हुआ है इससे बिहार की जनता काफी

खुश है सभी जगह जयजयकार हो रहा है । मैं इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और गठबंधन की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ । इन्ही चंद शब्दों के साथ धन्यवाद ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : श्री ललन पासवान जी, आपका दो मिनट का वक्त है ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, मैं संज्ञान में दे रहा हूँ आपको । अभी अभी आज ही बिहार के दलित छात्रों का प्रदर्शन गांधी मैदान से आर0ब्लौक आ रहा था, अभी सैकड़ों छात्रों पर लाठी चली है, दर्जनों छात्रों का सर फूटा है और बर्बर तरीके से चहेट कर सरकार ने पीटने का काम किया है । राज्य में आज इस साल 16-17 के वित्तीय वर्ष में छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दी गयी 12 से 14 लाख छात्रों को और जो बाहर पढ़ने वाले इंजीनियरिंग, मेडिकल और एम0बी0ए0 के छात्र हैं एक लाख पांच हजार रुपये दिए जाते थे, 15 हजार सरकार ने करने का काम किया है और सरकार वित्तीय प्रबंधन पर आज अनुपूरक बजट पास कर रही है और अभी जो बजट में आपने जो पास कर रहे हैं उसमें दोनों में 11 नंबर पर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा कल्याण विभाग और बगल में 44 नंबर पर अनुसूचित जाति जन जाति कल्याण विभाग दोनों में सरकार ने कोई अनुपूरक बजट में इस समाज के सवाल पर कोई प्रावधान, कोई अंश नहीं दिया है, इसका मतलब बिहार सरकार का कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अति पिछड़ा समाज का विरोधी है और इन सवालों पर कोई इसपर विचार करने की जरूरत महसूस नहीं करती है । आज माननीय श्याम रजक जी ने आज सदन में एक सवाल न्यायपालिका में सरकारी वकीलों के 82 पदों पर नियुक्ति हुई और माननीय कृष्णनंदन वर्मा जी मंत्री जवाब दे रहे थे । देश के अन्य हिस्सों में न्यायपालिका में आरक्षण है लेकिन बिहार में न्यायपालिका में आरक्षण वकीलों की पदोन्नति में नहीं है । प्रमोशन में आरक्षण बिहार सरकार ने खत्म कर दिया है, पटना हाई कोर्ट के आलोक में खत्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा निर्देश नहीं । ये बिहार की सरकार का असली सच है । बोल रहे थे सामाजिक न्याय की सरकार है, बोल रहे थे दलितो-शोषितों की सरकार है, बोल रहे थे ये बी0पी0एल0 वालों की सरकार है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री ललन पासवान : कभी कभी कलेजे पर हाथ रख कर ईमानदारी से बोलने काम करिये ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया । माननीय सदस्य, आप आसन ग्रहण करें ।

श्री ललन पासवान : जनता आपको माफ नहीं करेगी इसलिए सभापति महोदय, हम कहना चाहते हैं कि बिहार के दलित छात्रों की छात्रवृत्ति सरकार ने निगलने का काम, घोटाला करने का काम की है इसलिए इसकी बिहार में सी0बी0आई जाँच हो । दलित छात्रों के घोटाले का, पदोन्नति में आरक्षण देने का काम नहीं किया है । बिहार के लाखों सदस्यों

को अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारियों आरक्षण नहीं देने का काम किया , यह सरकार दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य,आपका समय हो गया है ।

श्री ललन पासवान : इसलिये अनुपूरक बजट पर हम कहना चाहते हैं, दलित छात्रों पर लाठी चली है जो भी पदाधिकारी ने लाठी चलाने का काम किया है, जिन सिपाहियों ने लाठी चलाने का काम किया है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य आप आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य,श्री राजू तिवारी ।

श्री ललन पासवान : उनको निलम्बित किया जाय । छात्रों पर जो बर्बर लाठी चलायी है निहत्थे छात्रों पर सरकार लाठी चलायी है, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देने का जो काम किया है उस पदाधिकारी को निलम्बित करने का सरकार आश्वस्त करे, सरकार जवाब देने का काम करे इसलिए बिहार सरकार दलित विरोधी है।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य आप आसन ग्रहण करें ।

श्री ललन पासवान : यह सरकार ऐसी है कि इसमें न कोई बी0डी0ओ0 सुनता है, न कोई दारोगा सुनता है । कमीशन के चलते न बी0डी0ओ0 का ट्रांसफर, न सी0ओ0 का ट्रांसफर है, न इंजीनियर का ट्रांसफर, कोई सुनने वाला नहीं है । अफसरों का राज है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य आप आसन ग्रहण करे, माननीय सदस्य,आसन को सहयोग करें । माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी, दो मिनट का वक्त है आपको ।

टर्न-23/ 03.8.16/विजय ।

श्री राजू तिवारी: आदरणीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर अनुपूरक बजट प्रस्ताव के विरोध में आप हमें बोलने का मौका दिये हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

महोदय, मैं नया सदस्य हूँ । अभी सुन रहा था अपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का भाषण । हम यहां ग्रामीण विकास कैसे हो इस पर चर्चा करने के लिए यहां बोलने का मौका मिला है पर हम यहां देखे हैं कुछ सत्ता पक्ष के नेता यहां तो यू.पी. का चुनाव लड़ रहे हैं । यू.पी. का चुनाव तो 2017 में है और लोक सभा का चुनाव 2019 में है । अभी अपने बिहार में आपलोगों को बहुमत मिला है । किस तरह से गरीबों का उत्थान और किस तरह से गरीबों का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो इस पर हम चर्चा करें । हम भी आपलोगों से कुछ सीखेंगे नया सदस्य हूँ । सबसे पहले मैं अपनी

बात कहना चाहता हूँ ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान तभी होगा जब हमारे किसान खुश होंगे । किसानों के बारे हमारी सरकार अभी बाढ़ से हमलोग बेहाल है सुखाड़ से बेहाल है । हम चंपारण क्षेत्र से आते हैं । संयोग से हमारे क्षेत्र के ही गन्ना मंत्री हैं । हमारे क्षेत्र में ज्यादातर घूमने का मौका तो नहीं मिला मगर हजारों एकड़ गन्ना का फसल बरबाद हो गया है । धान की फसल बरबाद हो गयी है और बाकी सब सुखाड़ हो गया है । कैसे किसान खुश रहेंगे इस पर हमलोग चर्चा करें कैसे बिहार का विकास हो । जबतक किसान यहां खुशहाल नहीं होगा तबतक बिहार का विकास आप संभव नहीं कर पायेंगे इस बात पर ध्यान देना चाहिए । मैं अपने सिनियर साथियों से सीखना चाहता हूँ मैं यहां एक चीज और उठाना चाहता हूँ विशेषकर छात्र के बारे में । बिहार में 9वीं कक्षा के छात्र का पंजीयन हुआ था छात्र दसवीं में चले गए थे परंतु जो छात्र पंजीयन नहीं कराये हैं वे छात्र न 9वीं में हैं न 10वीं में हैं उनका भविष्य अधर में है । सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए । यहां बिहार में पहले इंदिरा आवास के लिए 70 हजार ₹0 मिला करता था लेकिन केन्द्र सरकार को भी हमें बधाई देना चाहिए कि अब एक लाख बीस हजार रूपया मिलता है । बढ़िया काम हो तो बधाई देना चाहिए इसी तरह शौचालय के लिए पहले 4400 रूपया मिलता था अब आपको 12 हजार रूपया केन्द्र सरकार ने देने का काम किया है । आज के समय में बिजली की सबसे जरूरत है । बिहार का विकास बिना विद्युत का नहीं हो सकता है । पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना में बिजली का विकास । कहां पर हो रहा है बिजली का विकास । कंपनियों को दे दिया गया है घूसखोरी चरम पर है । यहां की सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। गांव में पैसा मांगा जा रहा है खुले आम । ब्लौक में वही हाल है ।इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार का अगर विकास करना है तो सबसे पहले किसान का विकास करना पड़ेगा । किसान खुशहाल होगा तभी जाकर बिहार का विकास सही रूप से होगा । मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।

सभापति(श्री नरेन्द्र ना० यादव): मा० सदस्य, श्री अरूण कुमार । माननीय सदस्य आपका 5 मिनट का वक्त है ।

श्री अरूण कुमार(192-संदेश) (भोजपुरी का हिन्दी रूपांतर) : माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास पर मुझे बोलने का मौका मिला है । हम इस सदन को धन्यवाद देंगे, हम लालूजी और नीतीशजी को धन्यवाद देंगे । जिस पार्टी में, जिस घर में अनुशासन नहीं रहता है वह समाज लायक नहीं रहता है । जब एक आदमी बोलता है तो दूसरे आदमी को बोलना नहीं चाहिये । जैसे किसी चीज को छिपाना रहता है तो ऊंची आवाज में लोग बोलने लगते हैं उसी तरह से ये लोग हैं दस-बीस की संख्या में, इतना हल्ला करने लगते हैं कि लगता है कि सबको धक्का मारकर यहां से निकाल कर फेंक देंगे । इसलिये हम कहना चाहेंगे कि सदन में कि हमें अनुशासन में रहना चाहिये । हमें विकास की बात करनी

चाहिये । ग्रामीण विकास विभाग के तहत इंदिरा आवास है उसके बारे में हम कहना चाहते हैं और यह भी जानते हैं कि लोग हल्ला करने लगेंगे, पहले यह इंदिराजी के नाम पर था, देश के लिये शहीद हुई थीं, अभी प्रधानमंत्री के नाम पर होनेवाला है जिसका अगस्त, 2016 में उद्घाटन होनेवाला है । दो साल हो गया है कुछ नहीं हुआ अभी तक ।

(व्यवधान)

अभी हमको बीच में टोकिये नहीं, हम नहीं बोले हैं आपके समय में । हम इंदिरा आवास में एक सुझाव देना चाहते हैं माननीय मंत्रीजी को कि गरीब गुरबा को पहली किश्त मिली है लेकिन दूसरी किश्त नहीं मिली है, वह दिलवायी जाय । हम नीतीशजी और लालूजी को बधाई देंगे कि जो मजदूर वर्ग पलायन कर रहा था वह रूका है । मनरेगा में जब प्रधानमंत्री बने मोदीजी तो आते आते बंद कर दिये । अभी चालू हुआ है । पहले मजदूर लोग नकद मजदूरी लेता था वह अब खाता के माध्यम से पासबुक में जाता है, यह गठबंधन की देन है । हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि सबलोग जीत कर आये हैं ग्रामीण क्षेत्रों से । पहले जिला परिषद् क्षेत्र से, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य हुए जीत कर उनमें से बहुत लोग आज विधायक बन गये हैं लेकिन आज ध्यान नहीं दे रहे हैं कोई । पहले जो विकास का पैसा जाता था उसमें जिला परिषद् को 20 परसेंट मिलता था, पंचायत समिति को 30 परसेंट मिलता था और ग्राम पंचायत को 50 परसेंट मिलता था मुखियाजी को । मनरेगा में हम कहना चाहते हैं माननीय मंत्रीजी से, माननीय मुख्यमंत्रीजी से कि जिला परिषद् में, पंचायत समिति में, ग्राम पंचायत में पहले जो सिस्टम था उसी तरह से होना चाहिये ।

आज यहां काम की बात होनी चाहिये, विकास की बात होनी चाहिये लेकिन विकास की बात नहीं बोलते हैं खाली उसको मार दिया, उसको काट दिया यही सब बोलते हैं । पहले यही लोग मारा काटा करते थे । गरीब गुरबा को यही लोग मारते काटते थे लेकिन हम ये कहेंगे कि विकास पर ध्यान देना है । आज हमारे सात निश्चय में रोड है, सब हो रहा है, हमारे महागठबंधन में सब काम हो रहा है । हम माननीय मुख्यमंत्रीजी से कहेंगे, लालूजी हमारे ..

सभापति(श्री नरेन्द्र ना0 यादव): माननीय सदस्य अब आपका समय हो गया है ।

श्री अरूण कुमार (192-संदेश) : समय हो गया है तो काम भी हो गया है, बोला हुआ भी हो गया है । इस सदन से हम कहेंगे कि भाजपा के लोगों को धैर्य धरना चाहिए क्योंकि इतना न शोर करते हैं कि हमलोगों के बोलने के वक्त कि समय ही समाप्त हो जाता है ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री नरेन्द्र ना0 यादव): माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हुआ । अभी मा0 सदस्य विजय बाबू ने कहा था कि डॉ0 लोहिया कहा करते थे कि डॉ0 लोहिया की अभिलाषा,

चले देश में देशी भाषा । आदमी की भावना को परखना चाहिए चाहे भोजपुरी में बोले कि हिन्दी में बोले ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: सभापति महोदय, भोजपुरी की हम बहुत कद्र करते हैं । ऐसा बोलें कि हमलोग समझ सकें । हम तो समर्थन कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री नरेन्द्र ना0 यादव): शांति, शांति ।

टर्न-24/3-8-2016/बिपिन

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य श्री महबूब आलम । माननीय महबूब आलम साहब, आपका दो मिनट का वक्त है, गागर में सागर भर दीजिए ।

श्री महबूब आलम : माननीय सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास के मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, मैं देख रहा हूँ आज और पूरा बिहार देख रहा है । पूरा सीमांचल का क्षेत्र बाढ़ में दह गया । बलरामपुर, कदवा सीमांचल की खेती बर्बाद हो गई लेकिन जो किसान खेती करते हैं उनके लिए जो ग्रामीण विकास का मुख्य आधार है, आधारशिला है, रीढ़ है, उसके लिए कोई खास बात नहीं है । हम मांग करते हैं कि जितने किसानों की खेती दह गई, प्रति एकड़ 20हजार रूपया मुआवजा दिया जाए और दो माह का खाना-खुराक देने की बात ग्रामीण विकास की आवश्यक शर्त है ये और लम्बे समय से हमलोग बोल रहे हैं । महोदय, सरकार के कान में जूँ तक नहीं रेंग रही है । यह क्या सच नहीं है कि आज भी गांव में हजारों की तादाद में ऐसे गरीब जिनके पास दो डिसमल जमीन अपना वास-आवास का नहीं है, इनके नाम से सिर्फ बी.पी.एल. नहीं होने से ये सिक्स्टी प्लस के बाद किसी भी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से ये वंचित हैं महोदय और बिहार की सरकार शराब बंद करने के लिए जिस तरह से ड्रैकोनियन कानून लाने की जिद में है तो यह जिद उन्हें क्यों नहीं देखती है कि जिन गरीबों को बी.पी.एल. नहीं है और जो 60साल तक मेहनत-मशक्कत करते-करते 50 साल में बूढ़े हो गए और यह 10 साल वह अपने-आपको झेल रहे हैं, खींच रहे हैं, 60साल तक ले आने के लिए। इन खेत मजदूरों के लिए कोई योजना है कि नहीं ? यह केन्द्र सरकार के खिलाफ महज लफ्फाजी करते हैं । ये माननीय नरेन्द्र मोदी प्रधान मंत्री के खिलाफ महज लफ्फाजी करते हैं । अगर लफ्फाजी नहीं महोदय, तो ये आज यहां घोषणा करें ...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, अब आपका समय हो गया ।

श्री महबूब आलम: महोदय, नेशनल फूड सिक्युरिटी ऐक्ट है एक, और नेशनल फूड सिक्युरिटी ऐक्ट के तहत खाद्य योजना गरीबों की भूख मिटाने की गारंटी ...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया । अब आप आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री महबूब आलम: उसके पहले ये माननीय सत्ताधारी लोग क्यों नहीं यह घोषणा करते हैं कि यह हम बिहार में यह लागू नहीं करेंगे और ग्रामीण विकास की आवश्यक शर्त जो है नेशनल फूड सिक्युरिटी ऐक्ट के तहत हम ग्रामीण गरीबों को भोजन उपलब्ध कराएंगे, हम खाने के बदले नोट खाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं महोदय । आने वाले दिन में भयंकर बात होगी । आज दाल थाली से छीन लिया गया और दाल का...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, अब आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, अब आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य, अब आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री सीताराम यादव जी । माननीय सदस्य श्री सीताराम यादव जी, आपको पांच मिनट का समय है, आप गागर में सागर भर दीजिए ।

श्री सीताराम यादव: माननीय सभापति महोदय, आपने हमें वक्त दिया, बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, ग्रामीण विकास अति महत्वपूर्ण विषय है । बहुत ही गम्भीर विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

श्री सीताराम यादव: अध्यक्ष महोदय, भारत गांवों का देश है । भारत की आत्मा गांव में बसती है । ग्रामीण विकास, गरीबों का विकास, गांव का विकास, टोलों-मुहल्लों का विकास, कौन नहीं कहता कि बिहार का विकास हुआ है । महिला उत्थान, नारी सशक्तिकरण माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लालु प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार आज ग्राम पंचायत का चुनाव करा करके, त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव करा करके आज जो महिला को इन्होंने सम्मानित किया है, गरीब-गुरूवा घर की महिला, जो पासवान समाज की महिला, जो हमारे रविदास समाज की महिला जो उपेक्षित समाज के अंतिम पायदान पर जो समाज के लोग थे, आज उनको सम्मानित करके लोग मुखिया बने हैं, पंचायत समिति के सदस्य बने हैं, प्रमुख बने हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष बने हैं । जो लोग उपेक्षित थे, आज वो सम्मानित किए गए हैं । यह नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्य मंत्री जी का देन है । समाज के पिछले पांत में जो लोग थे, आज वो 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे । गांव में जो लोग उपेक्षित थे, आज वो

15अगस्त को झंडोत्तोलन करेंगे । जो प्रमुख बनते हैं, प्रखंड मुख्यालय पर झंडोत्तोलन करेंगे। नारियों को इन्होंने मजबूती दिया है । आज तरह-तरह की योजनाएं नारी उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चली है । तरह-तरह की योजना चली है जिससे हमारे गांव की महिला, हमारी बहन का उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है । बहुत ही लोक-लुभावन योजना सब है जिससे नारियों का कल्याण हो रहा है । किसान-मजदूर का कल्याण हो रहा है । हमारे माननीय सदस्य बाबू तिवारी जी बोल रहे थे कि किसान का विकास होना चाहिए । भाई, मैं गलत अर्थ में नहीं बोलता हूं । भारत सरकार में आप बैठे हैं । भारत सरकार का कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, आप क्यों नहीं कहते कि धान का दाम दो हजार क्विंटल होना चाहिए, गेहूं का दाम ढाई हजार क्विंटल होना चाहिए । वहां आप बैठे हैं, बढ़ाते हैं 25रूपया, 50रूपया । डिजल-पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, खाद का दाम बढ़ता जा रहा है ...

व्यवधान ।

सुनिये, पहले सुनिए तो । पहली सुनिये तो । ठीक कहा है ललित यादव जी ने । आपके माननीय नेता विपक्ष बोले हैं, हम सारे लोग बैठ कर सुने हैं ..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सीताराम जी । अब आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिए ।

श्री सीताराम यादव : और हमलोग जब बोलने के लिए खड़ा होते हैं तो आपलोगों के पेट में मरोड़ उठने लगता है । यह क्यों मरोड़ उठने लगता है । आप सुनिए तो, आप सुनने की हिम्मत रखिए । आप बोलते बहुत हैं ...

अध्यक्ष: अब आप समाप्त करिए सीताराम जी ।

श्री सीताराम यादव: महोदय, हम तो कुछ बोल नहीं पाए ।

अध्यक्ष : आप बहुत कुछ बोले हैं । सीताराम जी, आप इत्मीनान रहिए कि आप बहुत कुछ बोले हैं । अब स्थान ग्रहण कर लीजिए ।

श्री सीताराम यादव: बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: श्री अब्दुस सुबहान जी, एक मिनट में । अब सरकार का उत्तर होगा ।

श्री अब्दुस सुबहान: एक मिनट में क्या बोला जाएगा महोदय ?

अध्यक्ष महोदय, इस बहस में अभी हमारे विरोधी दल के नेता अपने भाषण में बोल रहे थे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के बारे में और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र सब हमारे ही क्षेत्र में है । वायसी विधान सभा क्षेत्र में महानन्दा, कनकई, परवान, पनार है और उसी क्षेत्र का माननीय विरोधी दल के नेता दौरा किए थे । अभी इन्होंने बताया कि वहां पर रोड जाम हुआ, लाठी चार्ज हुआ, यह हुआ, वह हुआ । कहीं पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कहीं पर कोई कुछ नहीं हुआ और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वहां भी जो लोग बाढ़ में डूबे हुए थे, उनलोगों को इंडिया के टीम का 10मोटर बोट वहां है, सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, सबको भोजन दिया गया ।

अभी घर-घर जाकर खाता खुलवाया जा रहा है । घरों में जाकर बैंक का फॉर्म लेकर घर- घर खाता खुलवाया जा रहा है । सबके खाता में 9300 रूपया सरकार द्वारा दिया जाने वाला है और हमलोग उसमें लगे हुए हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था । हमारी मांग सिर्फ इसमें यह है माननीय मंत्री जी से कि जो क्षेत्र अभी बाढ़ग्रस्त है उसकी सड़कें तमाम क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उसकी सड़कें वहां की भौगोलिक स्थिति के आधार पर ऊँचीकरण कर ज्यादा-से-ज्यादा पुल का निर्माण किया जाए । इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा ।

(व्यवधान)

टर्न:25/कृष्ण/03.08.2016

सरकार का उत्तर

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2016-17 के मूल बजट में मांग संख्या - 42 ग्रामीण विकास विभाग के लिये 55,10,06,8000/- रूपये की स्वीकृति मिली थी ।
(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्य वेल में आ गये)

लेकिन सरकार के निश्चय, कल्याणकारी योजनायें एवं स्वच्छता अभियान हेतु प्रथम अनुपूरक के माध्यम से 36,57,52,01,000/- रूपये की स्वीकृति के लिये हमने सदन के समक्ष मांग रखा है, जिसमें इन्दिरा आवास योजना जिसे अब प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नाम से जाना जाता है, के लिये 31,56,76,00000/-रूपये तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना के लिये 5,00,76,00000/-रूपये का प्रावधान है ।

महोदय, 18 माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव से ग्रामीण विकास विभाग को अवगत कराया है और विपक्ष के नेता श्री प्रेम कुमार जी ने ग्रामीण विकास विभाग की चर्चा में भाग लिया है ।

(व्यवधान)

प्रतिपक्ष के नेता जब किसी विभाग के बारे में बहस में भाग ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में और ग्रामीण विकास के बारे में उनके अच्छे सुझाव प्राप्त होते हैं, लेकिन माननीय विपक्ष के नेता 30 मिनट तक सदन में अपनी बात घुमाते रह गये और ग्रामीण विकास के बारे में एक शब्द भी कि ग्रामीण विकास में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, सुधार की दिशा में क्या कदम उठाना चाहिए, कोई ऐसा सुझाव उनका नहीं आया है । महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बार-बार उन्होंने चर्चा की, विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा चर्चा की गयी कि गरीबों से जितनी जुड़ी हुई योजनायें हैं, उन योजनाओं को बिहार में सरकार ठीक से लागू नहीं कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब से बिहार में श्री नीतीश कुमार की सरकार आयी है, जब से

बिहार के मुखिया के पद पर आसीन हैं तब से बिहार के गरीबों के उत्थान के लिये गरीबों की तरक्की के लिये और बिहार के विकास के लिये, न्याय के साथ विकास के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। महोदय, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी और भाजपा की सरकार बनने के बाद जितनी भी केन्द्र प्रायोजित योजनायें इस राज्य में चलायी जा रही है, बिहार में सभी योजनाओं में केन्द्र की राशि की कटौती और राज्यों की राशि में बढ़ोत्तरी की गयी।

(व्यवधान)

चाहे इन्दिरा आवास हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे जीविका हो या अन्य विभागों से जुड़ी हुई जो भी बिहार में केन्द्र प्रायोजित योजनायें हैं, सब में राशि में कटौती की गयी और राज्यों पर बोझ डाला गया है। महोदय, सदन को बताना चाहता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, उनके बहुमूल्य सुझाव को ग्रामीण विकास विभाग निश्चित रूप से देखेगा और कोशिश करेंगे उन बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करके ग्रामीण विकास विभाग उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा।

(व्यवधान)

महोदय, ये गांव के विकास वाले लोग नहीं हैं। इनकी दिल्ली में सरकार है। ये गांव के विकास वाले लोग नहीं हैं। गांव की तरक्की वाले ये लोग नहीं हैं। हमारे नेता और महागठबंधन की सरकार सात निश्चय को बिहार में लागू कर हम गांवों में विकास करना चाहते हैं, हम गांवों को इतना सुन्दर बनाना चाहते हैं कि किसी भी गांव के आदमी को शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। हम गांवों को सुविधाओं से लैस करना चाहते हैं। हम नल से पानी देना चाहते हैं, सरकार पक्की नाली और सड़क का निर्माण करना चाहते हैं तो भारत सरकार सारी योजनाओं में कटौती करने में लगी है, जिसके कारण गांवों में विकास का कार्य नहीं किया जा सकता है। महोदय, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि ग्रामीण विकास विभाग गांवों के विकास से जुड़े हुये योजनाओं का कार्यान्वयन करती है।

महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से राज्य के गरीबों का उत्थान एवं विकास से जुड़े हुये योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। राज्य में कई महत्वाकांक्षी योजनायें यथा -इन्दिरा आवास योजना, मनरेगा योजना, जीविका योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, लोहिया स्वच्छता योजना इत्यादि काफी महत्वपूर्ण है।

सबसे पहले मैं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की चर्चा करना चाहता हूँ, जहां बिहार को वर्ष 2019 तक खुले शौच से मुक्त करना है। राज्य में 2 करोड़ 13 लाख ग्रामीण परिवार है, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख परिवार शौचालय विहीन है। राज्य के गंगा किनारे अवस्थित 12 जिलों यथा बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगडिया, लखीसराय, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण एवं वैशाली के 61 प्रखंडों के 160 ग्राम

पंचायतों को नवंबर,16 तक खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य है । 9 जिले यथा- गोपालगंज, खगड़िया, सीतामढ़ी, जहानाबाद, पश्चिम चम्पारण, बांका, दरभंगा एवं वैशाली को 2017 तक खुले शौच से मुक्त कराना है ।

महोदय, चालू वित्तीय वर्षमें राज्य में लगभग 40 लाख शौचालय निर्माण कराना है । राज्य सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत राज्य में वेसे शौचालय विहीन परिवार जो ए0पी0एल0 की श्रेणी में आते हैं, उनको विशेष तौर पर अपने संसाधन से उनके घरों में शौचालय निर्माण का कार्य करने का लक्ष्य रखा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहले इनको बैठायें ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, राज्य में कुल 8,391 ग्राम पंचायतों में से 59 ग्राम पंचायत खुले शौच से मुक्त हैं । शेष 8,332 ग्राम पंचायतों में शौचालय का निर्माण किया जाना है, जिसके लिये राज्य सरकार कृत संकल्पित है ।

महोदय, मैं जानता हूँ और पूरे बिहार के लोगों को पता है कि यह भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में विपक्ष में बैठती है, इनको सच्ची बात को सुनने का साहस नहीं है । चूँकि बिहार में विकास का काम हो रहा है, गरीबों का न्याय का काम हो रहा है, इसलिये ये सुननेवाले नहीं हैं । मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसमें आपका भी योगदान होना चाहिए ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना । वित्तीय वर्ष 2014-15 में सरकार द्वारा “हमारी गांव हमारी योजना” नामक अभियान चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिये ग्रामीणों द्वारा योजनाओं का चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण का कार्यक्रम आरंभ किया गया था । वार्ड के मेम्बरों से वहाँ की सभी जनता से सहयोग लेकर 05.02.2016 तक सघन सहभागी नियोजन अभ्यास कराया गया ।

महोदय, राज्य में बढ़ते प्रदूषण एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा योजना से पंचायत-पंचायत,गांव-गांव में वृझारोपण का निश्चय किया है । इस अभियान को चलाने के लिये ग्राम पंचायतों के जन-प्रतिनिधियों को विशेष तौर पर आग्रह किया गया है । साथ ही, साथ हर जिले में एक-एक फ़ैसिलिटेटर बहाल किये गये हैं, जो बेहतर काम कर सके, जिनकी रूचि इस अभियान में ज्यादा सक्रिय दिखेगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा । महोदय, एक यूनिट में 200 पेड़ लगाये जाते हैं एवं उनकी देख-रेख हेतु दो वनपोषक बहाल किये जाते हैं जिन्हें 100-100 दिनों की मजदूरी दी जाती है । आप माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस योजना पर विशेष तौर पर अपने-अपने क्षेत्र में दिलचस्पी दिखायें एवं पूर्ण सहयोग करें ।

महोदय, चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना के तहत सड़क किनारे 20,000 यूनिट वृक्षारोपण एवं नहर तथा निजी भूमि पर प्रति पंचायत 5 यूनिट की दर से लगभग 42 हजार यूनिट वृक्षारोपण का लक्ष्य है ।

क्रमशः :

टर्न-26/राजेश/3.8.16

श्री श्रवण कुमार, मंत्री, क्रमशः- सड़क किनारे वृक्षारोपण पर प्रति यूनिट तीन लाख रुपये तथा नहर एवं निजी भूमि पर लगभग 2 लाख 20 हजार रुपये पाँच वर्ष में व्यय होंगे, इससे मनरेगा जॉब कार्डधारियों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और पर्यावरण संतुलन के साथ ही संपत्तियों का सृजन भी होगा । मनरेगा योजना में पारदर्शी हेतु सामाजिक अंकेक्षण की भी व्यवस्था है, जिसकी चर्चा हमारे माननीय दूबे जी ने भी की थी, सामाजिक अंकेक्षण की भी व्यवस्था इसमें है महोदय । महोदय, मनरेगा योजना के तहत राज्य भर में ताल, तालाब, पईन, आहर जैसे वृक्षारोपण प्रमुख योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयन करने एवं कार्यान्वित करने का निदेश विभाग द्वारा दिया गया है, इन योजनाओं के कार्यान्वयन से सिंचाई कार्य में किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकेगा, साथ ही जल संग्रह से पशुओं को भी लाभ एवं प्राकृतिक आपदा से निबटने में भी सहायक साबित होगा ।

अध्यक्ष महोदय, जीविका योजना हमारे राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। जीविका के तहत लगभग पाँच लाख स्वयं सहायता समूह का हमने राज्य में गठन किया है महोदय और जीविका के माध्यम से हम गाँव की जो महिलाएँ हैं उनको हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उनको रोजगार देना चाहते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं । महोदय, 2017-18 तक 10 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन करने का हमारा लक्ष्य है एवं एक करोड़ पचास लाख परिवारों को स्वयं सहायता से जोड़ने का, रोजगार मुहैया कराने का हमारा लक्ष्य है। महोदय, इसमें काफी प्रगति हो रही है, इस योजना के माध्यम से दो लाख युवाओं को भी प्रशिक्षित करना है ताकि इन्हें रोजगार का अवसर मिल सके । महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अध्यक्ष महोदय नाम तो बदलते जा रहे हैं लेकिन राशि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है । राज्यों को जैसा हमने पहले बताया कि इन योजना में जहाँ पहले 25 प्रतिशत राज्यों को देना पड़ता था और भारत सरकार 75 प्रतिशत देती थी महोदय लेकिन जब से श्रीमान् गरीबों के चाहने वाले, गरीबों की समस्या को हल करने वाले प्रधानमंत्री जी जब से दिल्ली पर काबिज हुए हैं, बैठे हुए है, तब से गरीबों की एक-एक योजना में लगातार केन्द्र की राशि में कटौती हो रही है, अब यह राज्यों पर 40

प्रतिशत का बोझ और अपना बोझ कम करके 60 प्रतिशत करने का काम किया गया है । चालू वित्तीय वर्ष में महोदय, चार लाख छियत्तर हजार सात सौ पन्द्रह आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, पता नहीं यह लक्ष्य स्थायी है या अस्थायी है, यह तो समय बतायेगा महोदय लेकिन अभी यह लक्ष्य प्राप्त हुए हैं । लाभार्थियों का चयन जो इस बार होगा, जो बी0पी0एल0 सूची था पहले उसके जरिये नहीं होगा, सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत आधारित जनगणना की जो सूची प्रकाशित की गयी है महोदय उसके हिसाब से होगा, उन्हें आवास की सुविधा दी जायगी, राज्य के 27 जिलों में एक लाख 20 हजार एक यूनिट पर खर्च किये जायेंगे और उग्रवाद प्रभावित जिले 11 जिले आई0पी0 जिले में एक लाख 30 हजार रुपये का अनुदान देने का प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में रखा गया है, लाभुकों में से अगर कोई जॉब कार्डधारी है, उसको 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी भी उसमें अपने आवास निर्माण के लिए दिया जायेगा, अगर कोई लाभुक प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन हुआ है, अगर वे चाहें तो 70 हजार रुपया बैंक से वे ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं और इस आवास में एक शौचालय का निर्माण जिसपर 12 हजार रुपये सरकार की तरफ से अनुदान में देय होगा महोदय, सरकार चाहती है कि गरीबों का उत्थान, आवास योजना में लाभुकों को बिचौलियों से बचाने के लिए सीधे एफ0टी0ओ0 फंड ट्रान्सफर के माध्यम से उनके खाते में सीधा राशि जाता है महोदय । इसी प्रकार से आधारभूत संरचना के क्षेत्र में महोदय राज्य में लगभग 77 प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, साथ ही 101 जीर्ण-शीर्ण पुराने प्रखंडों में सूचना प्रावैधिकी भवनों के निर्माण की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से दी जा चुकी है, राज्य की प्रगति को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है । महोदय, आधारकार्ड योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 9 सितम्बर 2014 से आधार पंजीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है । राज्य में कुल 11 पंजीकरण एजेंसियों का चयन आधारकार्ड निर्माण हेतु किया गया है, विभिन्न जिलों में यह एजेंसी कार्यरत हैं। आधारकार्ड पंजीकरण का कार्य प्रखंड, पंचायत, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं सामुदायिक भवन में चल रहा है, अब तक कुल लगभग 7 करोड़ 50 लाख लोगों का आधार पंजीकरण किया जा चुका है एवं उसमें से करीब 7 करोड़ 15 लाख लोगों का आधार सृजन हो चुका है, आधार पंजीकरण की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर आर0टी0पी0एस0 केन्द्र पर भी उपलब्ध है । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा योजना आदि योजनाओं में आधार से जोड़ने का निदेश दिया गया है ताकि पारदर्शी बना रहे । अध्यक्ष महोदय, मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष एवं भौतिक उपलब्धि महोदय, अब तक कुल एक करोड़, 45 लाख, चार हजार, तीन सौ छियालीस जॉबकार्ड निर्गत किये गये हैं, जिसमें 33 लाख 95 हजार 376 सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं, वे मनरेगा अन्तर्गत किसी भी योजना में काम किया है । वित्तीय वर्ष 15-16 में 14 लाख 91 हजार 898 परिवारों

को रोजगार प्रदान करते हुए 6 करोड़ 72 लाख 98 हजार 710 मानव दिवस सृजन किया गया है तथा 58 हजार 300 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 में अब तक 8 लाख 65 हजार 367 परिवारों को रोजगार प्रदान करते हुए दो करोड़, 37 लाख, 50 हजार, 466 मानव दिवस सृजन किया गया तथा दो हजार 315 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराते हुए अब तक 796 करोड़ 94 लाख रुपया व्यय किया गया है, जिसमें 629 करोड़, 79 लाख रुपया मजदूरी में व्यय किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 11 लाख 49 हजार 94 योजनाओं को पूर्व वर्ष की लंबित योजनाओं सहित कार्यान्वयन किया जा रहा है, अब तक 8 लाख, 421 योजनाओं को पूर्ण करा लिया गया है। महोदय, वित्तीय वर्ष 2016-17 का मूल बजट प्रस्तुत करते समय प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन एवं लक्ष्य का संसूचन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं था। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यान्वयन के लिए भी राज्य को लक्ष्य एवं अपेक्षित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। राज्य सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत संपूर्ण राज्य को आगामी तीन वर्षों में जो खुले शौच से मुक्त करने का निर्णय है, इसके लिए वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए धारित लक्ष्य हासिल करने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए राज्यांश के रूप में लगभग 315676 रुपये तथा स्वच्छता मिशन के लिए लगभग पाँच अरब, 76 लाख, रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। लोहिया स्वच्छता अभियान के लिए भी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, इसीलिए विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए केन्द्रांश का संसूचित एलोकेशन एवं पूर्व की लंबे दायित्वों एवं खुले में शौच से मुक्ति के सफल कार्यान्वयन हेतु 36,57,52,01,000/- (छत्तीस अरब, संतावन करोड़, बावन लाख, एक हजार) रुपये का अतिरिक्त राशि उपबंध प्रथम अनुपूरक 2016-17 के माध्यम से प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी तो है नहीं, जिनसे मैं आग्रह करुं कि वे अपना कटौती प्रस्ताव को वापस ले लेकिन सदन से आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रस्तुत मांग पर सहमति प्रदान की जाय।

टर्न-27/सत्येन्द्र/3-8-16

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?
(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि

“ इस शीर्ष की मांग 10/-रु० से घटायी जाय। ”

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष: अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए ‘ग्रामीण विकास विभाग’ के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या -2) अधिनियम 2016 के उपबंध के अतिरिक्त 36,57,52,01,000/- (छतीस अरब संतावन करोड़ बावन लाख एक हजार) रू0 से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष: अब शेष मांगों का मुखबंध ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2016 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :-

- | | |
|-----------------|--|
| मांग संख्या- 01 | कृषि विभाग के संबंध में 90,71,08,000/- (नब्बे करोड़ एकहत्तर लाख आठ हजार) रूपये |
| मांग संख्या- 02 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 17,47,86,000/- (सत्रह करोड़ सैंतालीस लाख छियासी हजार) रूपये |
| मांग संख्या- 03 | भवन निर्माण विभाग के संबंध में 2,37,76,04,000 (दो अरब सैंतीस करोड़ छिहत्तर लाख चार हजार) रूपये |
| मांग संख्या- 04 | मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 92,50,000/- (बानवे लाख पचास हजार) रूपये |
| मांग संख्या- 06 | निर्वाचन विभाग के संबंध में 53,75,00,000/- (तिरपन करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये |
| मांग संख्या- 07 | निगरानी विभाग के संबंध में 1,96,95,000/- (एक करोड़ छियानवे लाख पनचानवे हजार) रूपये |
| मांग संख्या- 09 | सहकारिता विभाग के संबंध में 22,10,82,000 (बाइस करोड़ दस लाख बेरासी हजार) रूपये |

- माँग संख्या- 10 उर्जा विभाग के संबंध में 23,56,49,04,000/- (तेइस अरब छप्पन करोड़ उनचास लाख चार हजार) रूपये
- माँग संख्या- 12 वित्त विभाग के संबंध में 54,48,13,25,000/- (चौव्वन अरब अड़तालिस करोड़ तेरह लाख पचीस हजार) रूपये
- माँग संख्या- 15 पेंशन के संबंध में 5,00,000/- (पाँच लाख) रूपये
- माँग संख्या- 16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 13,00,000/- (तेरह लाख) रूपये
- माँग संख्या- 17 वाणिज्य-कर विभाग के संबंध में 51,77,06,000/- (एकावन करोड़ सतहत्तर लाख छः हजार) रूपये
- माँग संख्या- 19 पर्यावरण एवं वन विभाग के संबंध में 1,50,00,00,000/- (एक अरब पचास करोड़) रूपये
- माँग संख्या- 20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 48,84,76,000/- (अड़तालिस करोड़ चौरासी लाख छिहत्तर हजार) रूपये
- माँग संख्या- 21 शिक्षा विभाग के संबंध में 11,08,38,69,000/- (ग्यारह अरब आठ करोड़ अड़तीस लाख उनहत्तर हजार) रूपये
- माँग संख्या- 22 गृह विभाग के संबंध में 67,26,87,000/- (सड़सठ करोड़ छब्बीस लाख सतासी हजार) रूपये
- माँग संख्या- 25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 95,90,00,000/- (पनचानवे करोड़ नब्बे लाख) रूपये
- माँग संख्या- 26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 1,12,85,37,000/- (एक अरब बारह करोड़ पचासी लाख सैंतीस हजार) रूपये
- माँग संख्या- 27 विधि विभाग के संबंध में 29,38,000/- (उनतीस लाख अड़तीस हजार) रूपये
- माँग संख्या- 30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 69,53,16,000/- (उनहत्तर करोड़ तिरपन लाख सोलह हजार) रूपये
- माँग संख्या- 32 विधान मंडल के संबंध में 4,65,50,000/- (चार करोड़ पैसठ लाख पचास हजार) रूपये
- माँग संख्या- 33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 12,87,80,000/- (बारह करोड़ सतासी लाख अस्सी हजार) रूपये
- माँग संख्या- 35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 48,41,89,000/- (अड़तालिस करोड़ एकतालिस लाख नवासी हजार) रूपये
- माँग संख्या- 36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 3,50,00,00,000/- (तीन अरब पचास करोड़) रूपये
- माँग संख्या- 37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 5,00,00,00,000/- (पाँच अरब) रूपये

- माँग संख्या- 38 निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के संबंध में 45,06,00,000/-
(पैंतालिस करोड़ छः लाख) रूपये
- माँग संख्या -39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 10,16,01,000/-
(दस करोड़ सोलह लाख एक हजार) रूपये
- माँग संख्या -40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 1,54,90,000/-
(एक करोड़ चौवन लाख नब्बे हजार) रूपये
- माँग संख्या -43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 2,36,52,40,000/-
(दो अरब छत्तीस करोड़ बावन लाख चालीस हजार) रूपये
- माँग संख्या -45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 69,67,17,000/-
(उनहत्तर करोड़ सड़सठ लाख सत्रह हजार) रूपये
- माँग संख्या -46 पर्यटन विभाग के संबंध में 50,29,00,000/-
(पचास करोड़ उनतीस लाख) रूपये
- माँग संख्या -47 परिवहन विभाग के संबंध में 58,00,000/-
(अनठावन लाख) रूपये
- माँग संख्या -48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 4,19,01,28,000/-
(चार अरब उनीस करोड़ एक लाख अठ्ठाइस हजार) रूपये
- माँग संख्या -49 जल संसाधन विभाग के संबंध में 3,51,87,46,000/-
(तीन अरब एकावन करोड़ सतासी लाख छियालिस हजार) रूपये
- माँग संख्या -51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 6,90,87,86,000/-
(छः अरब नब्बे करोड़ सतासी लाख छियासी हजार) रूपये
से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुई ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय)विधेयक

बिहार विनियोग (संख्या-3)विधेयक,2016

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री,वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक,2016 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।”

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री: मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार विनियोग (संख्या-3)विधेयक,2016 पर विचार हो ।”

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“बिहार विनियोग (संख्या-3)विधेयक,2016 पर विचार हो ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अब मैं खंडशः लेता हूँ।

प्रश्न यह है कि

“खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-28/मधुप/03.08.16

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“नाम इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।”

अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य इसपर बोलना चाहते हैं ? नहीं तो माननीय मंत्री जी बोलें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, जैसा कि आप और सदन के माननीय सदस्यगण अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2016-17 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक 29 जुलाई, 2016 को उपस्थापित किया गया । महोदय, विनियोग विधेयक प्रस्तुत होने के पूर्व जो व्यय विवरणी है, विभिन्न विभागों की जो माँगें हैं, उसपर चर्चा भी हुई, बहस भी हुई और हाऊस ने जो डिमांड्स थे, खास करके मुख्य विभाग जो ग्रामीण विकास विभाग था, उसपर चर्चा हुई और फिर सदन ने उसे स्वीकृति दी ।

महोदय, सदन ने तो यह स्वीकृति दे दिया कि इन विभागों में जो डिमांड किये गये हैं, उसपर राशि खर्च करने की स्वीकृति दी गई है, मगर जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत विनियोग इस वजह से लाया जाता है कि जो हमारी राशि है उसका खर्च और उसकी निकासी के लिये सदन जबतक ऑथराइज नहीं करता है तबतक जो डिमांड पर स्वीकृति भी मिली है, उसके बाद भी एक पैसा की निकासी नहीं हो सकती है और खर्चा भी नहीं किया जा सकता है ।

महोदय, मैं तो नहीं चाह रहा था कि बहुत विस्तार से बोलें, मुझे कभी-कभी ताज्जुब होता है विपक्ष पर कि माननीय नेता विरोधी दल जिनको बोलना चाहिये था विनियोग विधेयक पर, उन्होंने विनियोग विधेयक पर बोला नहीं, सारा का सारा विपक्ष चला गया और जब एक स्पेसिफिक विभाग का डिमांड था तो वे फ्रीलांसिंग करने लगे उसमें । मुझे यह कहने में थोड़ा-सा भी संकोच नहीं है, महोदय, आप खुद पढ़ने-लिखने में रूचि रखते हैं, चर्चिल बहुत बड़े एक तरह से नेता भी थे, उनको लोग कोट भी करते हैं, चर्चिल ने एक प्रसंग में कहा था कि **Leader of opposition will be more intelligent than PMO.** मैं उनके इंटेलिजेंसी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ मगर इतना जरूर कह रहा हूँ कि जब उनको खर्चा निकालने का, व्यय करने का, निकासी

करने का और इसमें ये सारे विभागों पर एक तरह से बोल सकते थे उनकी स्थिति के बारे में, उन्होंने इसपर कोई चर्चा नहीं की, वे चले गये ।

महोदय, चूंकि कई तरह के भ्रम फैलाये जा रहे हैं, जैसा कि सदन अवगत है कि जो बजट पेश हुआ था बजट सेशन में, 1,44,696.27 करोड़ ₹0 का था और अब जो डिमांड में आये और जिसके लिये ऑथराइजेशन ले रहे हैं विनियोग के मार्फत कि इन राशि को खर्चा करने के लिये यह हाऊस ऑथराइज करे, उसमें कौन-कौन सी राशि है, कौन-कौन सी योजना है, कौन-कौन से विभाग के हैं जिसपर चर्चा होनी चाहिये थी। उसपर भी बिना चर्चा किये हुये चले गये ।

महोदय, 29 जुलाई, 2016 को जो प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में उल्लिखित है कि 16859.9851 करोड़ रूपये की राशि की प्रावधान प्रस्तावित थी जिस पर सदन में चर्चा हुई । महोदय, इसपर वे कह रहे थे, कहीं का सवाल कहीं उठा रहे थे, दलित का, फलाना का, यह योजना का, वह योजना का । अब इसमें कोई राजनीति भी नहीं करना है, दलितों पर क्या अत्याचार गुजरात में हो रहा है, वह देश और दुनिया जानती है, दलित भी जानते हैं और सामाजिक नेता भी जानते हैं मगर जब एक दलित नेता जिसपर मुझको कभी-कभी ताज्जुब होता है कि ये जब विपक्ष में बैठते हैं तो न विपक्ष का रोल ठीक से अदा कर पाते हैं और जब सत्ता-पक्ष में रहते हैं तो विपक्ष का रोल अदा करने लगते हैं । यही कारण है कि इनके बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, कोई भी मंत्री सत्ता-पक्ष का होने के बावजूद, मतलब विपक्ष से भी ज्यादा एक तरह से भत्स भूमिका का निर्वहन करते हैं ।

महोदय, 16859.9851 करोड़ रूपये की जो माँग रखी गयी है और जिसके लिये इस हाऊस से जो ऑथराइजेशन माँगी जा रही है विनियोग के द्वारा कि इन राशियों को खर्चा करने की अनुमति दीजिये ताकि इन-इन योजनाओं में हम उन राशियों को खर्च करें विभिन्न विभागों के मार्फत से । राज्य योजना मद में 8139.9398 रूपये हैं और गैर योजना मद में भी कुछ ऐसे एसेट क्रियेशन होते हैं मगर गैर योजना मद में भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक तरह से कमीटेड हैं जिनको करना है, तो उसके लिये भी राशि की माँग की जाती है मगर गैर योजना मद में 8686.6090 करोड़ रूपये की माँग है । केन्द्रीय योजनागत योजना मद में, जो केन्द्र सरकार की योजना है और उसमें कितना हम माँग रहे हैं - 33.4363 करोड़ रूपये, कुल योग 16859.9851 करोड़ रूपये । राज्य योजना में कौन-कौन सी स्कीम हैं जिसके लिये राशि की माँग की जा रही है । राज्य योजना मद में जो राशि है, वह 3156.76 करोड़ ₹0 इंदिरा आवास योजना के लिये । इंदिरा आवास इस राशि से गरीब का बनेगा । 210 करोड़ ₹0 मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साइकिल योजना हेतु ।

...कमशः...

टर्न-29/आजाद/03.08.2016

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : (क्रमशः) 576 करोड़ रू० स्वच्छ भारत मिशन जो ऑपोजिशन आजकल कहते रहता है कि आपने न तो 7 निश्चय के लिए इन्तजाम किया, न नल, न कल के लिए इन्तजाम किया पैसा वगैरह-वगैरह । लेकिन वह भ्रम, ठीक है अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हैं, उनको भी जानकारी होना आवश्यक है । इसलिए 576 करोड़ रू० स्वच्छ भारत मिशन एवं लोहिया स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग के माफत ये कार्य होंगे । 500 करोड़ रू० मुख्यमंत्री ग्राम्य सम्पर्क पथ हेतु, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री सम्पर्क पथ योजना खतम हो गई, इसके लिए 500 करोड़ रू० रखा गया है । 495 करोड़ रू० बालक एवं बालिकाओं को मुख्यमंत्री पोशाक योजना हेतु, 289.83 करोड़ रू० एकीकृत बाल विकास सेवायें परियाजना हेतु, 250 करोड़ रू० मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना हेतु, 245 करोड़ रू० राष्ट्रीय पेयजल ग्रामीण कार्यक्रम हेतु, 234.52 करोड़ रू० केन्द्रीय संस्थान एन0आई0टी0,पटना के लिए भूमि अर्जन मद में, 200 करोड़ रू० राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत जो केन्द्रांश मद में राशि देनी है, उस हेतु, 193.33 करोड़ रू० मध्याह्न भोजन योजना के केन्द्रांश मद हेतु, 150 करोड़ रू० सबके लिए आवास शहरी योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश मद हेतु, 146.67 करोड़ रू० बाढ़ नियंत्रण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, 138.52 करोड़ रू० सिंचाई सृजन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु, 112.85 करोड़ रू० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण हेतु, 125 करोड़ रू० स्मार्ट सिटी मिशन योजना हेतु केन्द्रांश मद में, 100 करोड़ रू० मुख्यमंत्री चापाकल योजना हेतु, 100 करोड़ रू० न्यायाधीशों के आवास के लिए भू-अर्जन हेतु, 94.41 करोड़ रू० नहर तट एवं पथ तट पर वृक्षारोपण हेतु, 80 करोड़ रू० लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु, 77 करोड़ रू० बिहार राज्य विकलांगता सुरक्षा पेंशन योजना हेतु, 69.07 करोड़ रू० मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति एवं वजीफा देने के लिए, 50 करोड़ रू० वर्ग-1 से 8 तक के अध्ययन करने वाले छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि देने हेतु आदि-आदि । महोदय, इसी तरह गैर-योजना मद में 5437.85 करोड़ रू० की राशि आकस्मिकता निधि में स्थायी कार्य में राशि अन्तरण हेतु, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सबसे ज्यादा पैसा तो वित्त विभाग ने ही ले लिया, लगता है ये पैसा ले रहे हैं ज्यादा तो लगता है कि माननीय विधायकों के लिए कुछ सोच समझ रहे होंगे । यह कह कह रहे थे लोग, लेकिन यह पैसा आकस्मिकता निधि जैसे बाढ़ है, सुखाड़ है, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा हो या कोई ऐसे कार्य आ गये हैं तो उसके लिए भी इस राशि का उपबंध किया गया है । महोदय, 2331.78 करोड़ रू० उदय स्कीम के अन्तर्गत

उगाही किये गये ऋण की राशि को बिहार स्टेट पॉवर हॉल्लिडिंग कम्पनी को देने हेतु, 285.56 करोड़ रू० उदय योजना, राष्ट्रीय लघु बचत एवं पॉवर बॉण्ड ब्याज राशि भुगतान हेतु, 185.21 करोड़ रू० राष्ट्रीय लघु बचत निधि एवं नाबार्ड के ऋण की मूलधन की राशि वापसी हेतु । महोदय, इसी तरह बहुत सारी योजनायें हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो उसको प्रोसिडिंग्स का पार्ट बना लिया जाय और माननीय विधायक लोग जो हैं, बड़ी अपेक्षा रखे हुए हैं मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इशारा किया, अभी तो बहुत तरह की दिक्कतें भी हैं । आप निराश नहीं होंगे, समय पर जो काम होता है, वह अच्छा होता है और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री के निदेश का अनुपालन कराया जायेगा लेकिन समय पर ।

(व्यवधान)

अब अगर आप ज्यादा बोलियेगा तो हम अपनी मजबूरी के तहत रिसोर्स गैप के कारण, वह मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, वह आप बोलवाना चाहते हैं ।

अब मैं सदन से माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूँगा कि यह राज्य हित में है, विकास हित में है, सांविधानिक व्यवस्था के तहत है, कम से कम वे तो नहीं समझे लेकिन आपलोग तो समझें, इसलिए इसे सर्वसम्मति से जो उपस्थित लोग हैं, वे इसे पारित करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने जो अपना लिखित भाषण सदन पटल पर रखा है, वह कार्यवाही का पार्ट बनेगा ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

“बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक,2016 स्वीकृत हो ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक,2016 स्वीकृत हुआ ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : महोदय, एक सत्र में 13 विधेयक पारित हुए, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं और सदन भी बधाई का पात्र है ।

अध्यक्ष : आमतौर पर यह सबसे छोटा सत्र होता है और उसमें सरकार 13 विधेयक लायी तो सरकार की पहल भी सराहनीय है और पूरा सदन इस बात के लिए बधाई का पात्र है।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 3 अगस्त, 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-52 है । अगर सदन की सहमति हो तो इसे संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 4 अगस्त, 2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....

परिशिष्ट

माननीय अध्यक्ष महोदय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक 29 जुलाई, 2016 को उपस्थापित किया गया। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सोलह हजार आठ सौ उन्सठ करोड़ अठानवे लाख इक्यावन हजार रुपये (16859.9851 करोड़ रुपये) की राशि प्रावधान के लिए प्रस्तावित की गयी है।

2. प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी 2016-17 में योजनावार प्रस्तावित व्यय निम्नवत् है:-

- | | | |
|-----|--|-------------------------|
| (क) | राज्य योजना मद में :- | 8139.9398 करोड़ रुपये |
| | (आठ हजार एक सौ उन्चालीस करोड़ तिरानवे लाख अन्ठानवे हजार रुपये) | |
| (ख) | गैर योजना मद में (प्रभृत सहित) :- | 8686.6090 करोड़ रुपये |
| | (आठ हजार छः सौ छियासी करोड़ साठ लाख नब्बे हजार रुपये) | |
| (ग) | केन्द्रीय योजनागत योजना मद में :- | 33.4363 करोड़ रुपये |
| | (तीस करोड़ तितालीस लाख तिरसठ हजार रुपये) | |
| | कुल योग :- | 16859.9851 करोड़ रुपये। |

(सोलह हजार आठ सौ उन्सठ करोड़ अठानवे लाख इक्यावन हजार रुपये)

(क) राज्य योजना

राज्य योजना मद में 8139.94 करोड़ रुपये प्रावधानित प्रस्तावित है। जिसमें मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं:-

- 3156.76 करोड़ रुपये इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0) के अन्तर्गत केन्द्रांश मद हेतु,
- 210.00 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साईकिल योजना हेतु,
- 500.76 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन एवं लोहिया स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग से कार्य करवाने हेतु,
- 500.00 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क पथ हेतु,
- 495.00 करोड़ रुपये बालक और बालिकाओं को मुख्यमंत्री पोशाक योजना हेतु,
- 289.38 करोड़ रुपये एकीकृत बाल विकास सेवाएँ परियोजना हेतु,
- 250.00 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना हेतु,
- 245.00 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु,
- 234.52 करोड़ रुपये केन्द्रीय संस्थान एन०आई०टी० पटना के लिए भू-अर्जन मद में,
- 200.00 करोड़ रुपये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रांश मद हेतु,

- 193.33 करोड़ रुपये मध्याह्न भोजन योजना के केन्द्रांश मद हेतु,
 150.00 करोड़ रुपये सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश मद हेतु,
 146.67 करोड़ रुपये बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु,
 138.52 करोड़ रुपये सिंचाई सृजन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु,
 112.85 करोड़ रुपये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण हेतु,
 125.00 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी मिशन योजना हेतु केन्द्रांश मद में,
 100.00 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री चापाकल योजना हेतु,
 100.00 करोड़ रुपये न्यायाधीशों के आवास के लिए भू-अर्जन हेतु,
 94.41 करोड़ रुपये नहर तट एवं पथ तट पर वृक्षारोपण हेतु।
 80.00 करोड़ रुपये लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु,
 77.00 करोड़ रुपये बिहार राज्य विक्लांगता सुरक्षा पेंशन योजना हेतु,
 69.07 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति एवं वजीफा देने के लिए,
 50.00 करोड़ रुपये वर्ग 1 से 8 तक के अध्ययन करने वाले छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि देने हेतु,
 50.00 करोड़ रुपये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु,
 50.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) के अन्तर्गत मशीनों एवं उपस्कर के क्रय हेतु।

राज्य योजना में प्रावधानित करायी जा रही राशि में केन्द्रीय सहायता मद में विभिन्न परियोजनाओं में केन्द्र सरकार से 4374.89 करोड़ रुपये प्राप्त होना विभागों द्वारा अनुमानित किया गया है और 1410.69 करोड़ रुपये प्रत्यर्पण के विरुद्ध प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। राज्य योजना मद में इन दोनों राशि को घटाने के उपरांत 2354.36 करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता होगी।

(ख) गैर योजना

- गैर योजना मद में प्रस्तावित राशि 8686.61 करोड़ रुपये (प्रभृत राशि सहित) है। प्रावधानित की गयी राशि में मुख्यतः निम्नवत् हैं:-
- 5437.85 करोड़ रुपये की राशि आकरिमकता निधि में स्थायी काय में राशि अन्तरण हेतु,
 2331.78 करोड़ रुपये उदय स्कीम के अन्तर्गत उगाही किये गये ऋण की राशि को बिहार स्टेट पॉवर हॉल्टिंग कम्पनी को देने हेतु,
 285.56 करोड़ रुपये उदय योजना, राष्ट्रीय लघु बचत, एवं पॉवर बॉण्ड पर ब्याज राशि भुगतान हेतु,
 185.21 करोड़ रुपये राष्ट्रीय लघु बचत निधि एवं नाबार्ड के ऋण की मूलधन की राशि वापसी हेतु,

- 69.27 करोड़ रुपये चीनी फैक्टरियों को ऋण एवं अग्रिम देने हेतु,
- 51.50 करोड़ रुपये विधान सभा निर्वाचन में यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय मद में भुगतान हेतु
- 40.00 करोड़ रुपये नई उत्पाद नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनें एवं उपस्कर क्रय हेतु,
- 33.50 करोड़ रुपये वाणिज्यकर विभाग में जी०एस०टी०एन० तथा कम्यूटीकरण से संबंधित राशि का भुगतान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों के अधिवक्ताओं के फीस भुगतान हेतु,
- 27.85 करोड़ रुपये भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वेतन एवं अन्य मदों हेतु,
- 25.00 करोड़ रुपये बाढ़ नियंत्रण कार्य हेतु अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु,
- 18.15 करोड़ रुपये वाणिज्यकर विभाग में जाँच चौकी पर सी०सी०टी०वी० अधिस्थापन, कार्यालय व्यय एवं अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु,
- 15.00 करोड़ रुपये बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क के परिसम्पत्ति के निर्माण हेतु,
- 14.17 करोड़ रुपये राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत समानों पर भुगतान किये गये राशि को नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को देने हेतु,
- 13.67 करोड़ रुपये नगर निकायों को पेशाकर की राशि वेतन मद में देने हेतु,
- 12.22 करोड़ रुपये स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन भुगतान हेतु,
- 10.68 करोड़ रुपये दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विद्युत प्रभार देने हेतु,
- 10.35 करोड़ रुपये राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत समानों पर भुगतान किये गये राशि को साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को देने हेतु,
- 10.00 करोड़ रुपये विधान मंडल के सदस्यों को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम देने हेतु,
- 10.00 करोड़ रुपये राज्य की स्थानीय प्रकृति की अपदाओं से राहत देने हेतु अनुदान।
- 10.00 करोड़ रुपये माननीय पटना उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत दिये गये कम्यूटर एवं उपकरण के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु ।

गैर योजना मद में प्रावधानित की जा रही 5437.85 करोड़ रुपये की राशि जो आकस्मिकता निधि में अंतरण किया जा रहा है वर्ष के अन्त में 31 मार्च को वापस हो जायेगा क्योंकि अस्थायी काय के लिए राशि की उपलब्धता 30 मार्च तक के लिए हो रही है। उदय पॉवर बाण्ड 2331.78 करोड़ रुपये के लिए अतिरिक्त बाजार ऋण की उगाही हो रही है। 30.23 करोड़ रुपये प्रत्यर्पण के विरुद्ध राशि प्रावधानित हो रही है। गैर योजना मद में इन राशियों को घटाने के उपरांत 886.75 करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता होगी।

(ग) केन्द्रीय योजनागत योजना

केन्द्रीय योजनागत योजना में अतिरिक्त प्रावधान 33.44 करोड़ रुपये का है जिसमें मुख्यतः निम्नवत् हैं:-

- 21.86 करोड़ रुपये एकीकृत सहकारी विकास परियोजना मद में नालंदा, वैशाली तथा जहानाबाद, मोतिहारी, अररिया के कार्यान्वयन के निवेश एवं ऋण मद में देने हेतु,
- 5.93 करोड़ रुपये निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अन्तर्गत लिफ्ट अधिस्थापन हेतु,
- 3.33 करोड़ रुपये भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय की छठी आर्थिक गणना में व्यय हेतु।

केन्द्रीय योजनागत योजना में राशि केन्द्र सरकार से प्राप्ति के आधार पर व्यय हो रही है। इसलिए प्रावधानित राशि के लिए अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता नहीं है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य को वर्ष 2016-17 के अन्त तक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक की सीमा में रखना है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्रीय करों के राज्य के हिस्से में बजट अनुमान में 58359.72 करोड़ रुपये की राशि अनुमानित की गयी थी। भारत सरकार के बजट में बिहार राज्य को मिलने वाली केन्द्रीय करों में हिस्से की राशि 55233.71 करोड़ रुपये बतायी गयी है। इसलिए इस मद में 3126.01 करोड़ रुपये की कमी होगी। प्रथम अनुपूरक में प्रस्तावित राशि, केन्द्रीय अनुदान में प्राप्त होने वाली राशि को सम्मिलित करने के उपरांत राजकोषीय घाटा 23683.66 करोड़ रुपये का है जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारित 3.0 प्रतिशत की अधिसीमा से अधिक है। गैर योजना एवं योजना मद में वर्ष के अन्त तक प्रत्यर्पण होने वाली राशि के आलोक में राजकोषीय घाटा निर्धारित अधिसीमा 3.0 प्रतिशत के अन्तर्गत रहेगा।

बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 द्वारा कुल सोलह हजार आठ सौ उन्सठ करोड़ अठानवे लाख इक्यावन हजार रुपये (16859.9851 करोड़ रुपये) की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है। विनियोजन राशि में सोलह हजार तीन सौ तिरासी करोड़ तितालीस लाख ग्यारह हजार रुपये (16383.4311 करोड़ रुपये) मतदेय एवं चार सौ छियहत्तर करोड़ पचपन लाख चालीस हजार रुपये (476.5540 करोड़ रुपये) भारित है। कुल प्रस्तावित राशि में राजस्व व्यय में नौ हजार एक सौ छियहत्तर करोड़ पाँच लाख तिरासी हजार रुपये (9176.0583 करोड़ रुपये) एवं पूंजीगत व्यय में सात हजार छः सौ तिरासी करोड़ बानवे लाख अड़सठ हजार रुपये (7683.9268 करोड़ रुपये) की निकासी प्रस्तावित है।

प्रथम अनुपूरक में राशि उपबधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदन से अनुरोध है कि प्रथम अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए ध्वनिमत से पारित किया जाए ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे।

***** -:जय हिन्द:- *****

